

Plutus IAS

UPSC & State PCS

मासिक संकलन

करंट अफेयर्स मासिक

August 2026

अद्यतन तिथि 05 August 2026 · 71 लेख

इस अंक में

- ▶ भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश: अवसर और चुनौतियाँ
- ▶ मध्य-पूर्व में बढ़ता तनाव: अमेरिका-ईरान संघर्ष और क्षेत्रीय भू-राजनीति
- ▶ कोचीन शिपयार्ड द्वारा सातवें पनडुब्बी रोधी युद्धपोत 'मछलीपट्टनम' का जलावतरण: भारत की नौसैनिक शक्ति में वृद्धि
- ▶ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रशिक्षण हेतु पुस्तकों का विनाश: तकनीकी प्रगति बनाम सांस्कृतिक विरासत
- ▶ AI युग में साक्षरता संकट: एक अदृश्य चुनौती
- ▶ जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026: एक विस्तृत विश्लेषण
- ▶ सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026: एक विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली की दिशा में

- Can Unelected Minister Serve Beyond 6 Months?
Constitutional Puzzle In Supreme Court
-

plutusias.com



Plutus IAS

प्लूटस आईएएस — प्रमुख कोर्स

जहाँ चाह, वहाँ राह

- जीएस फाउंडेशन कोर्स
- एनसीईआरटी आधारित कोर्स
- प्री कम मेन्स (जीएस)
- प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़
- मेन्स टेस्ट सीरीज़
- ऑफलाइन / ऑनलाइन / हाइब्रिड बैच

प्रवेश जारी — करोल बाग / चंडीगढ़ · plutusias.com

संपादकीय

यह मासिक करंट अफेयर्स संकलन इस प्रकार तैयार किया गया है कि यह सिविल सेवा परीक्षा के सभी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण विषयों को समग्र रूप से कवर करे और अभ्यर्थियों को परीक्षा-तैयार बनाए। यह एक द्वितीयक स्रोत है; समाचार-पत्र आपका प्राथमिक स्रोत बना रहेगा।

अब करंट अफेयर्स केवल 'करंट' नहीं, बल्कि 'कंटेम्पररी अफेयर्स' हैं। प्रीलिम्स और मेन्स दोनों में पूछे जाने वाले प्रश्न अभ्यर्थी की वैचारिक स्पष्टता का आकलन करते हैं। यह अंक स्टैटिक और डायनामिक घटनाओं के अंतर्संबंधों को समझने में आपकी मदद के लिए बनाया गया है।

— आन्या, आपकी करंट अफेयर्स टीचर, प्लूटस आईएएस

इस अंक में

Science & Technology

1. भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश: अवसर और चुनौतियाँ 17
2. मध्य-पूर्व में बढ़ता तनाव: अमेरिका-ईरान संघर्ष और क्षेत्रीय भू-राजनीति 235
3. कोचीन शिपयार्ड द्वारा सातवें पनडुब्बी रोधी युद्धपोत 'मछलीपट्टनम' का जलावतरण: भारत की नौसैनिक शक्ति में वृद्धि 27
4. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रशिक्षण हेतु पुस्तकों का विनाश: तकनीकी प्रगति बनाम सांस्कृतिक विरासत 33
235. AI युग में साक्षरता संकट: एक अदृश्य चुनौती 38

Polity

1. जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026: एक विस्तृत विश्लेषण	43	की चिंताएँ और भारतीय लोकतंत्र पर प्रभाव	
2. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026: एक विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली की दिशा में . .	48	10. विरोध प्रदर्शन का अधिकार और संवैधानिक संरक्षण: सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप .	80
3. Can Unelected Minister Serve Beyond 6 Months? Constitutional Puzzle In Supreme Court	51	11. इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय: स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन और विवाह का सांविधानिक अधिकार.	85
4. राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026: एक विस्तृत विश्लेषण	51	12. जाति प्रमाण पत्र: आवेदन अस्वीकृति, प्रक्रियात्मक पारदर्शिता और संवैधानिक अधिकार.	90
5. कोयला खान (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2014: एक विस्तृत विश्लेषण	51	13. संसद का मानसून सत्र 2026: प्रमुख घटनाक्रम और उनका विश्लेषण	94
6. विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक: उच्च शिक्षा विनियमन में सुधार की दिशा में एक कदम.	61	14. भीड़ नियंत्रण में पेलेट गन का उपयोग: संवैधानिक वैधता और सर्वोच्च न्यायालय का रुख.	99
7. डिजिटल गिरफ्तारी और AI-जनित डीपफेक: नए आपराधिक कानून की आवश्यकता. .	66	15. संसदीय गतिरोध के बीच महत्वपूर्ण विधेयकों पर सरकार का जोर: FCRA संशोधन विधेयक और अन्य	104
8. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026: एक विस्तृत विश्लेषण	71	16. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की शक्तियों का दायरा: सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय	109

Polity & Governance

1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और मैला ढोने की 5. चंद्रयान-5 मिशन: भारत-जापान का संयुक्त
प्रथा: एक गंभीर चुनौती 114 चंद्र अन्वेषण 133
2. अनुकंपा नियुक्ति में विवाहित बेटियों के 6. कावेरी जल विवाद: अंतर-राज्यीय नदी जल
अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक बँटवारे का एक जटिल मुद्दा 137
निर्णय 1187. राष्ट्रीय शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र:
सर्वोच्च न्यायालय का पर्यावरण मंजूरी पर बहुभाषावाद की चुनौतियाँ और संभावनाएँ
निर्णय: 'पूर्वव्यापी' मंजूरी और 'एमनेस्टी' 142
योजनाओं' पर प्रभाव 1238. PM-Vidyalaxmi Scheme: 1.12
4. पश्चिम एशिया संकट 2026: भारतीय Lakh Education Loans
नागरिकों की सुरक्षित वापसी में राजनयिक Approved Since Launch ... 147
मिशन की भूमिका 127

Economy

1. Rupee is undervalued, says RBI 3. राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी:
Governor: What it means and राजकोषीय प्रबंधन और वित्तीय समावेशन
why it matters 149 154
2. 16वें वित्त आयोग और जनगणना शहर: शहरी-
ग्रामीण वर्गीकरण के मुद्दे 149

Economy/Governance

1. अमेरिका-ईरान तनाव: क्षेत्रीय सुरक्षा और 2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जाली भारतीय करेंसी
वैश्विक भू-राजनीति पर प्रभाव 160 नोटों की पहचान, रिपोर्टिंग और निगरानी हेतु
बैंकों को निर्देश 164

International Relations

1. अल नीनो का बढ़ता प्रभाव: वैश्विक मौसम 3. वनाग्नि (Wildfires): चुनौतियाँ, प्रभाव
पैटर्न और भारत पर इसके निहितार्थ ... 170 और निवारण 179
2. गाजा, लेबनान और पश्चिमी तट में बढ़ती 4. पश्चिमी तट में बढ़ती हिंसा और इज़रायली
नागरिक मृत्यु दर: संयुक्त राष्ट्र की चिंताएँ और बस्तियाँ: एक विस्तृत विश्लेषण 184
अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून 175

Environment

Plutus IAS

आगामी परीक्षा कैलेंडर

अद्यतन तिथि 2026-08-05. तिथियाँ सांकेतिक हैं — कृपया आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर पुष्टि करें।

UPSC Civil Services (CSE) 2026

Written result out

अधिसूचना	Feb 2026 (out)	आवेदन अंतिम तिथि	Closed
प्रारंभिक	24 May 2026 (result 15 Jun)	मुख्य	21-30 Aug 2026 (DAF-I closed 28 Jun)
साक्षात्कार	Nov-Dec 2026 (tent.)	शुल्क	Rs 100 (Gen); SC/ST/PwBD/Women exempt

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

UPSC Civil Services (CSE) 2027

Notification Jan 2027

अधिसूचना	13 Jan 2027	आवेदन अंतिम तिथि	2 Feb 2027
प्रारंभिक	23 May 2027	मुख्य	from 20 Aug 2027 (5 days)
साक्षात्कार	2028 (tent.)	शुल्क	Rs 100 (Gen); SC/ST/PwBD/Women exempt

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

UPSC Indian Forest Service (IFoS) 2027

Application notification released

अधिसूचना	13 Jan 2027 (with CSE)	आवेदन अंतिम तिथि	2 Feb 2027
प्रारंभिक	23 May 2027 (CSE paper)	मुख्य	from 21 Nov 2027
साक्षात्कार	2028 (tent.)	शुल्क	Rs 100 (Gen); SC/ST/PwBD/Women exempt

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

UPSC Engineering Services (ESE/IES) 2027

अधिसूचना ~16 Sep 2026 (tent.)

आवेदन अंतिम तिथि **Notification expected Sep 2026**
~6 Oct 2026 (tent.)

प्रारंभिक 31 Jan 2027

मुख्य

18 Jun 2027

साक्षात्कार 2027 (tent.)

शुल्क

Rs 200 (Gen); SC/ST/
PwBD/Women exempt

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

UPSC CDS (I) 2027**Notification Dec 2026**

अधिसूचना 2 Dec 2026

आवेदन अंतिम तिथि 22 Dec 2026

प्रारंभिक 11 Apr 2027 (written)

साक्षात्कार

SSB interview after result

शुल्क Rs 200 (Gen); SC/ST/
Women exempt

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

UPSC NDA & NA (I) 2027**Notification Dec 2026**

अधिसूचना 2 Dec 2026

आवेदन अंतिम तिथि 22 Dec 2026

प्रारंभिक 11 Apr 2027 (written)

साक्षात्कार

SSB interview after result

शुल्क Rs 100 (Gen); SC/ST
exempt

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

UPSC CAPF (AC) 2027**Notification expected ~Feb 2027**अधिसूचना ~Feb 2027 (exact date
TBA)

आवेदन अंतिम तिथि Mar-Apr 2027 (tent.)

प्रारंभिक 4 Jul 2027 (written, tent.)

साक्षात्कार

Physical + Interview after
resultशुल्क Rs 200 (Gen); SC/ST/
Women exempt

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

UPPSC PCS 2026 (Uttar Pradesh)**Exam calendar released**

अधिसूचना 25 Jun 2026 (out)

आवेदन अंतिम तिथि 27 Jul 2026

प्रारंभिक 6 Dec 2026

मुख्य

To be announced

साक्षात्कार After Mains

शुल्क

Rs 125 (Gen/OBC); Rs 65 (SC/ST) — verify on notification

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

MPPSC State Service 2026 (Madhya Pradesh)**Specialist mark list released**

अधिसूचना 31 Dec 2025 (155 posts)

आवेदन अंतिम तिथि 9 Feb 2026 (closed)

प्रारंभिक 26 Apr 2026 (done)

मुख्य

7-12 Sep 2026

साक्षात्कार After Mains

शुल्क

Rs 250 (Gen); Rs 150 (MP reserved)

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

RPSC RAS 2026 (Rajasthan)**Previous year question paper released**

अधिसूचना 27 May 2026 (out, 607 posts)

आवेदन अंतिम तिथि 3 Jul 2026 (closed)

प्रारंभिक 6 Dec 2026 (revised from 29 Nov 2026)

मुख्य

1-2 May 2027

साक्षात्कार After Mains

शुल्क

Rs 600 (Gen); Rs 400 (Raj. reserved)

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

BPSC CCE (Bihar) — 71st & 72nd cycles**Interview postponed**

अधिसूचना	72nd: 5 May 2026 (out)	आवेदन अंतिम तिथि	72nd: closed 31 May 2026
प्रारंभिक	72nd: POSTPONED (was 26 Jul 2026), new date awaited	मुख्य	71st: held 25-30 Apr 2026 (result awaited); 72nd: after Prelims
साक्षात्कार	71st: schedule awaited from BPSC	शुल्क	Rs 600 (Gen); Rs 150 (Bihar SC/ST/PwD/ Women)

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

HPSC HCS (Haryana Civil Services) 2026**HPSC ADA result out**

अधिसूचना	30 Jan 2026 (out)	आवेदन अंतिम तिथि	Closed
प्रारंभिक	26 Apr 2026 (done)	मुख्य	27-29 Jun 2026 (done)
साक्षात्कार	Awaited	शुल्क	Check official (hpsc.gov.in)

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

UKPSC PCS / Upper Subordinate 2026 (Uttarakhand)**Interview Programme Released**

अधिसूचना	Calendar out 17 Apr 2026	आवेदन अंतिम तिथि	Check official
प्रारंभिक	First fortnight of Oct 2026 (proposed)	मुख्य	27-30 Apr 2026 (earlier cycle, done); TBA for new cycle
साक्षात्कार	After Mains	शुल्क	Check official (psc.uk.gov.in)

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

WBPSB WBCS 2026 (West Bengal)

अधिसूचना	14 Nov 2025 (out)	आवेदन अंतिम तिथि	Closed (17 Dec 2025)
प्रारंभिक	14 Jun 2026 (done)	मुख्य	Nov-Dec 2026 (expected)
साक्षात्कार	After Mains	शुल्क	Check official (psc.wb.gov.in)

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

PPSC PCS 2026 (Punjab) Mains completed — result/interview awaited

अधिसूचना	Out (322 posts)	आवेदन अंतिम तिथि	Closed
प्रारंभिक	Done (earlier in cycle)	मुख्य	1-10 Apr 2026 (done)
साक्षात्कार	Awaited	शुल्क	Check official (ppsc.gov.in)

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

HPPSC HAS/HPAS 2026 (Himachal Pradesh)

अधिसूचना	Awaited (delayed from expected Jan-Feb 2026)	आवेदन अंतिम तिथि	TBA
प्रारंभिक	TBA	मुख्य	TBA
साक्षात्कार	TBA	शुल्क	Check official (hppsc.hp.gov.in)

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

SSC CGL 2026**Application window extended**

अधिसूचना	21 May 2026 (out)	आवेदन अंतिम तिथि	25 Jun 2026 (closed)
प्रारंभिक	Tier 1: Aug-Sep 2026 (exact dates awaited)	मुख्य	Tier 2: Dec 2026
साक्षात्कार	N/A (document verification/skill test for some posts)	शुल्क	Rs 100 (Gen/OBC); SC/ST/PwBD/Women/Ex-servicemen exempt

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

SSC CHSL 2026**Notification/application stage**

अधिसूचना	~Apr-May 2026 (verify on official site)	आवेदन अंतिम तिथि	Check official
प्रारंभिक	Tier 1: Jul-Sep 2026 (expected)	मुख्य	Tier 2: Dec 2026/Jan 2027 (expected)
साक्षात्कार	N/A (skill test/typing test where applicable)	शुल्क	Rs 100 (Gen/OBC); SC/ST/PwBD/Women/Ex-servicemen exempt

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

IBPS PO 2026**Notification released**

अधिसूचना	1 Jul 2026 (out)	आवेदन अंतिम तिथि	21 Jul 2026
प्रारंभिक	22-23 Aug 2026	मुख्य	4 Oct 2026
साक्षात्कार	After Mains	शुल्क	Rs 850 (Gen/OBC); Rs 175 (SC/ST/PwBD)

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

SBI PO 2026**Prelims admit card released**

अधिसूचना	18 Jun 2026 (out)	आवेदन अंतिम तिथि	8 Jul 2026 (closed)
प्रारंभिक	~Early Aug 2026 (exact date awaited)	मुख्य	Sep 2026 (expected)
साक्षात्कार	Psychometric test + Group Exercise + Interview after Mains	शुल्क	Rs 750 (Gen/OBC/EWS); SC/ST/PwBD exempt

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

RBI Grade B 2026**Phase II (Mains) imminent — 25 Jul 2026**

अधिसूचना 29 Apr 2026 (out)

आवेदन अंतिम तिथि 20 May 2026 (closed)

प्रारंभिक Phase I: 13-14 Jun 2026
(done)

मुख्य Phase II: 25 Jul 2026

साक्षात्कार After Phase II result

शुल्क Rs 850 (Gen/OBC/EWS);
Rs 100 (SC/ST/PwBD)

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

CLAT 2027 (UG & PG)**Registration open**

आधिकारिक अधिसूचना

AILET 2027 (NLU Delhi)**Registration opens, exam date announced**

आधिकारिक अधिसूचना

AIBE (All India Bar Examination)

आधिकारिक अधिसूचना

Bihar Civil Judge (PCS-J)**Final Answer Key released**

आधिकारिक अधिसूचना

UP PCS-J (Civil Judge)

आधिकारिक अधिसूचना

JEE Main 2027

आधिकारिक अधिसूचना

JEE Advanced 2027

आधिकारिक अधिसूचना

NEET UG 2027

Counselling registration begins

आधिकारिक अधिसूचना

CUET UG 2027

आधिकारिक अधिसूचना

CBSE Class 12 Board 2027

Supplementary result expected

आधिकारिक अधिसूचना

SSC CPO 2026

आधिकारिक अधिसूचना

SSC MTS 2026

आधिकारिक अधिसूचना

IBPS Clerk 2026

Application window open

आधिकारिक अधिसूचना

SBI Clerk 2026

आधिकारिक अधिसूचना

RRB NTPC 2026

आधिकारिक अधिसूचना

NABARD Grade A 2026

आधिकारिक अधिसूचना

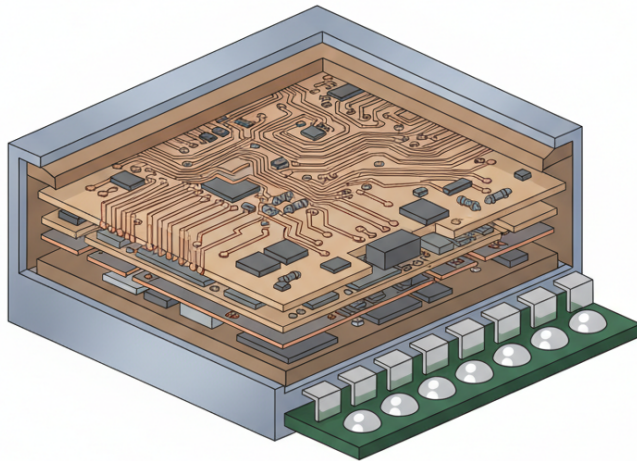
Plutus IAS

Science & Technology



इस खंड की झलक: Science & Technology

भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश: अवसर और चुनौतियाँ



3D cutaway: Want a career in chip design? Marvell's \$250 million India investment may create new semic

Semiconductor chips · R&D facilities · Engineering workforce · Manufacturing infrastructure · AI systems · Cloud computing

GS Paper III — अर्थव्यवस्था • GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी • GS Paper III —
आंतरिक सुरक्षा (तकनीकी आत्मनिर्भरता)

📌 **मार्वेल टेक्नोलॉजी का 250 मिलियन डॉलर का निवेश भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन और इंजीनियरिंग क्षमताओं को बढ़ावा देगा, जिससे देश के तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी।**

यह खबर चर्चा में क्यों?

अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी मार्वेल टेक्नोलॉजी (Marvell Technology) ने अगले तीन वर्षों में भारत में 250

प्रिलिम्स पॉइंटर

भारत सरकार 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी पहलों के माध्यम से देश में विनिर्माण और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दे रही है।

मिलियन डॉलर (लगभग 2,000 करोड़ रुपये) का निवेश करने की घोषणा की है। यह निवेश कंपनी की अनुसंधान एवं विकास (R&D) क्षमताओं, इंजीनियरिंग कार्यबल और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर केंद्रित होगा। यह कदम भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास और इंजीनियरिंग छात्रों के लिए नए अवसरों के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

मुख्य बिंदु

- भारत सरकार 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी पहलों के माध्यम से देश में विनिर्माण और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दे रही है।
- सेमीकंडक्टर चिप्स आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर का आधार हैं, जिससे इनकी वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है।
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधानों ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के महत्व को उजागर किया है।
- भारत ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना जैसी कई नीतियां शुरू की हैं।
- यह निवेश भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन और इंजीनियरिंग कौशल की बढ़ती मांग को दर्शाता है।

सेमीकंडक्टर क्षेत्र और भारत

- सेमीकंडक्टर (Semiconductor) वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक और कुचालक पदार्थों के बीच होती है। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अन्य डिजिटल गैजेट्स में चिप्स बनाने के लिए किया जाता है।

- भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें 'भारत सेमीकंडक्टर मिशन' और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं।
- सेमीकंडक्टर विनिर्माण एक जटिल और पूंजी-गहन प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक विशेषज्ञता और उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है।
- भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में मजबूत प्रतिभा पूल है, लेकिन विनिर्माण क्षमता अभी भी सीमित है।
- मार्वेल जैसी कंपनियों का निवेश भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, उच्च गति कनेक्टिविटी समाधान, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर विकास तथा सिलिकॉन इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा।
- यह निवेश भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में सहायक हो सकता है।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
मार्वेल टेक्नोलॉजी का \$250 मिलियन का निवेश	भारत में सेमीकंडक्टर (Semiconductor) क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (R&D) क्षमताओं तथा इंजीनियरिंग कार्यबल का विस्तार करेगा।
भारत में मार्वेल के संचालन के 20 वर्ष	यह निवेश कंपनी के भारत के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और यहां की इंजीनियरिंग प्रतिभा में विश्वास को दर्शाता है।
बेंगलुरु और हैदराबाद में सुविधाओं का विस्तार	भारत को एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग हब के रूप में स्थापित करेगा और उन्नत चिप डिजाइन तथा संबंधित प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता बढ़ाएगा।
कार्यबल को दोगुना करने की योजना	इंजीनियरिंग छात्रों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा और तकनीकी कौशल विकास को बढ़ावा देगा।
AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान	भारत को अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएगा।

भारत के लिए महत्व

- यह निवेश भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा देगा, जिससे आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को गति मिलेगी।
- सेमीकंडक्टर क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, विशेषकर उच्च-कुशल इंजीनियरिंग पेशेवरों के लिए।
- सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता (Self-reliance) की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी संप्रभुता के लिए आवश्यक है।
- भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence - AI), क्लाउड कंप्यूटिंग और उन्नत कनेक्टिविटी समाधानों में एक वैश्विक केंद्र के रूप में मजबूत करेगा।
- इंजीनियरिंग छात्रों को चिप डिजाइन, AI हार्डवेयर और अगली पीढ़ी की कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकियों में विशिष्ट कौशल विकसित करने के अवसर मिलेंगे।

चुनौतियाँ

- **कुशल कार्यबल की कमी** — सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण के लिए अत्यधिक विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है, जिसकी भारत में अभी भी कमी है।
- **बुनियादी ढाँचा और पारिस्थितिकी तंत्र** — सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए आवश्यक अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, परीक्षण सुविधाओं और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति जैसे बुनियादी ढांचे का अभाव।
- **अनुसंधान एवं विकास में निवेश** — भारत में निजी क्षेत्र द्वारा अनुसंधान एवं विकास में कुल निवेश अभी भी वैश्विक मानकों से कम है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा और भू-राजनीति** — सेमीकंडक्टर उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है, जिसमें कुछ ही वैश्विक खिलाड़ी हावी हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

सेमीकंडक्टर चिप्स · मार्वेल टेक्नोलॉजी · राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन · मेक इन इंडिया · PLI योजना · इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' शुरू किया गया है। 2. भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन-लिंक प्रोत्साहन (PLI) योजना लागू की गई है। 3. मार्वेल टेक्नोलॉजी ने भारत में अपने अनुसंधान एवं विकास (R&D) क्षमताओं का विस्तार करने की घोषणा की है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का संबंध हरित हाइड्रोजन उत्पादन से है, न कि सेमीकंडक्टर उद्योग से। सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए 'सेमीकॉन इंडिया' जैसी पहलें हैं। कथन 2 सही है। सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है। कथन 3 सही है। मार्वेल टेक्नोलॉजी ने भारत में \$250 मिलियन के निवेश के साथ अपनी R&D क्षमताओं के विस्तार की घोषणा की है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा कारक भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास में सहायक हो सकता है? 1. कुशल इंजीनियरिंग कार्यबल की उपलब्धता 2. सरकार द्वारा उत्पादन-लिंक प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ 3. वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश 4. घरेलू मांग में वृद्धि

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2, 3 और 4
3. केवल 1, 3 और 4
4. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: 1, 2, 3 और 4 — दिए गए सभी कारक भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास में सहायक हैं। कुशल कार्यबल, सरकारी प्रोत्साहन, विदेशी निवेश और बढ़ती घरेलू मांग सभी इस क्षेत्र के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं।

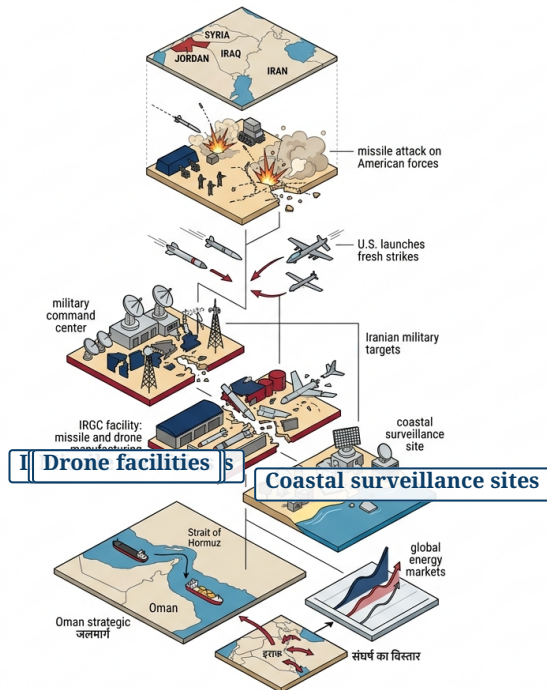
मुख्य अभ्यास प्रश्न

भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण और डिजाइन केंद्र के रूप में स्थापित करने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सरकार की प्रमुख पहलें कितनी सफल रही हैं? (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

- परिचय: भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र के महत्व और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में इसकी वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त विवरण।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की भूमिका:
 - पूंजी निवेश: प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक बड़े पैमाने पर पूंजी।
 - प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: उन्नत विनिर्माण प्रक्रियाओं और डिजाइन विशेषज्ञता का आगमन।
 - कौशल ...

मध्य-पूर्व में बढ़ता तनाव: अमेरिका-ईरान संघर्ष और क्षेत्रीय भू-राजनीति



Exploded view: US launches fresh strikes on Iranian military targets after missile attack on American for

GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध • GS Paper III — अर्थव्यवस्था

यह खबर चर्चा में क्यों?

अमेरिका ने जॉर्डन में अपने बलों पर मिसाइल हमले के एक दिन बाद ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़े सैन्य ठिकानों पर नए सिरे

से हमले किए हैं। इन हमलों ने पांच महीने से चल रहे संघर्ष को और बढ़ा दिया है, जिसका विस्तार इराक और मिस्र तक हो गया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजारों में ब्रेंट क्रूड की कीमतें बढ़ गई हैं।

याद रखें

मध्य-पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य तनाव, विशेषकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में, वैश्विक ऊर्जा बाजारों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर चुनौतियाँ पैदा कर रहा है।

मुख्य बिंदु

- जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान द्वारा मिसाइल हमला किया गया, जिसके जवाब में अमेरिका ने IRGC के ठिकानों को निशाना बनाया।
- अमेरिका के सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने सैन्य कमांड सेंटर, मिसाइल और ड्रोन सुविधाओं तथा तटीय निगरानी स्थलों सहित दर्जनों लक्ष्यों पर भारी हमले किए।
- ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) में जहाजों को निशाना बनाने की पुष्टि की, जबकि ओमान के रणनीतिक जलमार्ग के संयुक्त प्रबंधन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
- इस संघर्ष का विस्तार इराक और मिस्र तक हो गया है, जहाँ ड्रोन हमलों और सऊदी अरब के साथ संयुक्त हमलों की खबरें हैं।
- इराक के राष्ट्रपति ने इन हमलों को 'अस्वीकार्य' और 'इराक की संप्रभुता का घोर उल्लंघन' बताया है।
- बढ़ती शत्रुता के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमतें 7 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 88 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुँच गई, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर चिंताएँ बढ़ गईं।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का महत्व

- स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फारस की खाड़ी (Persian Gulf) और ओमान की खाड़ी (Gulf of Oman) के बीच स्थित एक संकीर्ण जलमार्ग है।

- यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल शिपिंग चोकपॉइंट्स (Chokepoints) में से एक है, जहाँ से वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है।
- यह जलमार्ग ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों के लिए समुद्री मार्ग प्रदान करता है।
- इसकी रणनीतिक स्थिति इसे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार की बाधा से तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हो सकती है।
- ईरान ने अतीत में इस जलमार्ग को बंद करने की धमकी दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंताएँ बढ़ी हैं।
- इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियाँ और तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव डालते हैं।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
ईरान पर अमेरिकी हमले	जॉर्डन में अमेरिकी बलों पर ईरानी मिसाइल हमले के जवाब में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया।
संघर्ष का विस्तार	यह संघर्ष ईरान और इज़राइल से आगे इराक, जॉर्डन और मिस्र तक फैल गया है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ गई है।
ऊर्जा बाजार पर प्रभाव	होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंका के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमतें 7% से अधिक बढ़कर \$88 प्रति बैरल हो गई।
इराक में संयुक्त हमले	अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित सशस्त्र समूहों पर संयुक्त हमले किए, जिसके बाद इराक की संप्रभुता के उल्लंघन का आरोप लगा।
कूटनीतिक प्रयासों की सीमाएँ	क्षेत्रीय मध्यस्थों द्वारा चल रहे कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद, सैन्य अभियानों के जारी रहने के कारण तनाव कम होने की संभावनाएँ सीमित हैं।

भारत के लिए महत्व

- मध्य पूर्व में अमेरिका-ईरान तनाव का बढ़ना, क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।
- यह संघर्ष क्षेत्र में विभिन्न गुटों (जैसे ईरान समर्थित समूह) के बीच प्रॉक्सी युद्धों (Proxy Wars) को बढ़ावा दे सकता है, जिससे हिंसा का चक्र और गहरा होगा।

- होर्मुज जलडमरूमध्य, जो वैश्विक तेल निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है, में किसी भी व्यवधान से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
- कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से भारत जैसे तेल आयातक देशों में मुद्रास्फीति (Inflation) बढ़ सकती है और आर्थिक विकास (Economic Growth) पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- यह घटना अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और जटिल बनाती है, जिससे भविष्य में कूटनीतिक समाधान की संभावनाएँ कम हो जाती हैं।

चुनौतियाँ

- **क्षेत्रीय अस्थिरता का बढ़ना** — संघर्ष का इराक, जॉर्डन और मिस्र तक फैलना क्षेत्रीय सुरक्षा को गंभीर रूप से कमजोर करता है।
- **वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा** — होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान की आशंका से वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- **कूटनीतिक समाधान की कमी** — दोनों पक्षों द्वारा सैन्य अभियानों को जारी रखने से तनाव कम करने के कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आती है।
- **मानवीय संकट का जोखिम** — संघर्ष के बढ़ने से नागरिक आबादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे विस्थापन और मानवीय सहायता की आवश्यकता बढ़ सकती है।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। 2. यह विश्व के सबसे महत्वपूर्ण तेल शिपिंग मार्गों में से एक है। 3. ईरान ने हाल ही में होर्मुज जलडमरूमध्य के संयुक्त प्रबंधन के ओमान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 और 2 सही हैं। होरमुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और यह वैश्विक तेल निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। कथन 3 गलत है क्योंकि ईरान ने ओमान के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

Q2. कारण (A): हाल ही में मध्य पूर्व में बढ़े हुए संघर्षों के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमतें 7% से अधिक बढ़ गई। **तर्क (R):** होरमुज जलडमरूमध्य से तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंकाओं ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित किया है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

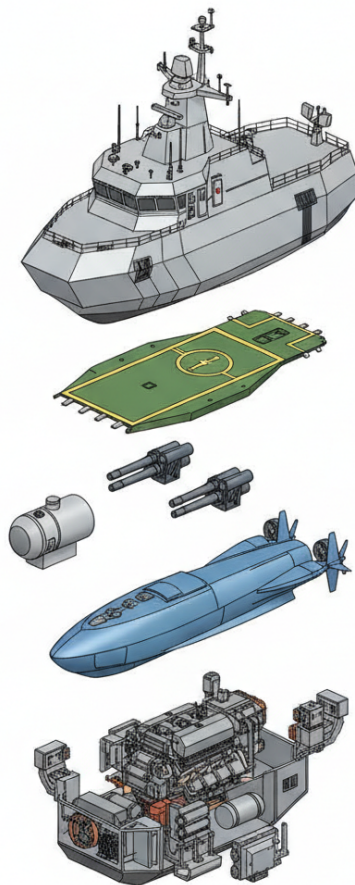
उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है। — हालिया सैन्य कार्रवाइयों और होरमुज जलडमरूमध्य से आपूर्ति बाधित होने की चिंताओं ने ब्रेंट क्रूड की कीमतों में वृद्धि की है। अतः, दोनों कथन सही हैं और तर्क कारण का सही स्पष्टीकरण है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ मध्य पूर्व में हालिया सैन्य संघर्षों ने क्षेत्रीय और वैश्विक भू-राजनीति को कैसे प्रभावित किया है? वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर इसके निहितार्थों की चर्चा कीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: उत्तर में मध्य पूर्व में हालिया सैन्य संघर्षों के कारणों और विस्तार का संक्षिप्त परिचय दें। क्षेत्रीय भू-राजनीति पर इसके प्रभावों का विश्लेषण करें, जिसमें विभिन्न देशों के बीच तनाव, गठबंधन और अस्थिरता शामिल हो। वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर इसके प्रभावों को विस्तार से समझाएं, जिसमें तेल की कीमतों में वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखलाओं पर संभावित ...

कोचीन शिपयार्ड द्वारा सातवें पनडुब्बी रोधी युद्धपोत 'मछलीपट्टनम' का जलावतरण: भारत की नौसैनिक शक्ति में वृद्धि



Exploded view: Cochin Shipyard launches seventh anti-submarine warfare vessel for Indian Navy

Anti-submarine warfare vessel · Shallow water craft · Indian Navy · Cochin Shipyard · ASW SWC project · Defense manufacturing

GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा एवं रक्षा • GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (रक्षा प्रौद्योगिकी) • GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था (रक्षा विनिर्माण)

कोचीन शिपयार्ड द्वारा सातवें ASW SWC पोत 'मछलीपट्टनम' का जलावतरण भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को मजबूत

करता है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) ने भारतीय नौसेना के लिए निर्मित किए जा रहे आठ एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर

क्राफ्ट (ASW SWC) जहाजों की श्रृंखला में सातवें पोत 'मछलीपट्टनम' का जलावतरण किया है। यह जलावतरण भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW) क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देश की समुद्री सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

प्रिलिम्स पॉइंटर

भारतीय नौसेना अपनी समुद्री सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी जहाज निर्माण पर जोर दे रही है।

मुख्य बिंदु

- भारतीय नौसेना अपनी समुद्री सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी जहाज निर्माण पर जोर दे रही है।
- ASW SWC परियोजना का उद्देश्य तटीय जल में पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए विशेष जहाजों का निर्माण करना है।
- यह परियोजना 'आत्मनिर्भर भारत' (Self-Reliant India) अभियान के तहत रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य का हिस्सा है।
- कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) भारत के प्रमुख जहाज निर्माण यार्डों में से एक है, जो नौसेना और तटरक्षक बल के लिए विभिन्न प्रकार के जहाजों का निर्माण करता है।
- इस श्रृंखला के पहले छह जहाजों का भी सफलतापूर्वक जलावतरण किया जा चुका है, जो परियोजना की प्रगति को दर्शाता है।

एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW SWC) क्या हैं?

- ASW SWC छोटे युद्धपोत हैं जिन्हें विशेष रूप से उथले तटीय जल में पनडुब्बी रोधी अभियानों (Anti-Submarine Operations) के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- ये पोत दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें बेअसर करने में सक्षम होते हैं, जिससे भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

- इन जहाजों में कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों (Low-Intensity Maritime Operations) और माइन बिछाने (Mine Laying Operations) की क्षमता भी होती है, जिसमें उपसतह निगरानी (Subsurface Surveillance) शामिल है।
- 'मछलीपट्टनम' पोत 78.0 मीटर लंबा, 11.36 मीटर चौड़ा है और इसका विस्थापन लगभग 900 टन है। इसकी अधिकतम गति 25 समुद्री मील और सहनशक्ति 1,800 समुद्री मील है।
- इन जहाजों को अत्याधुनिक सोनार (Sonar) और पनडुब्बी रोधी हथियारों से लैस किया जाता है ताकि वे प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।
- इनका निर्माण भारतीय नौसेना की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी रूप से किया गया है, जो 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देता है।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
मछलीपट्टनम (सातवाँ ASW पोत)	भारतीय नौसेना के लिए निर्मित आठ ASW-SWC (एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट) जहाजों की श्रृंखला में सातवाँ।
निर्माण	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित।
लंबाई और चौड़ाई	78.0 मीटर लंबा और 11.36 मीटर चौड़ा, उथले पानी में संचालन के लिए उपयुक्त।
विस्थापन और गति	लगभग 900 टन विस्थापन, अधिकतम गति 25 समुद्री मील (knots) और 1,800 समुद्री मील की सहनशक्ति।
संचालन क्षमता	तटीय जल में पनडुब्बी रोधी अभियान, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान और माइन बिछाने के संचालन में सक्षम।
निगरानी	पानी के नीचे निगरानी सहित विभिन्न समुद्री सुरक्षा कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया।

भारत के लिए महत्व

- यह पोत भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW) क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा, विशेष रूप से तटीय और उथले पानी के क्षेत्रों में, जो भारत की लंबी तटरेखा की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा, जिससे भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और महत्वपूर्ण समुद्री संचार लाइनों (SLOCs) की रक्षा में मदद मिलेगी।
- कोचीन शिपयार्ड द्वारा इसका निर्माण भारत की 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहलों को बढ़ावा देता है, जो घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमताओं को दर्शाता है।
- यह परियोजना भारत को रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करने और स्वदेशी रक्षा उद्योग को मजबूत करने में मदद करती है, जिससे रोजगार सृजन और तकनीकी उन्नति होती है।
- घरेलू शिपयार्डों में ऐसे जहाजों के निर्माण से भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में, और सहायक उद्योगों को भी लाभ होता है।

आगे की राह

- रक्षा बजट में निरंतर और पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित करना, विशेष रूप से पूंजीगत अधिग्रहण और अनुसंधान एवं विकास के लिए।
- घरेलू रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहलों को और बढ़ावा देना।
- महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों के स्वदेशीकरण के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाना तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- नौसेना कर्मियों के लिए उन्नत प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू करना ताकि वे आधुनिक युद्धपोतों की जटिल प्रणालियों का प्रभावी ढंग से संचालन और रखरखाव कर सकें।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'मछलीपट्टनम' भारतीय नौसेना के लिए निर्मित सातवां पनडुब्बी रोधी युद्धपोत (ASW) है। 2. इस पोत का निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स

लिमिटेड (MDL) द्वारा किया गया है। 3. ASW उथले पानी के क्राफ्ट तटीय जल में पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि 'मछलीपटनम' सातवां ASW पोत है। कथन 2 गलत है क्योंकि इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा किया गया है, न कि MDL द्वारा। कथन 3 सही है क्योंकि ASW उथले पानी के क्राफ्ट तटीय जल में पनडुब्बी रोधी अभियानों, कम-तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और माइन बिछाने के अभियानों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अतः, केवल दो कथन सही हैं।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के संदर्भ में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के महत्व को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है?

1. यह केवल विदेशी रक्षा उपकरणों के आयात को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने पर केंद्रित है।
2. यह घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने पर बल देता है।
3. इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय नौसेना के लिए केवल पनडुब्बियों का निर्माण करना है।
4. यह केवल रक्षा अनुसंधान और विकास (R&D) को बढ़ावा देता है, उत्पादन को नहीं।

उत्तर: यह घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने पर बल देता है। — 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। यह केवल आयात पर प्रतिबंध लगाने या केवल एक विशिष्ट प्रकार के उपकरण के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसमें अनुसंधान, विकास और उत्पादन शामिल है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

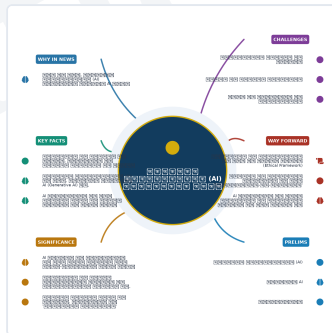
भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में स्वदेशी रक्षा विनिर्माण की भूमिका का परीक्षण कीजिए। 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत इस क्षेत्र में प्राप्त प्रमुख सफलताओं पर भी प्रकाश डालिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: परिचय: स्वदेशी रक्षा विनिर्माण के महत्व को संक्षेप में बताएं। मुख्य भाग:

1. रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में स्वदेशी विनिर्माण की भूमिका:

- रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा।
- आयात पर निर्भरता में कमी और विदेशी मुद्रा की बचत।
- रोजगार सृजन और आर्थिक विकास।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नवाचार को बढ़ावा।
- निर्यात क्षमता ...

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रशिक्षण हेतु पुस्तकों का विनाश: तकनीकी प्रगति बनाम सांस्कृतिक विरासत



माइंड मैप: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रशिक्षण हेतु पुस्तकों का विनाश

GS Paper I — भारतीय संस्कृति और विरासत • GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी • GS Paper IV — नीतिशास्त्र और मानवीय मूल्य

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कंपनियों द्वारा AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए

याद रखें

AI प्रशिक्षण हेतु पुस्तकों का विनाश तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के बीच एक

बड़ी मात्रा में मानव-लिखित सामग्री प्राप्त करने हेतु दुर्लभ पुस्तकों को नष्ट करने की खबरें सामने आई हैं। इन कंपनियों द्वारा

महत्वपूर्ण नैतिक और सांस्कृतिक दुविधा प्रस्तुत करता है।

भौतिक पुस्तकों को थोक में खरीदा जा रहा है, उनके प्रत्येक पृष्ठ को उच्च गति पर स्कैन किया जा रहा है, AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए प्रत्येक शब्द निकाला जा रहा है, और फिर मूल प्रतियों को नष्ट किया जा रहा है। इस प्रक्रिया ने तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के बीच एक नैतिक और सांस्कृतिक बहस छेड़ दी है।

मुख्य बिंदु

- पुस्तकों को सदियों से ज्ञान, संस्कृति और मानवीय अनुभवों का भंडार माना जाता रहा है, जो पीढ़ियों से विचारों और भावनाओं को संरक्षित करती रही हैं।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उदय, विशेषकर जनरेटिव AI (Generative AI) ने, बड़े डेटासेट की आवश्यकता को जन्म दिया है ताकि ये मॉडल मानव-समान सामग्री उत्पन्न कर सकें।
- AI प्रशिक्षण के लिए आवश्यक डेटा की विशाल मात्रा को पूरा करने हेतु, कंपनियां मौजूदा लिखित सामग्री, जिसमें पुस्तकें भी शामिल हैं, का उपयोग कर रही हैं।
- डिजिटलीकरण (Digitisation) की प्रक्रिया में भौतिक पुस्तकों को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित किया जाता है, जिससे उन्हें आसानी से संग्रहीत, एक्सेस और संसाधित किया जा सके।
- हालांकि, पुस्तकों को केवल डेटा स्रोत के रूप में देखना और उनके भौतिक अस्तित्व को नष्ट करना, उनके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक मूल्य पर सवाल उठाता है।
- यह मुद्दा कॉपीराइट (Copyright) कानूनों, डेटा गोपनीयता (Data Privacy) और सांस्कृतिक विरासत के नैतिक संरक्षण से संबंधित व्यापक चिंताओं को भी जन्म देता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मशीनों द्वारा मानव बुद्धि का अनुकरण है, जिसमें सीखना, समस्या-समाधान और निर्णय लेना शामिल है। जनरेटिव AI विशेष रूप से नई सामग्री, जैसे पाठ, चित्र या संगीत बनाने की क्षमता रखता है।
- AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा की आवश्यकता होती है। यह डेटा अक्सर इंटरनेट, पुस्तकालयों और अन्य स्रोतों से एकत्र किया जाता है।

- पुस्तकों का डिजिटलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भौतिक पुस्तकों को स्कैन करके डिजिटल फाइलों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया अनुसंधान, पहुंच और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।
- सांस्कृतिक विरासत (Cultural Heritage) में मूर्त (जैसे कलाकृतियाँ, इमारतें, पुस्तकें) और अमूर्त (जैसे परंपराएँ, भाषाएँ) दोनों प्रकार की वस्तुएँ शामिल हैं जो किसी समाज के इतिहास और पहचान को दर्शाती हैं।
- पुस्तकों का भौतिक अस्तित्व केवल जानकारी का वाहक नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक कलाकृति भी है जो अपने समय और संस्कृति को दर्शाती है।
- इस मुद्दे पर नैतिक दुविधा यह है कि क्या तकनीकी प्रगति के लिए सांस्कृतिक कलाकृतियों का विनाश स्वीकार्य है, भले ही उनकी सामग्री को डिजिटल रूप से संरक्षित किया गया हो।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
पुस्तकों का डिजिटलीकरण	AI मॉडलों के प्रशिक्षण के लिए विशाल डेटासेट उपलब्ध कराना।
दुर्लभ पुस्तकों का उपयोग	ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण सामग्री को AI प्रशिक्षण में शामिल करना।
भौतिक पुस्तकों का विनाश	डिजिटलीकरण के बाद मूल प्रतियों को नष्ट करना, जिससे सांस्कृतिक विरासत का नुकसान।
जेनरेटिव AI का उदय	AI की क्षमता में वृद्धि, लेकिन डेटा के लिए पुस्तकों पर अत्यधिक निर्भरता।
नैतिक और कानूनी प्रश्न	डेटा अधिग्रहण की वैधता और नैतिकता पर बहस।

भारत के लिए महत्व

- AI मॉडलों के प्रशिक्षण के लिए बड़ी मात्रा में उच्च-गुणवत्ता वाले डेटा की उपलब्धता से AI क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो सकती है।
- डिजिटलीकरण से दुर्लभ और प्राचीन ज्ञान तक पहुंच आसान हो सकती है, जिससे शोधकर्ताओं और छात्रों को लाभ मिल सकता है।

- पुस्तकों का विनाश सांस्कृतिक विरासत का अपरिवर्तनीय नुकसान है, क्योंकि भौतिक पुस्तकें केवल जानकारी का स्रोत नहीं, बल्कि ऐतिहासिक कलाकृतियाँ भी हैं।
- पुस्तकों में निहित मानवीय अनुभव, भावनाएं और यादें केवल पाठ्य सामग्री नहीं होतीं, बल्कि वे सभ्यता के विकास का प्रमाण होती हैं।
- कानूनी अनुमति होने के बावजूद, पुस्तकों को 'औद्योगिक फीडस्टॉक' मानना उनके सांस्कृतिक और बौद्धिक मूल्य को कम करता है।

आगे की राह

- पुस्तकों के डिजिटलीकरण के लिए एक नैतिक ढांचा (Ethical Framework) विकसित किया जाए, जो सांस्कृतिक संरक्षण को प्राथमिकता दे।
- दुर्लभ और ऐतिहासिक पुस्तकों के लिए 'डिजिटलीकरण-और-संरक्षण' नीति अपनाई जाए, जहां मूल प्रतियों को नष्ट न किया जाए बल्कि संरक्षित किया जाए।
- AI कंपनियों को डेटा अधिग्रहण के वैकल्पिक तरीकों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जैसे कि सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सामग्री का उपयोग।
- बौद्धिक संपदा अधिकारों और कॉपीराइट कानूनों को AI प्रशिक्षण डेटा के उपयोग के संदर्भ में अद्यतन (Update) किया जाए।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मॉडल के प्रशिक्षण के लिए बड़ी मात्रा में डेटा की आवश्यकता होती है। 2. पुस्तकों को डिजिटलाइज़ करना उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्य को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। 3. AI प्रशिक्षण के लिए पुस्तकों को नष्ट करना केवल कानूनी मुद्दा है, नैतिक नहीं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 सही है क्योंकि AI मॉडल को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए विशाल डेटासेट पर प्रशिक्षित किया जाता है। कथन 2 गलत है क्योंकि डिजिटलीकरण से पुस्तकों की भौतिक उपस्थिति समाप्त हो सकती है, लेकिन उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्य को डिजिटल प्रारूप में

संरक्षित किया जा सकता है, हालांकि भौतिक वस्तु का महत्व अलग होता है। कथन 3 गलत है क्योंकि AI प्रशिक्षण के लिए पुस्तकों को नष्ट करना कानूनी होने के साथ-साथ नैतिक दुविधाएँ भी पैदा करता है, विशेष रूप से सांस्कृतिक विरासत और बौद्धिक संपदा के संबंध में।

Q2. अभिकथन (A): कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए बड़ी मात्रा में मानव-लिखित सामग्री का उपयोग आवश्यक है। कारण (R): AI मॉडल को प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (Natural Language Processing) और सामग्री निर्माण में दक्षता प्राप्त करने के लिए विविध पाठ्य डेटा पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि AI मॉडल, विशेष रूप से जनरेटिव AI को, मानव भाषा और ज्ञान को समझने और उत्पन्न करने के लिए विशाल पाठ्य डेटा की आवश्यकता होती है। कारण (R) भी सही है और A का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि विविध पाठ्य डेटा पर प्रशिक्षण से AI मॉडल की भाषा समझ और सामग्री निर्माण क्षमताएँ बढ़ती हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के प्रशिक्षण के लिए पुस्तकों के डिजिटलीकरण और संभावित विनाश से उत्पन्न नैतिक और सांस्कृतिक चिंताओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या यह तकनीकी प्रगति सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकती है? (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

1. परिचय: AI प्रशिक्षण के लिए पुस्तकों के डिजिटलीकरण और विनाश के हालिया चलन का संक्षिप्त उल्लेख।
2. नैतिक चिंताएँ: बौद्धिक संपदा अधिकार, लेखकों के अधिकार, डेटा गोपनीयता, सहमति का अभाव, पुस्तकों को 'कच्चे माल' के रूप में देखना।
3. सांस्कृतिक चिंताएँ: भौतिक पुस्तकों का सांस्कृतिक महत्व (इतिहास, भावनाएँ, यादें), दुर्लभ पांडुलिपियों का ...

AI युग में साक्षरता संकट: एक अदृश्य चुनौती

AI literacy gap cycle



AI literacy gap cycle

GS Paper II — शिक्षा, मानव संसाधन • GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), भारतीय अर्थव्यवस्था (मानव पूंजी)

✍️ AI युग में भी, बुनियादी साक्षरता कौशल ज्ञान तक पहुँच और डिजिटल उपकरणों के प्रभावी उपयोग के लिए अपरिहार्य हैं, और इनकी कमी एक अदृश्य संकट पैदा कर रही है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बढ़ते उपयोग और ज्ञान तक इसकी पहुँच के वादों के बावजूद, भारत में एक गहरा साक्षरता संकट छिपा हुआ है। हाल ही में प्रकाशित एक लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे बुनियादी साक्षरता कौशल की कमी वाले शिक्षार्थी AI द्वारा उत्पन्न जानकारी को भी समझने में असमर्थ हैं।

प्रीलिम्स पॉइंटर

भारत में शिक्षा प्रणाली में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता (Foundational Literacy and Numeracy) की कमी एक गंभीर और लगातार बनी रहने वाली समस्या है, विशेषकर ग्रामीण और वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों में।

यह स्थिति उन छात्रों के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है जो कक्षा में पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने या लिखने में संघर्ष करते हैं और AI का उपयोग केवल अपनी कमियों को छिपाने के लिए करते हैं, जिससे उनकी वास्तविक सीखने की अक्षमता अदृश्य रह जाती है।

मुख्य बिंदु

- भारत में शिक्षा प्रणाली में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता (Foundational Literacy and Numeracy) की कमी एक गंभीर और लगातार बनी रहने वाली समस्या है, विशेषकर ग्रामीण और वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों में।
- राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (National Achievement Survey - NAS) जैसे विभिन्न सर्वेक्षणों ने प्राथमिक स्तर पर छात्रों के सीखने के परिणामों में महत्वपूर्ण अंतराल को उजागर किया है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy 2020) ने बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, इसे 'तत्काल राष्ट्रीय मिशन' के रूप में वर्णित किया है।
- सरकार ने 'निपुण भारत मिशन' (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy - NIPUN Bharat Mission) जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसका उद्देश्य 2026-27 तक ग्रेड 3 तक के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना है।
- AI और अन्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उदय ज्ञान तक पहुँच के नए अवसर प्रदान करता है, लेकिन इन उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए बुनियादी साक्षरता कौशल एक पूर्व-आवश्यकता है।
- डिजिटल डिवाइड के साथ-साथ 'साक्षरता डिवाइड' भी उभर रहा है, जहाँ डिजिटल उपकरणों तक पहुँच रखने वाले भी उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि वे उनसे प्राप्त जानकारी को पढ़ या समझ नहीं सकते।

बुनियादी साक्षरता (Foundational Literacy) क्या है?

- बुनियादी साक्षरता से तात्पर्य पढ़ने, लिखने और समझने की उन मूलभूत क्षमताओं से है जो किसी व्यक्ति को प्रभावी ढंग से संवाद करने और सीखने में सक्षम बनाती हैं।
- इसमें मुख्य रूप से छह प्रमुख घटक शामिल होते हैं, जिन्हें 'बिग सक्स' कहा जाता है: स्वनिम जागरूकता (Phonemic Awareness), ध्वन्यात्मकता (Phonics), शब्दावली

(Vocabulary), प्रवाह (Fluency), समझ (Comprehension) और मौखिक भाषा (Oral Language)।

- स्वनिम जागरूकता ध्वनि की सबसे छोटी इकाइयों को पहचानने और उनमें हेरफेर करने की क्षमता है, जबकि ध्वन्यात्मकता अक्षरों और ध्वनियों के बीच संबंध को समझने में मदद करती है।
- शब्दावली शब्दों के अर्थ का ज्ञान है, और प्रवाह बिना किसी रुकावट के सही ढंग से और उचित गति से पढ़ने की क्षमता है।
- समझ पढ़े गए पाठ के अर्थ को ग्रहण करने की क्षमता है, और मौखिक भाषा सुनने और बोलने के माध्यम से भाषा का उपयोग करने की क्षमता है।
- ये कौशल बच्चों के प्रारंभिक स्कूली शिक्षा के वर्षों में विकसित होते हैं और उच्च-स्तरीय सीखने के लिए आधारशिला का काम करते हैं।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
बुनियादी साक्षरता का अभाव	यह न केवल शिक्षा तक पहुँच को बाधित करता है, बल्कि AI जैसी उन्नत तकनीकों से लाभ उठाने की क्षमता को भी सीमित करता है।
AI का बढ़ता उपयोग	छात्र AI का उपयोग लिखित कार्य पूरा करने के लिए कर रहे हैं, जिससे उनकी वास्तविक सीखने की कमी अदृश्य रहती है।
शिक्षा प्रणाली की विफलता	बच्चों को कक्षा में प्रवेश करते समय पढ़ने के मूलभूत निर्माण खंड (जैसे ध्वन्यात्मक जागरूकता, शब्द-ज्ञान) प्रदान नहीं किए जा रहे हैं।
ज्ञान तक पहुँच का द्वार	पढ़ना ज्ञान, संस्थानों और सूचना तक पहुँच का प्राथमिक माध्यम है; इसके बिना, अन्य सभी पहुँच बाधित होती हैं।
डिजिटल विभाजन का गहराना	साक्षरता के अभाव में, AI और डिजिटल उपकरणों तक पहुँच भी अप्रभावी हो जाती है, जिससे समाज में असमानता बढ़ती है।

आगे की राह

- बुनियादी साक्षरता कौशल पर विशेष ध्यान देने वाले प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रमों को मजबूत करना, जिसमें ध्वन्यात्मक जागरूकता, शब्द-ज्ञान और समझ शामिल हो।

- शिक्षकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर निवेश करना ताकि वे छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ने और लिखने के मूलभूत कौशल सिखा सकें।
- बहुभाषी शिक्षण सामग्री और विधियों को बढ़ावा देना जो छात्रों को उनकी मातृभाषा और अन्य भाषाओं में सीखने में मदद करें।
- AI के उपयोग के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और नीतियाँ विकसित करना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सीखने की प्रक्रिया को बाधित करने के बजाय उसे पूरक करे।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का उद्देश्य 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करना है। 2. 'बिग सिक्स' अवधारणा में ध्वन्यात्मक जागरूकता, ध्वनिकी, शब्दावली, प्रवाह, समझ और मौखिक भाषा शामिल है, जिसे साक्षरता शिक्षा के आवश्यक घटक माना जाता है। 3. भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का लक्ष्य 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करना है। यह कथन सही है। कथन 2: 'बिग सिक्स' साक्षरता शिक्षा के छह प्रमुख घटकों को संदर्भित करता है: ध्वन्यात्मक जागरूकता, ध्वनिकी, शब्दावली, प्रवाह, समझ और मौखिक भाषा। यह कथन सही है। कथन 3: शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। यह कथन भी सही है।

Q2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के संदर्भ में, 'डिजिटल विभाजन' शब्द का सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है?

1. AI प्रौद्योगिकियों के विकास में देशों के बीच का अंतर।
2. AI के उपयोग से उत्पन्न नैतिक और सामाजिक चुनौतियों का अंतर।

3. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) तक पहुँच और उपयोग में व्यक्तियों, घरों, व्यवसायों और भौगोलिक क्षेत्रों के बीच का अंतर।
4. AI द्वारा संचालित मशीनों और मानव बुद्धिमत्ता के बीच का अंतर।

उत्तर: सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) तक पहुँच और उपयोग में व्यक्तियों, घरों, व्यवसायों और भौगोलिक क्षेत्रों के बीच का अंतर। — डिजिटल विभाजन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) तक पहुँच और उपयोग में असमानता को संदर्भित करता है। AI के संदर्भ में, यह उन लोगों के बीच के अंतर को उजागर करता है जिनके पास AI उपकरणों तक पहुँच है और उनका उपयोग करने की क्षमता है, और जिनके पास नहीं है, खासकर साक्षरता की कमी के कारण।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

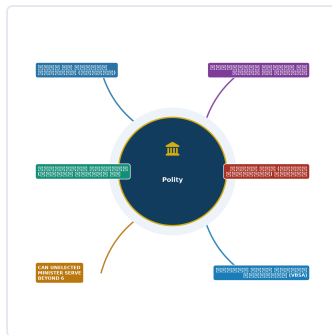
✍ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की बढ़ती पहुँच के बावजूद, भारत में एक बड़ा वर्ग अभी भी बुनियादी साक्षरता के संकट से जूझ रहा है। इस अदृश्य संकट के निहितार्थों का परीक्षण कीजिए और इसे दूर करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा कीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर कंकाल:

1. परिचय: AI के बढ़ते प्रभाव और इसके विपरीत बुनियादी साक्षरता की कमी के बीच विरोधाभास को रेखांकित करें। AI के ज्ञान तक पहुँच के वादे और साक्षरता की कमी के कारण इस तक पहुँचने में असमर्थता पर प्रकाश डालें।

2. अदृश्य संकट के निहितार्थ: शैक्षिक असमानता: शिक्षा प्रणाली में अंतराल का ...

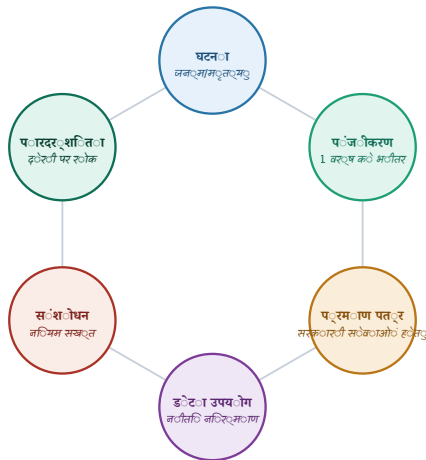
Polity



इस खंड की झलक: Polity

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026: एक विस्तृत विश्लेषण

जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रक्रिया



जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रक्रिया

GS Paper II — भारतीय राजव्यवस्था, शासन और सामाजिक न्याय

यह खबर चर्चा में क्यों?

संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 को विपक्ष के हंगामे के बीच बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया

गया। यह विधेयक जन्म और मृत्यु के देर से पंजीकरण से संबंधित नियमों को सख्त करने का प्रावधान करता है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण घटनाओं की समय पर जानकारी दर्ज कराने को बढ़ावा देना है।

याद रखें

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी के नियमों को सख्त करके महत्वपूर्ण घटनाओं की समय पर जानकारी दर्ज कराना सुनिश्चित करना है।

मुख्य बिंदु

- भारत में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को विनियमित करने के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (Births and Deaths Registration Act, 1969) लागू है।
- यह अधिनियम जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की प्रक्रिया, संबंधित अधिकारियों और पंजीकरण में देरी होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है।
- मौजूदा कानून के तहत, जन्म या मृत्यु की घटना के एक वर्ष से अधिक की देरी से पंजीकरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate), उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (Sub-Divisional Magistrate) या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट (Executive Magistrate) के आदेश की आवश्यकता होती है।
- समय पर और सटीक पंजीकरण, विभिन्न सरकारी योजनाओं, नागरिक सेवाओं और सांख्यिकीय डेटा संग्रह के लिए महत्वपूर्ण है।
- अधिनियम में संशोधन का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाना और डेटा की सटीकता में सुधार करना है।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 क्या है?

- यह विधेयक जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करता है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य जन्म और मृत्यु जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं की समय पर जानकारी दर्ज कराने को बढ़ावा देना है।

- विधेयक में देरी से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराने के नियमों को सख्त किया गया है।
- मौजूदा कानून में एक साल से अधिक की देरी के लिए जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत होती थी।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
देरी से पंजीकरण के नियम सख्त	जन्म और मृत्यु की घटनाओं का समय पर और सटीक पंजीकरण सुनिश्चित करना।
दो साल से अधिक की देरी पर न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश	पंजीकरण प्रक्रिया में अधिक कठोरता और विश्वसनीयता लाना, फर्जीवाड़े की संभावना कम करना।
मौजूदा कानून में एक साल से अधिक की देरी पर जिला/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट का आदेश	नए विधेयक में दो साल तक की देरी के लिए मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी, जिससे प्रक्रिया में निरंतरता बनी रहेगी।
जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन	वर्तमान सामाजिक और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप कानून को अद्यतन करना।
महत्वपूर्ण घटनाओं की समय पर जानकारी दर्ज कराना	नागरिकों के अधिकारों, पहचान और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आधारभूत डेटा उपलब्ध कराना।

भारत के लिए महत्व

- यह विधेयक जन्म और मृत्यु के सटीक और समयबद्ध पंजीकरण को सुनिश्चित करके नागरिकों की पहचान और अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- जन्म प्रमाण पत्र शिक्षा, रोजगार और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है, जबकि मृत्यु प्रमाण पत्र संपत्ति के उत्तराधिकार और बीमा दावों के लिए महत्वपूर्ण है।
- संशोधित कानून पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएगा, जिससे प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा।
- देरी से पंजीकरण के नियमों को सख्त करने से फर्जी या गलत पंजीकरण की संभावना कम होगी, जिससे डेटा की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

- यह विधेयक जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (Births and Deaths Registration Act, 1969) के कुछ प्रावधानों को संशोधित करता है, जिससे कानून को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके।

चुनौतियाँ

- **पंजीकरण में देरी के कारण** — ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में जागरूकता की कमी तथा पंजीकरण केंद्रों तक पहुंच का अभाव।
- **प्रशासनिक चुनौतियाँ** — पंजीकरण अधिकारियों के पास संसाधनों और प्रशिक्षण की कमी, जिससे प्रक्रिया में देरी हो सकती है।
- **डिजिटल डिवाइड** — पंजीकरण प्रक्रिया के डिजिटलीकरण से उन लोगों के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जिनके पास इंटरनेट या डिजिटल साक्षरता का अभाव है।
- **जागरूकता का अभाव** — कानून में हुए बदलावों और सख्त नियमों के बारे में आम जनता को पर्याप्त जानकारी न होना।

आगे की राह

- जन्म और मृत्यु पंजीकरण के महत्व तथा नए नियमों के बारे में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए जाएं, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में।
- पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया जाए, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों का प्रभावी उपयोग शामिल हो।
- पंजीकरण अधिकारियों और न्यायिक मजिस्ट्रेटों को नए प्रावधानों के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और उनके लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जाए।
- डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग ऑनलाइन पंजीकरण सेवाओं का लाभ उठा सकें।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 · जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 · पंजीकरण में देरी के नियम · न्यायिक मजिस्ट्रेट · जिला मजिस्ट्रेट · कार्यकारी मजिस्ट्रेट

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह विधेयक जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन करता है। 2. नए प्रावधानों के तहत, घटना के दो साल से अधिक समय बाद जन्म या मृत्यु का पंजीकरण कराने के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होगी। 3. मौजूदा कानून में एक साल से अधिक की देरी होने पर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीनों
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीनों — कथन 1 सही है क्योंकि विधेयक 1969 के मूल अधिनियम में संशोधन करता है। कथन 2 सही है क्योंकि नए विधेयक में दो साल से अधिक की देरी के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश का प्रावधान है। कथन 3 भी सही है क्योंकि मौजूदा कानून में एक साल से अधिक की देरी के लिए जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है।

Q2. जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

1. जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाना।
2. देरी से जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के नियमों को सख्त करना।
3. पंजीकरण शुल्क में वृद्धि करना।
4. विदेशी नागरिकों के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य करना।

उत्तर: देरी से जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के नियमों को सख्त करना। — विधेयक का मुख्य उद्देश्य जन्म और मृत्यु जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं की समय पर जानकारी दर्ज कराने को बढ़ावा देना और देरी से पंजीकरण के नियमों को सख्त करना है।

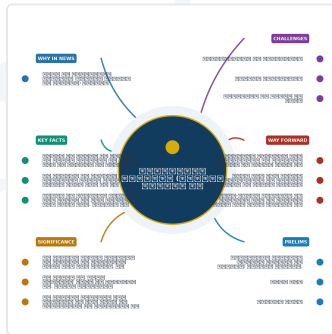
मुख्य अभ्यास प्रश्न

📌 जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रमुख प्रावधानों का परीक्षण कीजिए। यह विधेयक प्रशासनिक दक्षता और नागरिक डेटाबेस के प्रबंधन में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकता है? (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

- परिचय:** जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 का संक्षिप्त परिचय, इसके मूल अधिनियम (1969) का उल्लेख।
- प्रमुख प्रावधान:** देरी से पंजीकरण के नियमों का सख्त होना: दो साल से अधिक की देरी के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता। दो साल तक की देरी ...

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026: एक विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली की दिशा में



माइंड मैप: सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेय

GS Paper II — शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय • GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा

📌 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 का लक्ष्य पेपर लीक और अनुचित साधनों को रोकने के लिए कड़े दंड और फास्ट-ट्रैक अदालतों के माध्यम से एक विश्वसनीय और निष्पक्ष परीक्षा...

यह खबर चर्चा में क्यों?

संसद ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक,

2026 (Public Examination

(Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026) को मंजूरी दे दी है,

जिसका उद्देश्य परीक्षा में पेपर लीक और अन्य अनुचित साधनों पर अंकुश लगाना है। प्रधानमंत्री ने इसे एक विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, जो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

प्रिलिम्स पॉइंटर

पिछले कई दशकों से केंद्र और राज्य सरकारों को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है।

मुख्य बिंदु

- पिछले कई दशकों से केंद्र और राज्य सरकारों को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है।
- इस विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पारित किया गया है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा।
- सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें एक कार्य बल का गठन, फास्ट-ट्रैक अदालतों का गठन और राज्यों के विचारों को ध्यान में रखना शामिल है।
- शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) और विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि जैसे उपाय भी किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री ने पेपर लीक के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति की घोषणा की है और कहा है कि किसी को भी बच्चों के भविष्य से समझौता करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 क्या है?

- यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े प्रावधान करता है।
- इसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है ताकि छात्रों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके।
- यह विधेयक तकनीक के इष्टतम उपयोग पर भी जोर देता है ताकि परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाया जा सके।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
कठोर दंड का प्रावधान	यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है, जिसमें न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास तथा 50 लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है।
संगठित अपराधों के लिए विशेष प्रावधान	संगठित अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के लिए न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना प्रस्तावित है, जिससे बड़े पैमाने पर होने वाली धांधली पर अंकुश लगाया जा सके।
फास्ट-ट्रैक अदालतों का गठन	यह विधेयक राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सत्र न्यायालयों को विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों के रूप में नामित करने का अधिकार देता है, जिससे मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित हो सके।
परीक्षा प्रणाली में विश्वसनीयता	प्रधानमंत्री के अनुसार, यह विधेयक एक विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके।
केंद्र और राज्यों के लिए समान कानून	यह कानून केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर होने वाली परीक्षाओं में पेपर लीक और अनुचित साधनों को रोकने के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

भारत के लिए महत्व

- यह विधेयक लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेगा, जो पेपर लीक और अनुचित साधनों के कारण अपनी मेहनत के फल से वंचित रह जाते हैं।
- यह छात्रों में परीक्षा प्रणाली के प्रति विश्वास बहाल करेगा और उन्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- यह सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
- यह केंद्र और राज्य सरकारों को पेपर लीक की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक मजबूत कानूनी उपकरण प्रदान करेगा।
- यह शिक्षा प्रणाली में सुधारों को गति देगा और परीक्षाओं की पवित्रता को बनाए रखने में मदद करेगा।

चुनौतियाँ

- **कार्यान्वयन की चुनौतियाँ** — इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधनों और प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता होगी।
- **तकनीकी चुनौतियाँ** — पेपर लीक के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नई तकनीकों और तरीकों का मुकाबला करने के लिए लगातार तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता होगी।
- **जागरूकता और सहयोग का अभाव** — इस कानून के प्रावधानों के बारे में छात्रों, अभिभावकों और परीक्षा अधिकारियों के बीच जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा।
- **संगठित गिरोहों से निपटना** — पेपर लीक में शामिल संगठित गिरोहों की पहचान करना और उन्हें जड़ से खत्म करना एक जटिल कार्य होगा, जिसके लिए खुफिया जानकारी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय की आवश्यकता होगी।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह विधेयक केवल केंद्र सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर लागू होता है। 2. इस विधेयक के तहत संगठित अपराधों के लिए न्यूनतम सात साल की जेल और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना प्रस्तावित है। 3. यह विधेयक राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को किसी भी सत्र न्यायालय को विशेष फास्ट-ट्रैक न्यायालय के रूप में नामित करने का अधिकार देता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि विधेयक सभी सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होता है, चाहे वे केंद्र या राज्य द्वारा आयोजित की गई हों। कथन 2 सही है क्योंकि विधेयक में संगठित अपराधों के लिए न्यूनतम सात साल की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान है। कथन 3 सही है क्योंकि विधेयक राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को सत्र न्यायालयों को विशेष फास्ट-ट्रैक न्यायालयों के रूप में नामित करने का अधिकार देता है।

Q2. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? 1. परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकना। 2. पेपर लीक करने वाले गिरोहों के

खिलाफ सख्त कार्रवाई करना। 3. परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना।
4. शिक्षा क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा देना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2, 3 और 4
3. केवल 1, 2 और 3
4. केवल 1, 3 और 4

उत्तर: केवल 1, 2 और 3 — विकल्प 1, 2 और 3 विधेयक के मुख्य उद्देश्यों को दर्शाते हैं। विधेयक का उद्देश्य अनुचित साधनों को रोकना, पेपर लीक करने वाले गिरोहों पर नकेल कसना और परीक्षा प्रणाली में विश्वसनीयता लाना है। विकल्प 4 विधेयक का उद्देश्य नहीं है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

📌 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 के प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए। यह विधेयक भारत में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में कितना सफल होगा? (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

1. परिचय: सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 का संक्षिप्त परिचय और इसके पारित होने का संदर्भ।
2. विधेयक के प्रमुख प्रावधान: विधेयक के मुख्य प्रावधानों का विस्तृत विश्लेषण, जिसमें निम्नलिखित शामिल हों: क. व्यक्तिगत अपराधों के लिए सजा (न्यूनतम 5 से अधिकतम 10 साल की जेल और 50 लाख ...

Can Unelected Minister Serve Beyond 6 Months? Constitutional Puzzle In Supreme Court

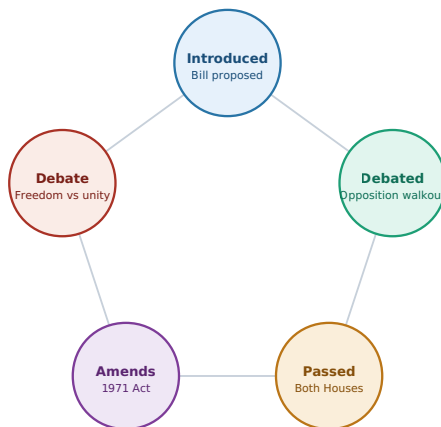


स्रोत: [Wikimedia Commons](#) — President's Secretariat (GODL-India)

Can Unelected Minister Serve Beyond 6 Months? Constitutional Puzzle In Supreme Court

राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026: एक विस्तृत विश्लेषण

Vande Mataram Bill Process



Vande Mataram Bill Process

GS Paper II — भारतीय संविधान - ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और मूल संरचना • GS Paper II — संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं

चुनौतियाँ • GS Paper II — संसद और राज्य विधायिका - संरचना, कार्य संचालन, शक्तियों एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय

📌 **राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य 'वंदे मातरम' के जानबूझकर अपमान को दंडनीय अपराध बनाना है, जिससे इसे राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के समान कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा।**

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, संसद के मानसून सत्र के दौरान राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 (Prevention of Insults to National Honour

प्रीलिम्स पॉइंटर

राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) पहले से ही राष्ट्रीय ध्वज और भारत के संविधान के अपमान को दंडनीय बनाता है।

(Amendment) Bill, 2026) को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है। यह विधेयक 'वंदे मातरम' के जानबूझकर अपमान को दंडनीय अपराध बनाता है। इस विधेयक के पारित होने के दौरान विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया और सदन से वॉकआउट भी किया, जिसमें कुछ सदस्यों ने इसे 'हिंदुत्व एजेंडा' और 'संघवाद विरोधी' बताया।

मुख्य बिंदु

- राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) पहले से ही राष्ट्रीय ध्वज और भारत के संविधान के अपमान को दंडनीय बनाता है।
- यह अधिनियम राष्ट्रीय गान को गाने से जानबूझकर रोकने या ऐसे गायन में लगे किसी भी समूह को बाधित करने पर भी रोक लगाता है।
- ऐसे अपराधों के लिए तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
- वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है।
- संविधान सभा ने 24 जनवरी, 1950 को 'जन गण मन' को राष्ट्रगान और 'वंदे मातरम' को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था।

- राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान के समान दर्जा प्राप्त है, हालांकि इसके गायन के लिए कोई संवैधानिक या कानूनी बाध्यता नहीं है।

राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 क्या है?

- यह विधेयक राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 में संशोधन करता है।
- संशोधन का मुख्य उद्देश्य 'वंदे मातरम' के जानबूझकर अपमान को एक दंडनीय अपराध बनाना है।
- विधेयक के अनुसार, 'वंदे मातरम' का अपमान करने पर वही दंड लागू होगा जो राष्ट्रीय ध्वज या संविधान के अपमान के लिए निर्धारित है, अर्थात् तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों।
- सरकार का तर्क है कि यह विधेयक 'वंदे मातरम' को राष्ट्रगान के समान सम्मान प्रदान करेगा और 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के विचार को बढ़ावा देगा।
- विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध करते हुए इसे राष्ट्रवाद के नाम पर 'हिंदुत्व एजेंडा' थोपने और देश की धर्मनिरपेक्षता तथा संघीय ढाँचे के विरुद्ध बताया है।
- कुछ सदस्यों ने यह भी तर्क दिया है कि राष्ट्रवाद को कानून द्वारा थोपा नहीं जा सकता और यह विधेयक धुवीकरण को बढ़ावा देगा।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
वंदे मातरम का अपमान दंडनीय अपराध	यह विधेयक 'वंदे मातरम' के जानबूझकर किए गए अपमान को दंडनीय अपराध बनाता है।
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026	यह विधेयक मौजूदा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम (Prevention of Insults to National Honour Act) में संशोधन करता है।
राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रीय गान के समान दर्जा	सरकार का तर्क है कि यह विधेयक 'वंदे मातरम' को 'जन गण मन' के समान दर्जा प्रदान करेगा।
सजा का प्रावधान	अपराधियों को तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
	लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने इस विधेयक को पारित कर दिया है।

विशेषता	महत्व
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित	

भारत के लिए महत्व

- यह विधेयक 'वंदे मातरम' को राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीक के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।
- सरकार का मानना है कि यह कदम राष्ट्रीय एकता और अखंडता (National Unity and Integrity) की भावना को मजबूत करेगा।
- यह विधेयक राष्ट्रवाद और देशभक्ति के इर्द-गिर्द राजनीतिक बहस को तेज करता है, जिसमें विपक्ष इसे 'हिंदुत्व एजेंडा' का हिस्सा बता रहा है।
- विधेयक का पारित होना सरकार के लिए एक प्रतीकात्मक जीत है, जो राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- यह मौजूदा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के दायरे का विस्तार करता है, जिसमें अब 'वंदे मातरम' का अपमान भी शामिल है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

वंदे मातरम · राष्ट्रीय गीत · राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम · संसद · राज्यसभा · लोकसभा · मौलिक कर्तव्य · धर्मनिरपेक्षता

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के अपमान को दंडनीय बनाता है। 2. वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। 3. राष्ट्रीय गीत को गाने या उसका सम्मान करने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन

4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 सही है। मूल अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान को दंडनीय बनाता है। कथन 2 गलत है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है जैसे राष्ट्रगान को मिला है। कथन 3 गलत है। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026, वंदे मातरम के जानबूझकर अपमान को दंडनीय अपराध बनाता है, जिससे इसके सम्मान के लिए एक कानूनी बाध्यता स्थापित होती है।

Q2. अभिकथन (A): राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026, वंदे मातरम के जानबूझकर अपमान को दंडनीय अपराध बनाता है। कारण (R): यह विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान दर्जा प्रदान करने का प्रयास करता है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है, क्योंकि विधेयक का मुख्य उद्देश्य वंदे मातरम के जानबूझकर अपमान को दंडनीय बनाना है। कारण (R) भी सही है, क्योंकि विधेयक के समर्थकों ने तर्क दिया है कि यह वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान दर्जा देगा। साथ ही, कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या भी है, क्योंकि राष्ट्रगान के समान दर्जा देने का प्रयास ही इस विधेयक को लाने का एक प्रमुख कारण है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

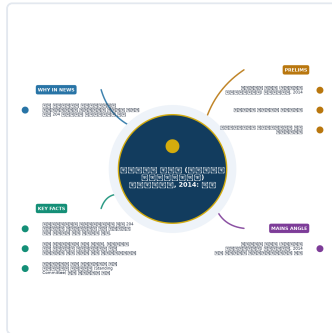
✍️ राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने वाले हालिया विधेयक के आलोक में, राष्ट्रवाद को कानून द्वारा थोपने के प्रयासों से जुड़े संवैधानिक और संघीय सरोकारों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

1. परिचय: राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 का संक्षिप्त उल्लेख और उसका उद्देश्य (वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाना)।

2. विधेयक के प्रावधान और उद्देश्य: विधेयक के मुख्य प्रावधानों का वर्णन और सरकार का तर्क कि यह 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के लिए राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान के ...

कोयला खान (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2014: एक विस्तृत विश्लेषण



माइंड मैप: कोयला खान (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2014: एक विस्तृत विश्

GS Paper II — भारतीय संविधान, संघवाद, संसद और राज्य विधायिका—संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय • GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय, आधारभूत संरचना (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि)

यह खबर चर्चा में क्यों?

यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए गए 204 कोयला ब्लॉकों की नए सिरे से नीलामी का प्रावधान करता है। सरकार ने इस विधेयक को 'त्वरित' आवश्यकता बताया है, क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उत्पन्न हुई स्थिति को संबोधित करता है और बिजली आपूर्ति तथा रोज़गार सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

याद रखें

कोयला खान (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2014 का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए गए कोयला ब्लॉकों की पारदर्शी नीलामी के माध्यम से देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और कोयला क्षेत्र में स्थिरता लाना है।

मुख्य बिंदु

- सर्वोच्च न्यायालय ने 204 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द कर दिया था, जिससे कोयला क्षेत्र में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
- इस निर्णय के बाद, सरकार ने कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए एक अध्यादेश (Ordinance) जारी किया था, जिसे अब विधेयक के माध्यम से प्रतिस्थापित किया जा रहा है।
- विपक्ष ने विधेयक को स्थायी समिति (Standing Committee) को भेजने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे आवश्यक नहीं माना, क्योंकि यह अध्यादेश पहले ही व्यापक बहस का विषय रहा है।
- विधेयक में 'अंतिम उपयोग' (end use) खंड पर विपक्ष ने चिंता जताई है, उनका मानना है कि यह केंद्र सरकार को विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करता है।
- कुछ विपक्षी दलों ने यह भी तर्क दिया कि विधेयक में कोयला खनिकों की कार्य स्थितियों में सुधार या कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Ltd.) को मजबूत करने के प्रावधान शामिल नहीं हैं।
- राज्यों के स्वामित्व वाले संसाधनों से राजस्व के बंटवारे पर भी केंद्र और राज्यों के बीच संघवाद से संबंधित मुद्दे उठाए गए हैं।

कोयला खान (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2014 क्या है?

- यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए गए 204 कोयला ब्लॉकों के नए सिरे से आवंटन का मार्ग प्रशस्त करता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी और आवंटन के लिए एक पारदर्शी तंत्र स्थापित करना है।
- यह विधेयक उस अध्यादेश का स्थान लेता है जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद कोयला क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए लाया गया था।
- विधेयक में कोयला ब्लॉकों के 'अंतिम उपयोग' को परिभाषित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य उपयोग भी शामिल हो सकता है।
- यह विधेयक कोयला क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और देश की ऊर्जा सुरक्षा (energy security) सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है।

- विधेयक के तहत, नीलामी से प्राप्त राजस्व उन राज्यों को जाएगा जहाँ कोयला खदानें स्थित हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

कोयला खान (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2014 · कोयला ब्लॉक आवंटन · सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय · अध्यादेश · लोकसभा · राज्यसभा · कोयला इंडिया लिमिटेड (CIL) · संघवाद

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कोयला खान (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2014 का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए गए कोयला ब्लॉकों का पुनः आवंटन करना है। 2. यह विधेयक केवल विनियमित संस्थाओं के लिए उत्क्रम नीलामी (reverse auction) का प्रावधान करता है। 3. विधेयक में 'अंत-उपयोग' (end-use) की परिभाषा केंद्र सरकार को विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि विधेयक का मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए गए 204 कोयला ब्लॉकों की नीलामी करना था। कथन 2 गलत है क्योंकि विधेयक में विनियमित और अविनियमित दोनों संस्थाओं के लिए अलग-अलग आवंटन प्रणालियों का प्रस्ताव था, जिसमें विनियमित संस्थाओं के लिए मूल्य सीमा और उत्क्रम नीलामी तथा अविनियमित संस्थाओं के लिए राजस्व अधिकतमकरण शामिल था। कथन 3 सही है क्योंकि विपक्ष ने 'अंत-उपयोग' की परिभाषा पर चिंता व्यक्त की थी, जिसमें 'केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य उपयोग' शामिल था, जिसे विवेकाधीन माना गया था।

Q2. अभिकथन (A): केंद्र सरकार ने कोयला खान (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2014 को शीघ्रता से पारित करने पर जोर दिया। कारण (R): सर्वोच्च न्यायालय ने 204 कोयला ब्लॉकों के आवंटन

को रद्द कर दिया था, जिससे रोजगार के नुकसान और बिजली आपूर्ति में व्यवधान की आशंका थी। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि सरकार ने विधेयक को शीघ्रता से पारित करने पर जोर दिया था। कारण (R) भी सही है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कारण उत्पन्न स्थिति (रोजगार हानि और बिजली आपूर्ति की चिंता) को संबोधित करने के लिए अध्यादेश मार्ग अपनाया गया था, जिसे बाद में विधेयक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अतः, R, A का सही स्पष्टीकरण है।

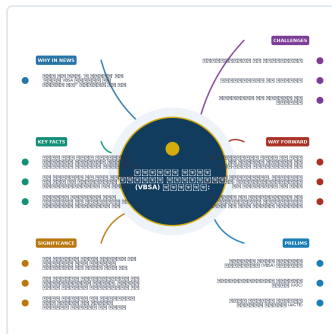
मुख्य अभ्यास प्रश्न

कोयला खान (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2014 के मुख्य प्रावधानों पर चर्चा कीजिए और खनन क्षेत्र में पारदर्शिता तथा दक्षता लाने में इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

1. परिचय: कोयला खान (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2014 का संक्षिप्त परिचय, इसके पारित होने का संदर्भ (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोयला ब्लॉक रद्द करना) और इसका प्राथमिक उद्देश्य (पुनः आवंटन)।
2. मुख्य प्रावधान: विधेयक के प्रमुख प्रावधानों का विस्तार से वर्णन करें: 204 रद्द किए गए कोयला ब्लॉकों की नीलामी/आवंटन। कोयला इंडिया ...

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक: उच्च शिक्षा विनियमन में सुधार की दिशा में एक कदम



माइंड मैप: विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक: उच्च शिक्षा व

GS Paper II — शिक्षा, मानव संसाधन • GS Paper II — सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्थ-न्यायिक निकाय

📌 विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक UGC, AICTE और NCTE को प्रतिस्थापित कर एक एकल छत्र नियामक निकाय स्थापित करने का प्रस्ताव करता है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के विनियमन, प्रत्यायन और...

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, 'द हिंदू' ने 'क्या VBSA विधेयक अब पूर्ण है?' शीर्षक से एक वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक पर विस्तार से चर्चा की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान द्वारा दिसंबर 2025 में पेश किया गया यह विधेयक, उच्च शिक्षा के नियामक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रस्ताव करता है, जिससे यह वर्तमान में चर्चा का एक प्रमुख विषय बना हुआ है।

प्रीलिम्स पॉइंटर

भारत में उच्च शिक्षा का विनियमन वर्तमान में कई निकायों द्वारा किया जाता है, जिनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) प्रमुख हैं।

मुख्य बिंदु

- भारत में उच्च शिक्षा का विनियमन वर्तमान में कई निकायों द्वारा किया जाता है, जिनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) प्रमुख हैं।
- इन निकायों के बीच समन्वय की कमी और ओवरलैपिंग क्षेत्राधिकार को लेकर लंबे समय से चिंताएँ व्यक्त की जा रही हैं।
- शिक्षा क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता को विभिन्न समितियों और शिक्षाविदों द्वारा लगातार रेखांकित किया गया है, जिसमें नियामक ढाँचे को सुव्यवस्थित करना भी शामिल है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने भी उच्च शिक्षा में एकल नियामक (single regulator) की अवधारणा का समर्थन किया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना है।
- VBSA विधेयक इसी पृष्ठभूमि में लाया गया है, जिसका लक्ष्य भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी और कुशल बनाना है।
- यह विधेयक शिक्षा क्षेत्र में 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विधायी पहल है।

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक क्या है?

- विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक का उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) जैसे मौजूदा नियामक निकायों को प्रतिस्थापित करना है।
- यह विधेयक एक 12-सदस्यीय छत्र आयोग (umbrella Commission) की स्थापना का प्रस्ताव करता है, जिसे 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान' के नाम से जाना जाएगा।
- इस अधिष्ठान के तहत तीन अलग-अलग परिषदें कार्य करेंगी: विनियमन (regulation) के लिए, प्रत्यायन (accreditation) के लिए और मानक-निर्धारण (standards-setting) के लिए।
- इसका मुख्य लक्ष्य उच्च शिक्षा के विनियमन, प्रत्यायन और मानक-निर्धारण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और एकीकृत करना है।
- यह विधेयक शिक्षा की गुणवत्ता, पहुंच और प्रासंगिकता को बढ़ाने के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करने का प्रयास करता है।

- VBSA का गठन शिक्षा क्षेत्र में 'एक राष्ट्र, एक नियामक' (One Nation, One Regulator) के सिद्धांत को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
UGC, AICTE और NCTE का प्रतिस्थापन	उच्च शिक्षा नियामक निकायों का एकीकरण, जिससे विखंडन और दोहराव समाप्त होगा।
एकल 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान' (VBSA) आयोग	समग्र उच्च शिक्षा परिदृश्य के लिए एक एकीकृत और सुसंगत नियामक ढाँचा प्रदान करेगा।
12 सदस्यीय छत्र आयोग	विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा और नीति निर्माण में व्यापक दृष्टिकोण लाएगा।
तीन पृथक परिषदें (विनियमन, प्रत्यायन, मानक-निर्धारण)	नियामक कार्यों में विशेषज्ञता और दक्षता लाएगा, जिससे प्रत्येक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा पेश किया गया	सरकार की उच्च शिक्षा सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत के लिए महत्व

- यह विधेयक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नियामक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- यह मौजूदा कई नियामक निकायों (UGC, AICTE, NCTE) को एक छत्र आयोग के तहत लाकर नियामक विखंडन को संबोधित करता है।
- यह नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अनुपालन बोझ कम होगा।
- यह विनियमन, प्रत्यायन और मानक-निर्धारण के लिए स्पष्ट भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ स्थापित करेगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
- उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से बेहतर रोजगार क्षमता और कौशल विकास होगा।

चुनौतियाँ

- **कार्यान्वयन की चुनौतियाँ** — मौजूदा निकायों से नए आयोग में संक्रमण एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है।
- **स्वायत्तता का मुद्दा** — यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि नया आयोग राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करे।
- **गुणवत्ता और मानकों का रखरखाव** — यह सुनिश्चित करना एक चुनौती होगी कि एकीकरण से गुणवत्ता मानकों में कमी न आए।
- **संघवाद पर प्रभाव** — उच्च शिक्षा समवर्ती सूची (Concurrent List) का विषय है, इसलिए राज्यों के साथ समन्वय महत्वपूर्ण होगा।

आगे की राह

- संक्रमणकालीन अवधि के लिए एक स्पष्ट रोडमैप और समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।
- सभी हितधारकों, विशेषकर राज्यों, विश्वविद्यालयों और शिक्षकों के साथ व्यापक परामर्श किया जाना चाहिए।
- नए आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कानूनी और संस्थागत सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए।
- विनियमन, प्रत्यायन और मानक-निर्धारण के लिए स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी मानदंड विकसित किए जाने चाहिए।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. विक्सित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBISA) विधेयक, 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह विधेयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) का स्थान लेगा। 2. इसके तहत तीन अलग-अलग परिषदें - विनियमन, प्रत्यायन और मानक-निर्धारण के लिए कार्य करेंगी। 3. यह विधेयक केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा दिसंबर 2025 में प्रस्तुत किया गया था। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो

3. सभी तीन

4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि VBSA विधेयक UGC, AICTE और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) का स्थान लेगा। कथन 2 सही है क्योंकि VBSA के तहत विनियमन, प्रत्यायन और मानक-निर्धारण के लिए तीन अलग-अलग परिषदें होंगी। कथन 3 भी सही है क्योंकि विधेयक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान द्वारा दिसंबर 2025 में प्रस्तुत किया गया था।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा निकाय विक्सित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक, 2025 द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा?

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)
2. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)
3. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE)
4. भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI)

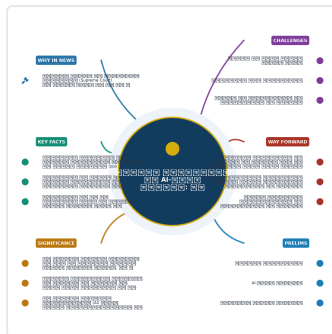
उत्तर: भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) — VBSA विधेयक UGC, AICTE और NCTE को प्रतिस्थापित करने का इरादा रखता है, जबकि भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) इससे अप्रभावित रहेगी।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

📌 विक्सित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक, 2025 का उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा के नियामक परिदृश्य को कैसे बदलना है? इस विधेयक से अपेक्षित संभावित लाभों और चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: उत्तर में VBSA विधेयक के मुख्य प्रावधानों का उल्लेख होना चाहिए, जैसे कि UGC, AICTE और NCTE का प्रतिस्थापन एक एकल 'विक्सित भारत शिक्षा अधिष्ठान' द्वारा। इसमें तीन अलग-अलग परिषदों (विनियमन, प्रत्यायन, मानक-निर्धारण) के गठन पर भी चर्चा होनी चाहिए। संभावित लाभों में नियामक अतिव्यापीकरण में कमी, पारदर्शिता में वृद्धि, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ...

डिजिटल गिरफ्तारी और AI-जनित डीपफेक: नए आपराधिक कानून की आवश्यकता



माइंड मैप: डिजिटल गिरफ्तारी और AI-जनित डीपफेक: नए आपराधिक कानून की

GS Paper II — भारतीय संविधान, शासन और सामाजिक न्याय • GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा और साइबर सुरक्षा

यह खबर चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) को सूचित किया है कि वह संसद के मौजूदा सत्र में एक विधेयक पेश करने की योजना बना रही है, जिसमें डिजिटल गिरफ्तारी (Digital

Arrest) और AI-जनित डीपफेक (AI-generated Deepfakes) को विशिष्ट आपराधिक अपराध बनाया जाएगा। यह कदम सर्वोच्च न्यायालय की उस टिप्पणी के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि मौजूदा कानून इन अपराधों से विशेष रूप से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

याद रखें

केंद्र सरकार डिजिटल गिरफ्तारी और AI-जनित डीपफेक को विशिष्ट आपराधिक अपराध बनाने के लिए संसद में एक नया विधेयक पेश करेगी, क्योंकि मौजूदा कानून इन उभरते साइबर अपराधों से निपटने में अपर्याप्त पाए गए हैं।

मुख्य बिंदु

- सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों पर स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए सुनवाई की, जिसमें पाया गया कि इन अपराधों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट दंडात्मक कानून नहीं है।
- न्यायालय ने सरकार से डिजिटल गिरफ्तारी को दंडात्मक कानूनों में औपचारिक रूप से परिभाषित करने और कठोर दंड के साथ एक अलग अपराध बनाने का आग्रह किया।

- न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि मौजूदा कानून डीपफेक जैसे नए डिजिटल अपराधों को कवर नहीं करते हैं, जिनका उपयोग धोखाधड़ी और प्रतिरूपण (impersonation) के लिए किया जा सकता है।
- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर उनसे परामर्श किया है और विधेयक को संसद में पेश करने की संभावना है।
- महान्यायवादी (Attorney General) आर. वेंकटरमणी ने बताया कि एक अंतर-विभागीय समिति (inter-departmental committee) के माध्यम से समन्वित कार्रवाई ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों की घटनाओं को काफी कम किया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने CBI को देश भर में डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों की जांच करने का भी निर्देश दिया है, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है।

डिजिटल गिरफ्तारी और AI-जनित डीपफेक क्या हैं?

- डिजिटल गिरफ्तारी: यह एक प्रकार का साइबर धोखाधड़ी है जहाँ अपराधी खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी (law enforcement officer) या सरकारी अधिकारी बताकर पीड़ितों को ऑनलाइन माध्यमों से 'गिरफ्तार' करने की धमकी देते हैं। वे अक्सर पीड़ितों से पैसे ऐंठने के लिए उन्हें डराते-धमकाते हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) या अन्य अपराधों में फँसाने की धमकी शामिल होती है।
- AI-जनित डीपफेक: ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) का उपयोग करके बनाई गई नकली छवियाँ, वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग होती हैं, जो इतनी वास्तविक दिखती या सुनाई देती हैं कि उन्हें असली से अलग करना मुश्किल होता है। इनका उपयोग गलत सूचना फैलाने, मानहानि करने, धोखाधड़ी करने या प्रतिरूपण के लिए किया जा सकता है।
- मौजूदा कानूनी ढाँचा: भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) और भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के कुछ प्रावधान मौजूद हैं। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि ये कानून डिजिटल गिरफ्तारी और डीपफेक जैसे विशिष्ट, उभरते अपराधों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करते हैं।
- अनुच्छेद 142: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को 'पूर्ण न्याय' करने के लिए ऐसे आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है जो किसी भी मामले में उसके समक्ष लंबित हों। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस अनुच्छेद के तहत वह न तो किसी अपराध को परिभाषित कर सकता है और न ही कोई नया अपराध बना सकता है, यह कार्य विधायिका (legislature) के अधिकार क्षेत्र में आता है।

- नए कानून की आवश्यकता: डिजिटल गिरफ्तारी में जबरन वसूली (extortion), डकैती (robbery) और संगठित अपराध (organised crime) के तत्व शामिल होते हैं, जबकि डीपफेक धोखाधड़ी और प्रतिरूपण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन गए हैं। इन अपराधों की बढ़ती जटिलता और व्यापकता के कारण एक विशिष्ट और कठोर दंडात्मक कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
- प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य: प्रस्तावित विधेयक का लक्ष्य इन नए युग के अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, उनके लिए विशिष्ट कानूनी परिणाम निर्धारित करना और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है, जिसमें संपत्ति जब्त करने जैसे प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं।

भारत के लिए महत्व

- यह विधेयक डिजिटल अपराधों के लिए एक विशिष्ट कानूनी ढांचा प्रदान करेगा, जो वर्तमान में भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code - IPC) जैसे मौजूदा कानूनों में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं।
- यह सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों और डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए नए कानूनों की आवश्यकता पर उसकी सक्रियता का सीधा परिणाम है।
- डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों और डीपफेक के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी से आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, जिससे वित्तीय और भावनात्मक नुकसान कम होगा।
- यह समाज में डिजिटल साक्षरता और जागरूकता बढ़ाने में भी सहायक होगा, क्योंकि लोग इन नए अपराधों के बारे में अधिक जानेंगे।
- यह विधेयक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के नैतिक और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देगा, साथ ही इसके दुरुपयोग को रोकेगा।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सुप्रीम कोर्ट ने 'डिजिटल गिरफ्तारी' और 'AI-जनित डीपफेक' को विशिष्ट आपराधिक अपराध बनाने के लिए नए कानून की आवश्यकता पर बल दिया है। 2. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे वह नए अपराधों को परिभाषित कर सकता है। 3. केंद्र सरकार संसद में एक

विधेयक पेश करने की योजना बना रही है ताकि मौजूदा कानूनों में इन अपराधों से संबंधित कमियों को दूर किया जा सके। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन अपराधों के लिए विशिष्ट कानून की आवश्यकता पर जोर दिया है। कथन 2 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने की शक्ति देता है, लेकिन यह उसे कानून बनाने या नए अपराधों को परिभाषित करने की शक्ति नहीं देता है, जैसा कि स्वयं न्यायालय ने उल्लेख किया है। कानून बनाने का कार्य विधायिका का है। कथन 3 सही है क्योंकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह इन अपराधों को आपराधिक बनाने के लिए एक विधेयक पेश करेगी।

Q2. अभिकथन (A): सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों और AI-जनित डीपफेक से निपटने के लिए विशिष्ट दंडात्मक कानूनों की कमी को उजागर किया है। कारण (R): भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) जैसे मौजूदा कानून इन उभरते हुए साइबर अपराधों को पूरी तरह से कवर नहीं करते हैं।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मौजूदा कानूनों में इन अपराधों से निपटने के लिए विशिष्ट प्रावधानों की कमी है। कारण (R) भी सही है क्योंकि मौजूदा कानून, जैसे कि IPC और IT अधिनियम, इन नए और जटिल डिजिटल अपराधों को पूरी तरह से संबोधित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, जिसके कारण नए कानून की आवश्यकता महसूस की गई है। R, A की सही व्याख्या है क्योंकि मौजूदा कानूनों की अपर्याप्तता ही सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन का कारण है।

📌 डिजिटल गिरफ्तारी और AI-जनित डीपफेक जैसे उभरते साइबर अपराधों से निपटने के लिए विशिष्ट कानूनों की आवश्यकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मौजूदा कानूनी ढाँचा इन चुनौतियों का समाधान करने में कहाँ तक सफल रहा है? (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

- परिचय: डिजिटल गिरफ्तारी और AI-जनित डीपफेक की संक्षिप्त परिभाषा और उनके बढ़ते खतरे का उल्लेख। सुप्रीम कोर्ट के हालिया अवलोकन का संदर्भ।
- विशिष्ट कानूनों की आवश्यकता: a. मौजूदा कानूनों की अपर्याप्तता: भारतीय दंड संहिता (IPC) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) के तहत इन अपराधों को सीधे संबोधित करने वाले विशिष्ट ...

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026: एक विस्तृत विश्लेषण

MSME Amendment Bill 2026

MSME Classification	Investment Turnover
Memorandum Filing	Voluntary For all MSMEs
TReDS Payment	Mandatory For CPSEs
Dispute Resolution	Time-bound Arbitration
Ease of Doing Business	Improved New entrants

MSME Amendment Bill 2026

GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था और नियोजन, संसाधन जुटाना, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित विषय • GS Paper II — सरकार की नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय

📌 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 MSMEs के वर्गीकरण मानदंडों को संशोधित करता है, पंजीकरण को स्वैच्छिक बनाता है, CPSEs के लिए TReDS को अनिवार्य करता है, और भुगतान विवादों के...

यह खबर चर्चा में क्यों?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 को 28 जुलाई, 2026 को राज्यसभा में पेश किया गया था।

यह विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

विकास अधिनियम, 2006 में संशोधन करना चाहता है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के संवर्धन और विकास को सुगम बनाना है। यह विधेयक MSMEs के वर्गीकरण के मानदंडों, पंजीकरण प्रक्रिया, भुगतान विवादों के निपटारे और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSEs) के लिए TReDS के माध्यम से चालानों के निपटारे को अनिवार्य बनाने जैसे महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित करता है।

प्रीलिम्स पॉइंटर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो रोजगार सृजन, नवाचार और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

मुख्य बिंदु

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो रोजगार सृजन, नवाचार और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- MSME विकास अधिनियम, 2006 को MSMEs के संवर्धन, विकास और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- अधिनियम के तहत, MSMEs का वर्गीकरण संयंत्र और मशीनरी (विनिर्माण के मामले में) या उपकरण (सेवाओं के मामले में) में निवेश के आधार पर किया जाता था।
- MSMEs को अक्सर पूंजी तक पहुंच, प्रौद्योगिकी अपनाने और बड़े खरीदारों से समय पर भुगतान प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- TReDS (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, जो MSMEs को खरीदारों से देय चालानों के विरुद्ध फाइनेंसर्स से धन जुटाने में सक्षम बनाता है।

- भुगतान विवादों का त्वरित निपटारा MSMEs के नकदी प्रवाह और परिचालन स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 क्या है?

- यह विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में संशोधन करता है।
- यह MSMEs के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर दोनों को आधार बनाता है, जबकि वर्तमान में केवल निवेश का उपयोग किया जाता है। केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा सीमाएं निर्दिष्ट करेगी।
- सभी MSMEs के लिए ज्ञापन (memorandum) दाखिल करना स्वैच्छिक होगा, जिसके लिए केंद्र सरकार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित करेगी।
- सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSEs) के लिए MSMEs से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद के लिए सभी चालानों को TReDS पर निपटाना अनिवार्य होगा।
- विधेयक मध्यस्थता (mediation) के लिए 90 दिनों की समय-सीमा निर्धारित करता है, जो पहली उपस्थिति के लिए निर्धारित तिथि से शुरू होगी।
- यदि मध्यस्थता सफल नहीं होती है, तो विवाद को मध्यस्थता (arbitration) के लिए 30 दिनों के भीतर संदर्भित किया जाना चाहिए, और निर्णय 90 दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
MSME वर्गीकरण में परिवर्तन	निवेश और टर्नओवर (Turnover) के आधार पर वर्गीकरण, जिससे अधिक उद्यमों को MSME के दायरे में लाया जा सकेगा और सरकार को अधिक लचीलापन मिलेगा।
मेमोरेण्डम (Memorandum) दाखिल करना स्वैच्छिक	सभी MSME के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और स्वैच्छिक बनाना, जिससे अनुपालन बोझ कम होगा और अधिक उद्यम औपचारिक क्षेत्र में आ सकेंगे।
CPSEs के लिए TReDS अनिवार्य	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) द्वारा MSME से खरीद के लिए इनवॉइस (Invoice) का भुगतान TReDS (Trade Receivables Discounting System) के माध्यम से अनिवार्य करना, जिससे

विशेषता	महत्व
	MSME को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा और उनकी कार्यशील पूंजी (Working Capital) की समस्या कम होगी।
मध्यस्थता और मध्यस्थता के लिए समय-सीमा	भुगतान विवादों के शीघ्र समाधान के लिए मध्यस्थता और मध्यस्थता प्रक्रियाओं के लिए निश्चित समय-सीमा निर्धारित करना, जिससे MSME के हितों की रक्षा होगी।
पुरस्कारों पर विवादों का समाधान	मध्यस्थता पुरस्कारों (Arbitration Awards) के खिलाफ अपील करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और लंबित मामलों में MSME आपूर्तिकर्ता को आंशिक भुगतान सुनिश्चित करना, जिससे उन्हें वित्तीय राहत मिलेगी।

चुनौतियाँ

- **कार्यान्वयन चुनौतियाँ** — TReDS प्लेटफॉर्म के बारे में MSME के बीच जागरूकता और उसके उपयोग को बढ़ावा देना एक चुनौती हो सकती है, विशेष रूप से छोटे और दूरदराज के क्षेत्रों में।
- **वित्तीय और तकनीकी बाधाएँ** — छोटे MSME के पास TReDS जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए आवश्यक तकनीकी बुनियादी ढांचा या विशेषज्ञता नहीं हो सकती है।
- **विवाद समाधान तंत्र की प्रभावशीलता** — निर्धारित समय-सीमा के भीतर मध्यस्थता और मध्यस्थता प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी पक्ष उनका पालन करें, एक चुनौती हो सकती है।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह विधेयक MSME विकास अधिनियम, 2006 में संशोधन करना चाहता है। 2. यह विधेयक MSME के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर दोनों को आधार बनाता है। 3. यह विधेयक सभी MSME के लिए ज्ञापन दाखिल करना स्वैच्छिक बनाता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक

2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि विधेयक MSME विकास अधिनियम, 2006 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। कथन 2 सही है क्योंकि विधेयक केंद्र सरकार को निवेश और टर्नओवर के आधार पर MSME को वर्गीकृत करने का अधिकार देता है। कथन 3 सही है क्योंकि विधेयक सभी MSME के लिए ज्ञापन दाखिल करने को स्वैच्छिक बनाता है।

Q2. ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. TReDS भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म है। 2. यह MSME को खरीदारों से प्राप्त होने वाले चालानों के विरुद्ध फाइनेंसर्स से धन जुटाने में सक्षम बनाता है। 3. MSME विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 के अनुसार, सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) के लिए MSME से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद के लिए सभी चालानों का निपटान TReDS पर करना अनिवार्य होगा। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि TReDS RBI द्वारा विनियमित एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म है। कथन 2 सही है क्योंकि यह MSME को चालानों के विरुद्ध धन जुटाने में मदद करता है। कथन 3 सही है क्योंकि विधेयक CPSE के लिए TReDS पर चालानों का निपटान अनिवार्य करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

☞ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। MSME विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए और विश्लेषण कीजिए कि ये संशोधन MSME क्षेत्र के संवर्धन और विकास में किस प्रकार सहायक होंगे। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: उत्तर की शुरुआत MSME के महत्व पर संक्षिप्त परिचय से करें। फिर MSME विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रमुख प्रावधानों को विस्तार से बताएं, जैसे कि: उद्यमों के वर्गीकरण के

मानदंड में बदलाव (निवेश और टर्नओवर), सभी MSME के लिए ज्ञापन दाखिल करने की स्वैच्छिक प्रकृति, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) के लिए TReDS ...

दल-बदल विरोधी कानून: सर्वोच्च न्यायालय की चिंताएँ और भारतीय लोकतंत्र पर प्रभाव

Anti-Defection Law Enforcement Issues

Constitutional Provision	10th Schedule (1985)
Merger Exception	2/3 MLAs merge
Presiding Officer Decision	Delays/abuse
Judicial Review	Kihoto Hollohan (1992)
Democratic Erosion	Public trust loss

Anti-Defection Law Enforcement Issues

GS Paper II — भारतीय संविधान, संसद और राज्य विधायिका—संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इससे उत्पन्न होने वाले विषय। • GS Paper II — विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएँ।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने दल-बदल विरोधी कानून (Anti-defection law) के प्रवर्तन में 'विशाल मुद्दों' पर चिंता व्यक्त की है, यह टिप्पणी करते हुए कि ये मुद्दे 'संसद सदस्यों की अपनी देन' हैं। न्यायालय ने संविधान की दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) के पैराग्राफ 4 की व्याख्या को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है, जो विधायकों को राजनीतिक दल के विलय के

याद रखें

दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) विधायकों को राजनीतिक अस्थिरता से बचाने के लिए है, लेकिन इसके 'विलय अपवाद' का दुरुपयोग अक्सर लोकतांत्रिक जनादेश को बदलने के लिए किया जाता है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता व्यक्त...

माध्यम से अयोग्यता से बचने की अनुमति देता है। न्यायालय ने इस मामले को गोवा में राजनीतिक दल-बदल से संबंधित एक लंबित चुनौती के साथ टैग करने का निर्देश दिया है।

मुख्य बिंदु

- दल-बदल विरोधी कानून को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम (52nd Constitutional Amendment Act), 1985 द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़कर शामिल किया गया था।
- इस कानून का मुख्य उद्देश्य विधायकों द्वारा राजनीतिक दल-बदल को रोकना था, जो अक्सर सरकारों की स्थिरता को खतरे में डालता था और लोकतांत्रिक जनादेश को कमजोर करता था।
- यह कानून संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को कुछ परिस्थितियों में अयोग्य घोषित करने का प्रावधान करता है, जैसे स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ना या पार्टी क्लिप के खिलाफ मतदान करना।
- कानून के तहत अयोग्यता का निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) (लोकसभा अध्यक्ष या राज्य विधानसभा अध्यक्ष) द्वारा किया जाता है।
- हालांकि, दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 में एक 'विलय अपवाद' (Merger Exception) का प्रावधान है, जिसके तहत यदि किसी राजनीतिक दल के दो-तिहाई विधायक किसी अन्य दल में विलय कर लेते हैं, तो उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।
- न्यायालय ने पूर्व में किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्लू (Kihoto Hollohan v. Zachillhu) मामले (1992) में दल-बदल विरोधी कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था, लेकिन पीठासीन अधिकारी के निर्णय की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की अनुमति दी थी।

दल-बदल विरोधी कानून क्या है?

- दल-बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची में निहित एक प्रावधान है, जिसे 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक दल-बदल को रोकना है, जो अक्सर विधायकों द्वारा व्यक्तिगत लाभ या सत्ता के लिए अपनी पार्टी बदलने के कारण होता है।
- यह कानून संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को निम्नलिखित आधारों पर अयोग्य घोषित करता है: यदि वे स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देते हैं; यदि वे

अपनी पार्टी द्वारा जारी किसी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करते हैं या मतदान से अनुपस्थित रहते हैं; या यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।

- मनोनीत सदस्य (Nominated members) यदि अपनी सीट ग्रहण करने के छह महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं, तो वे भी अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं।
- अयोग्यता संबंधी मामलों पर निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष या सभापति) द्वारा किया जाता है।
- कानून में एक 'विलय अपवाद' है, जिसके तहत यदि किसी राजनीतिक दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य किसी अन्य दल में विलय करने का निर्णय लेते हैं, तो न तो मूल दल के सदस्य और न ही विलय करने वाले सदस्य अयोग्य ठहराए जाएंगे।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
दलबदल विरोधी कानून (Anti-defection law)	विधायकों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने से रोकने के लिए बनाया गया है, जिससे राजनीतिक स्थिरता बनी रहे।
संविधान की दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule)	यह दलबदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधानों को सूचीबद्ध करती है।
अध्यक्ष/सभापति की भूमिका	दलबदल के मामलों में अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के पास होता है।
विलय का अपवाद (Merger exception)	कानून का एक प्रावधान जो विधायकों को अयोग्यता से बचाता है यदि उनकी मूल पार्टी का किसी अन्य पार्टी में विलय हो जाता है, और दो-तिहाई विधायक इस विलय का समर्थन करते हैं।
न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)	अध्यक्ष/सभापति के दलबदल संबंधी निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

आगे की राह

- दलबदल विरोधी कानून के अनुच्छेद 4 में संशोधन किया जाए ताकि विलय के प्रावधान का दुरुपयोग रोका जा सके।

- दलबदल के मामलों में अध्यक्ष/सभापति द्वारा निर्णय लेने के लिए एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित की जाए।
- कानून के प्रावधानों को और अधिक स्पष्ट और सुदृढ़ बनाया जाए ताकि उनकी अस्पष्टता दूर हो सके।
- राजनीतिक दलों को आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए ताकि विधायकों को दल बदलने के लिए मजबूर न होना पड़े।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

दसवीं अनुसूची · दल-बदल विरोधी कानून · अयोग्यता · विलय अपवाद · अनुच्छेद 32 · पीठासीन अधिकारी की भूमिका · न्यायिक समीक्षा

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया था। 2. यह संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को दल-बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने का प्रावधान करती है। 3. यह अनुसूची विलय के आधार पर अयोग्यता से छूट प्रदान करती है, जिसके लिए पार्टी के कम से कम एक-तिहाई सदस्यों की सहमति आवश्यक है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि दसवीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया था। कथन 2 भी सही है क्योंकि यह दल-बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है। कथन 3 गलत है क्योंकि विलय के लिए कम से कम दो-तिहाई सदस्यों की सहमति आवश्यक है, न कि एक-तिहाई की।

Q2. अभिकथन (A): दल-बदल विरोधी कानून का उद्देश्य राजनीतिक दल-बदल को रोकना और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। **कारण (R):** यह कानून विधायकों को अयोग्य ठहराने की शक्ति अध्यक्ष/सभापति को देता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

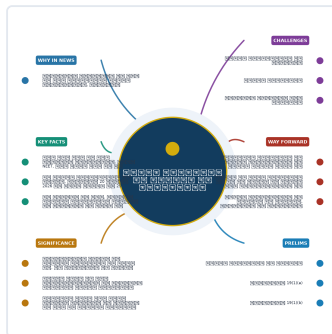
उत्तर: A सत्य है, लेकिन R असत्य है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि दल-बदल विरोधी कानून का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता लाना है। कारण (R) भी सही है कि अयोग्यता का निर्णय अध्यक्ष/सभापति द्वारा किया जाता है, लेकिन यह निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है (किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू मामले के अनुसार), इसलिए यह अंतिम नहीं होता। इसके अलावा, R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है क्योंकि R कानून के एक प्रावधान को बताता है, जबकि A कानून के उद्देश्य को बताता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

❏ दल-बदल विरोधी कानून के तहत विलय के अपवाद के प्रावधानों की आलोचनात्मक जांच कीजिए। क्या यह प्रावधान लोकतांत्रिक जनादेश को कमजोर करता है? हाल के न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना: दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) का संक्षिप्त परिचय। विलय के अपवाद (पैराग्राफ 4) का विस्तृत विवरण। इस प्रावधान की आलोचनात्मक जांच, जिसमें इसके दुरुपयोग, लोकतांत्रिक जनादेश पर प्रभाव और सरकारों को अस्थिर करने में इसकी भूमिका शामिल है। किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992) जैसे प्रमुख न्यायिक निर्णयों का उल्लेख, जिसमें अध्यक्ष/सभापति के निर्णय ...

विरोध प्रदर्शन का अधिकार और संवैधानिक संरक्षण: सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप



माइंड मैप: विरोध प्रदर्शन का अधिकार और संवैधानिक संरक्षण: सर्वोच्च

GS Paper II — भारतीय संविधान: महत्वपूर्ण प्रावधान, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य • GS Paper II — सरकार की नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके डिजाइन तथा कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे • GS Paper II — न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली

📌 सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित मौलिक अधिकार है, जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, और पुलिस आचरण के लिए दिशानिर्देशों पर विचार कर रहा है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों, विशेषकर परीक्षा पेपर लीक से संबंधित प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कथित ज्यादतियों से जुड़ी कई याचिकाओं

पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है। न्यायालय ने पुलिस आचरण को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने पर विचार करने का भी संकेत दिया है, ताकि प्रदर्शनकारियों और पुलिस कर्मियों दोनों को होने वाली चोटों को रोका जा सके। यह घटनाक्रम तब आया है जब केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए एक संशोधन विधेयक प्रस्तावित किया है।

प्रीलिम्स पॉइंटर

देश में हाल ही में विभिन्न परीक्षाओं, जैसे NEET, में पेपर लीक के कई मामले सामने आए हैं, जिसके कारण छात्रों और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए।

मुख्य बिंदु

- देश में हाल ही में विभिन्न परीक्षाओं, जैसे NEET, में पेपर लीक के कई मामले सामने आए हैं, जिसके कारण छात्रों और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए।
- इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान, विशेषकर 20 जुलाई, 2026 को संसद मार्च और 25 जुलाई, 2026 को बिहार बंद के दौरान, पुलिस द्वारा कथित तौर पर लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग जैसी ज्यादतियां की खबरें सामने आईं।
- इन घटनाओं के बाद, शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और प्रह्लाद जोशी ने नए शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला।
- केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक प्रस्तावित किया है, जिसका उद्देश्य पेपर लीक जैसे अनुचित साधनों में शामिल लोगों के लिए दंड को बढ़ाना है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार संविधान के तहत पूर्ण रूप से गारंटीकृत है और पुलिस ज्यादतियों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।
- मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने लोकतंत्र के कामकाज के लिए नागरिकों और कानून प्रवर्तन दोनों की ओर से 'आत्म-अनुशासन' के महत्व पर जोर दिया।

विरोध प्रदर्शन का अधिकार और संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- भारत के संविधान में 'विरोध प्रदर्शन का अधिकार' स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन इसे अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत 'वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' और अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत 'शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन के अधिकार' के तहत निहित माना जाता है।
- अनुच्छेद 19(1)(a) सभी नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें किसी मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करने और असंतोष व्यक्त करने का अधिकार शामिल है।
- अनुच्छेद 19(1)(b) सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार देता है, जो विरोध प्रदर्शनों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है।
- हालांकि, ये अधिकार पूर्ण नहीं हैं और अनुच्छेद 19(2) और 19(3) के तहत राज्य द्वारा कुछ उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या मानहानि के हित में।

- सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में इस बात पर जोर दिया है कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार एक लोकतांत्रिक समाज का अभिन्न अंग है, बशर्ते यह शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में हो।
- न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या हिंसा में लिप्त होना इन अधिकारों के दायरे में नहीं आता है।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार	यह संवैधानिक रूप से संरक्षित है और लोकतंत्र का एक अनिवार्य पहलू है।
पुलिस आचरण के लिए दिशानिर्देश	सर्वोच्च न्यायालय बड़े पैमाने के प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के आचरण को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने पर विचार कर रहा है।
आत्म-अनुशासन का महत्व	न्यायालय ने नागरिकों और कानून प्रवर्तन दोनों से आत्म-अनुशासन का आह्वान किया, जो लोकतंत्र के कामकाज के लिए आवश्यक है।
पुलिस ज्यादातियों की स्वतंत्र जांच	न्यायालय ने कहा कि यदि पुलिस द्वारा कोई ज्यादाती की जाती है, तो उसकी स्वतंत्र रूप से जांच की जानी चाहिए।
परीक्षा पेपर लीक विरोध	ये विरोध प्रदर्शन देशव्यापी थे और कई राज्यों में फैले हुए थे, जिससे एक बड़ा राजनीतिक संकट पैदा हो गया।
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026	यह विधेयक अनुचित साधनों और पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए दंड बढ़ाने का प्रस्ताव करता है, जिसमें कारावास और जुर्माना शामिल है।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के संविधान के तहत शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। 2. यह अधिकार पूर्ण है और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया

जा सकता। 3. भारत का सर्वोच्च न्यायालय विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस आचरण को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(ए) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और 19(1)(बी) (शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार) के तहत एक मौलिक अधिकार है। कथन 2 गलत है क्योंकि यह अधिकार पूर्ण नहीं है और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता आदि के आधार पर उचित प्रतिबंधों के अधीन है। कथन 3 सही है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं दिशानिर्देश तैयार करने का संकेत दिया है, जैसा कि हाल के समाचारों में बताया गया है।

Q2. अभिकथन (A): भारत में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है। कारण (R): यह अधिकार अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(बी) के तहत मौलिक अधिकारों के रूप में गारंटीकृत है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था के हित में इस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है। — अभिकथन (A) सही है कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है। कारण (R) भी सही है कि यह अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(बी) के तहत मौलिक अधिकार है और इस पर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कारण (R) अभिकथन (A) का सही स्पष्टीकरण है।

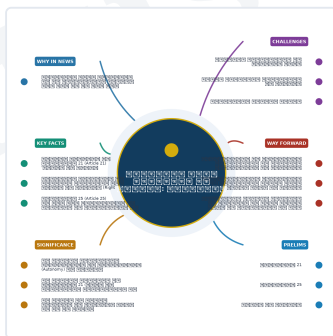
मुख्य अभ्यास प्रश्न

भारत में शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार के संवैधानिक आधारों का परीक्षण कीजिए। क्या यह अधिकार निरपेक्ष है? हाल के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस आचरण को विनियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

- परिचय: शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का संक्षिप्त परिचय और लोकतंत्र में इसका महत्व।
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 19(1)(ए) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 19(1) (बी) (शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार) का उल्लेख। यह स्पष्ट करना कि ये मौलिक अधिकार हैं।
- अधिकार की प्रकृति: चर्चा करें कि ...

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय: स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन और विवाह का सांविधानिक अधिकार



माइंड मैप: इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय: स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन

GS Paper II — भारतीय संविधान: मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की भूमिका

यह खबर चर्चा में क्यों?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि कोई वयस्क व्यक्ति बिना किसी दबाव या लालच के स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन और विवाह का

याद रखें

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि एक वयस्क व्यक्ति का स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन और विवाह का निर्णय लेना भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार से उत्पन्न होता है।

निर्णय लेता है, तो यह उसका सांविधानिक अधिकार है। यह टिप्पणी आगरा निवासी सगी बहनों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर की गई, जिन्होंने अपनी पसंद के व्यक्तियों से शादी करने और इस्लाम धर्म अपनाने की इच्छा व्यक्त की थी, जबकि उनके पिता ने इसका विरोध किया था।

मुख्य बिंदु

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 (Article 21) 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार' (Right to Life and Personal Liberty) की गारंटी देता है, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वायत्तता शामिल है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में निजता के अधिकार (Right to Privacy) को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार माना है, जिसमें व्यक्ति के निजी निर्णय जैसे विवाह और धर्म से संबंधित निर्णय शामिल हैं।
- अनुच्छेद 25 (Article 25) के तहत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार प्राप्त है। इसमें धर्म परिवर्तन का अधिकार भी निहित है, बशर्ते यह स्वेच्छा से और बिना किसी प्रलोभन के हो।
- बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) एक रिट है जो किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त कराने के लिए न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक उपकरण है।
- विभिन्न उच्च न्यायालयों ने पूर्व में भी ऐसे मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद के अधिकार को बरकरार रखा है, जहाँ वयस्क व्यक्तियों ने अपनी मर्जी से विवाह या धर्म परिवर्तन का निर्णय लिया था।
- भारत में विवाह और धर्म परिवर्तन से संबंधित कानून विभिन्न समुदायों के लिए अलग-अलग हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सभी पर लागू होती है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सांविधानिक अधिकार

- भारतीय संविधान के तहत, प्रत्येक वयस्क नागरिक को अपनी पसंद के धर्म को चुनने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है, जैसा कि अनुच्छेद 25 में निहित है।
- विवाह का अधिकार भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है, जो अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है।

- न्यायपालिका ने लगातार यह दोहराया है कि वयस्क व्यक्तियों को अपने जीवन साथी का चयन करने और अपने निजी निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है, जिसमें धर्म परिवर्तन भी शामिल है।
- हालांकि, धर्म परिवर्तन या विवाह का निर्णय स्वेच्छा से और बिना किसी बल, दबाव, प्रलोभन या धोखाधड़ी के होना चाहिए। न्यायालय ऐसे मामलों में व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा सुनिश्चित करने के लिए जांच करता है।
- बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका ऐसे मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जहाँ किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने का आरोप होता है, ताकि न्यायालय यह सुनिश्चित कर सके कि व्यक्ति स्वतंत्र है और अपने निर्णय स्वयं ले रहा है।
- उच्च न्यायालयों के पास अनुच्छेद 226 (Article 226) के तहत रिट जारी करने की शक्ति है, जिसमें मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट भी शामिल है।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन	किसी भी दबाव या लालच के बिना, अपनी इच्छा से धर्म चुनने का अधिकार। यह व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता का मूल तत्व है।
स्वैच्छिक विवाह	अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
बालिग व्यक्ति	कानून द्वारा निर्धारित आयु (भारत में 18 वर्ष) प्राप्त व्यक्ति, जिसे अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार है।
सांविधानिक अधिकार	संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार, जो राज्य और अन्य व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण से सुरक्षित हैं।
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus Petition)	अवैध हिरासत से व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए न्यायालय में दायर की जाने वाली याचिका। यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का एक सशक्त माध्यम है।

भारत के लिए महत्व

- यह निर्णय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता (Autonomy) को सुदृढ़ करता है, विशेषकर विवाह और धर्म जैसे व्यक्तिगत मामलों में।
- यह समाज में विविधता और बहुलवाद (Pluralism) को बढ़ावा देता है, जहाँ व्यक्तियों को अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता है।
- यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत निहित सिद्धांतों की पुष्टि करता है।
- यह न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के महत्व को रेखांकित करता है, जहाँ उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करते हैं।
- यह राज्य और पुलिस प्रशासन को निर्देश देता है कि वे बालिग व्यक्तियों के स्वतंत्र निर्णयों का सम्मान करें और उन्हें अनावश्यक रूप से बाधित न करें।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत का संविधान 'धर्म परिवर्तन के अधिकार' को एक मूल अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता देता है। 2. सर्वोच्च न्यायालय ने पुट्टस्वामी वाद (2017) में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार घोषित किया। 3. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका केवल अवैध हिरासत के मामलों में ही दायर की जा सकती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है। संविधान सीधे तौर पर 'धर्म परिवर्तन के अधिकार' को मूल अधिकार के रूप में मान्यता नहीं देता है, बल्कि यह अनुच्छेद 25 के तहत धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसमें स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन का निहित अधिकार शामिल है। कथन 2 सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ वाद में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के एक आंतरिक हिस्से के रूप में घोषित किया। कथन 3 गलत है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका केवल अवैध हिरासत के मामलों में ही नहीं,

बल्कि किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए भी दायर की जाती है, ताकि उसकी हिरासत की वैधता की जांच की जा सके।

Q2. अभिकथन (A): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि बिना किसी दबाव या लालच के बालिग द्वारा स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन और विवाह का निर्णय लेना उसका सांविधानिक अधिकार है।

कारण (R): भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद के धर्म को मानने और अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25 के तहत निहित है।

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है, जैसा कि हाल ही के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से स्पष्ट है। कारण (R) भी सही है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) और धर्म की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25) के तहत अपनी पसंद के धर्म को मानने और विवाह करने का अधिकार निहित है। कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है, क्योंकि न्यायालय का निर्णय इन्हीं सांविधानिक प्रावधानों पर आधारित है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

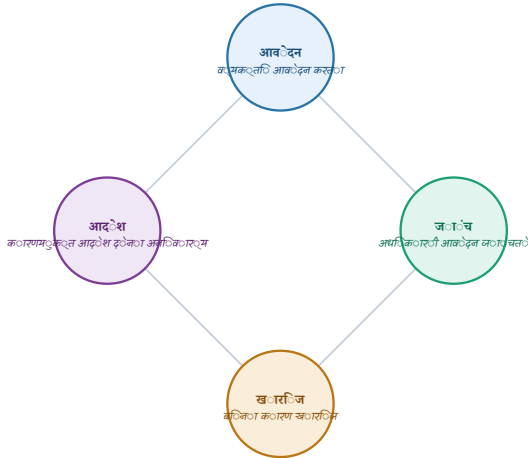
📌 भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में, स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन और विवाह के निर्णय को एक सांविधानिक अधिकार के रूप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या यह निर्णय 'लव जिहाद' जैसे मुद्दों पर चल रही बहस को प्रभावित कर सकता है? (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

1. परिचय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का संक्षिप्त उल्लेख, जिसमें स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन और विवाह के निर्णय को सांविधानिक अधिकार बताया गया है।
2. सांविधानिक आधार: अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार) का विस्तार से उल्लेख। निजता के अधिकार (के.एस. ...

जाति प्रमाण पत्र: आवेदन अस्वीकृति, प्रक्रियात्मक पारदर्शिता और संवैधानिक अधिकार

जाति प्रमाण पत्र प्रक्रिया



जाति प्रमाण पत्र प्रक्रिया

GS Paper II — भारतीय संविधान: महत्वपूर्ण प्रावधान, कार्यप्रणाली, संशोधन • GS Paper II — न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली • GS Paper II — सरकार की नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके डिजाइन तथा कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे

✍ जाति प्रमाण पत्र आवेदन को बिना ठोस कारण बताए खारिज करना असंवैधानिक है; कारणयुक्त आदेश की प्रति आवेदक को उपलब्ध कराना अनिवार्य है, जो प्रशासनिक पारदर्शिता और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा...

यह खबर चर्चा में क्यों?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें कहा गया है कि जाति प्रमाण पत्र के आवेदन को बिना

प्रीलिम्स पॉइंटर

जाति प्रमाण पत्र भारत में विभिन्न सरकारी योजनाओं, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और रोजगार के अवसरों में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

ठोस कारण बताए खारिज करना असंवैधानिक है। न्यायालय ने यह भी अनिवार्य किया है कि प्रशासनिक अधिकारियों को कारणयुक्त आदेश पारित कर उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध करानी होगी। इस निर्णय का उद्देश्य जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, जो नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है।

मुख्य बिंदु

- जाति प्रमाण पत्र भारत में विभिन्न सरकारी योजनाओं, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और रोजगार के अवसरों में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
- यह प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की जाति या समुदाय की पहचान को प्रमाणित करता है, विशेषकर अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के सदस्यों के लिए।
- अक्सर, आवेदकों को बिना किसी स्पष्ट कारण के उनके आवेदन खारिज होने की शिकायतें होती हैं, जिससे उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करने में बाधा आती है।
- यह मुद्दा प्रशासनिक अक्षमता, मनमानी और पारदर्शिता की कमी से जुड़ा हुआ है, जो सुशासन के सिद्धांतों के विरुद्ध है।
- उच्च न्यायालय का यह निर्णय प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी पर अंकुश लगाने और नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में सूचित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
- यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत निहित सिद्धांतों को मजबूत करता है।

जाति प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया और संवैधानिक अधिकार

- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जाति प्रमाण पत्र के आवेदन को 'साक्ष्य अभाव' जैसे सामान्य कारण बताकर खारिज करना पर्याप्त नहीं है।
- न्यायालय ने निर्देश दिया है कि प्रशासनिक अधिकारियों को एक विस्तृत और कारणयुक्त आदेश पारित करना होगा, जिसमें अस्वीकृति के ठोस कारण स्पष्ट रूप से बताए गए हों।
- यह भी अनिवार्य किया गया है कि अस्वीकृति आदेश की प्रति आवेदक को सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि आवेदक को अपील करने या कमियों को दूर करने का अवसर मिल सके।

- न्यायालय ने यह भी कहा कि विभागीय वेबसाइट पर जांच रिपोर्ट और अंतिम आदेश डाउनलोड करने योग्य लिंक के रूप में उपलब्ध होने चाहिए, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो।
- आवेदकों को जांच रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करने और कमियां दूर करने का अवसर मिलना चाहिए, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप है।
- न्यायालय ने निर्देश दिया कि जाति प्रमाण पत्र आवेदन की पूरी प्रक्रिया आवेदन की तारीख से दो महीने के भीतर पूरी की जाए।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
बिना कारण आवेदन खारिज करना असंवैधानिक	यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक अधिकारी मनमाने ढंग से कार्य न करें और आवेदकों के अधिकारों का सम्मान करें।
कारणयुक्त आदेश की प्रति अनिवार्य	पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) को बढ़ावा देता है, जिससे आवेदक को अस्वीकृति के कारणों को समझने और चुनौती देने का अवसर मिलता है।
जांच रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करने का अवसर	आवेदकों को प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धांतों के तहत अपनी बात रखने और कमियों को दूर करने का मौका मिलता है।
विभागीय वेबसाइट पर डाउनलोड करने योग्य लिंक	सूचना तक आसान पहुंच सुनिश्चित करता है और प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाता है।
आवेदन प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी करना	प्रशासनिक दक्षता (Administrative Efficiency) में सुधार करता है और अनावश्यक देरी को कम करता है।
मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने का निर्देश	पूरी प्रक्रिया में एकरूपता और मानकीकरण लाता है, जिससे मनमानी की गुंजाइश कम होती है।

आगे की राह

- जाति प्रमाण पत्र जारी करने की पूरी प्रक्रिया के लिए एक विस्तृत और स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) विकसित की जाए, जिसे सभी स्तरों पर सख्ती से लागू किया जाए।

- प्रशासनिक अधिकारियों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और जाति प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित कानूनों और नियमों के बारे में नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
- जांच रिपोर्ट और अंतिम आदेश की प्रति आवेदकों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए, जिसमें अस्वीकृति के ठोस और विस्तृत कारण स्पष्ट रूप से उल्लिखित हों।
- जाति प्रमाण पत्र आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटाइज़ किया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और कारणयुक्त आदेश का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत निहित है। 2. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में जाति प्रमाण पत्र के आवेदनों को बिना ठोस कारण बताए खारिज करने को असंवैधानिक घोषित किया है। 3. न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि आवेदन की पूरी प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और अस्वीकृति के विस्तृत कारण आवेदक को उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीनों
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीनों — कथन 1 सही है क्योंकि पारदर्शिता और कारणयुक्त आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का हिस्सा हैं, जो अनुच्छेद 14 और 21 के तहत आते हैं। कथन 2 भी सही है, जैसा कि खबर में स्पष्ट रूप से बताया गया है। कथन 3 भी सही है, क्योंकि न्यायालय ने प्रक्रिया को दो महीने में पूरा करने और कारणयुक्त आदेश उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

Q2. अभिकथन (A): किसी भी प्रशासनिक निर्णय को बिना कारण बताए खारिज करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। कारण (R): नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं हैं, लेकिन वे न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से विकसित हुए हैं और अनुच्छेद 14 और 21 के तहत निहित हैं।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।

4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि नैसर्गिक न्याय का एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध लिए गए निर्णय का कारण बताया जाना चाहिए। कारण (R) भी सही है क्योंकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत संविधान में सीधे नहीं लिखे गए हैं, बल्कि वे न्यायिक सक्रियता और व्याख्या के माध्यम से विकसित हुए हैं और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) तथा अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत निहित हैं। R, A की सही व्याख्या है क्योंकि यह बताता है कि क्यों कारण बताना नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता और कारणयुक्त आदेश की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए, जाति प्रमाण पत्र के आवेदनों को बिना कारण बताए खारिज करने को असंवैधानिक घोषित करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: परिचय: प्रशासनिक पारदर्शिता और कारणयुक्त आदेश के महत्व को संक्षेप में बताएं। मुख्य भाग:

1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय: निर्णय के मुख्य बिंदुओं का उल्लेख करें
 - बिना कारण बताए आवेदन खारिज करना असंवैधानिक, कारणयुक्त आदेश की प्रति देना अनिवार्य, प्रक्रिया में समय-सीमा (दो महीने) और SOP बनाने का निर्देश।
2. संवैधानिक आधार: बताएं ...

संसद का मानसून सत्र 2026: प्रमुख घटनाक्रम और उनका विश्लेषण



स्रोत: [Wikimedia Commons](#) — Prime Minister's Office (GODL-India)

GS Paper II — भारतीय राजव्यवस्था, शासन और सामाजिक न्याय • GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा

यह खबर चर्चा में क्यों?

संसद का मानसून सत्र विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का गवाह रहा, जिसमें जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 का लोकसभा में पारित होना और

बहुप्रतीक्षित कागज लीक विरोधी विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस शामिल है। सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शनों और कथित 'चंदा चोरी' को लेकर सरकार पर लगातार हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप दोनों सदनों को बार-बार स्थगित करना पड़ा।

याद रखें

संसद का मानसून सत्र विधायी कार्यों, विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों और महत्वपूर्ण विधेयकों पर बहस का केंद्र रहा, जिसमें कागज लीक विरोधी विधेयक और जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक प्रमुख थे।

मुख्य बिंदु

- संसदीय सत्र (Parliamentary Session) भारतीय लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है, जहाँ कानून बनाने, नीतियों पर बहस करने और सरकार को जवाबदेह ठहराने का कार्य होता है।
- भारत में तीन मुख्य संसदीय सत्र होते हैं: बजट सत्र (Budget Session), मानसून सत्र (Monsoon Session) और शीतकालीन सत्र (Winter Session)।
- विशेषाधिकार प्रस्ताव (Privilege Motion) संसद के किसी सदस्य द्वारा तब लाया जाता है, जब उसे लगता है कि किसी अन्य सदस्य या बाहरी व्यक्ति ने संसद या उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों का हनन किया है।

- जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 भारत में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। इसमें संशोधन का उद्देश्य प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाना है।
- कागज लीक (Paper Leak) की समस्या भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता के लिए एक गंभीर खतरा बन गई है, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है।
- संसद में विपक्ष की भूमिका सरकार की नीतियों और कार्यों की आलोचना करने, सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाने और विधायी प्रक्रिया में भाग लेने की होती है।

कागज लीक विरोधी विधेयक

- यह विधेयक प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है।
- इसका मुख्य लक्ष्य परीक्षा माफिया और संगठित गिरोहों पर नकेल कसना है, जो पेपर लीक जैसी गतिविधियों में शामिल होते हैं।
- विधेयक में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें भारी जुर्माना और कारावास शामिल है।
- यह विधेयक परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं की जवाबदेही बढ़ाने पर भी जोर देता है।
- सरकार का मानना है कि यह विधेयक छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करेगा और परीक्षा प्रणाली में जनता के विश्वास को बहाल करेगा।
- विपक्ष ने विधेयक का स्वागत किया है, लेकिन इसके कार्यान्वयन और इसमें निहित कुछ प्रावधानों पर चिंता व्यक्त की है।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक	यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।
कठोर दंड का प्रावधान	यह विधेयक पेपर लीक और नकल जैसे अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है, जिसमें भारी जुर्माना और लंबी जेल की सजा शामिल है।
छात्रों के भविष्य की सुरक्षा	

विशेषता	महत्व
	इसका उद्देश्य उन लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करना है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अपना समय और संसाधन लगाते हैं।
भर्ती प्रक्रिया में विश्वास बहाली	यह कानून भर्ती प्रक्रियाओं में जनता के विश्वास को बहाल करने में मदद करेगा, जो हाल के वर्षों में पेपर लीक की घटनाओं से प्रभावित हुआ है।
केंद्र सरकार की भूमिका	यह केंद्र सरकार को सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं से निपटने के लिए अधिक अधिकार प्रदान करता है।

भारत के लिए महत्व

- यह विधेयक लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेगा, जो पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं के कारण प्रभावित होते हैं।
- यह समाज में ईमानदारी और योग्यता को बढ़ावा देगा, जिससे योग्य उम्मीदवारों को उनका उचित स्थान मिल सकेगा।
- यह कानून सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएगा।
- यह सरकार की विश्वसनीयता को मजबूत करेगा, क्योंकि यह छात्रों और अभिभावकों की चिंताओं को संबोधित करता है।
- यह विधेयक नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और अनुचित साधनों के उपयोग को हतोत्साहित करता है।

चुनौतियाँ

- **कार्यान्वयन में चुनौतियाँ** — कानून का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी, खासकर बड़े पैमाने पर होने वाले पेपर लीक को रोकने में।
- **जांच और अभियोजन** — पेपर लीक के मामलों की गहन जांच और दोषियों को समय पर दंडित करना एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है।
- **जागरूकता और भागीदारी** — छात्रों, अभिभावकों और संस्थानों के बीच इस कानून के प्रावधानों के बारे में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग** — परीक्षाओं में प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के साथ, साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना एक चुनौती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

संसदीय सत्र · जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक · विशेषाधिकार प्रस्ताव · कागज लीक विरोधी विधेयक · संघवाद

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए दंड का प्रावधान करता है। 2. इस विधेयक के तहत सभी अपराध गैर-जमानती और संज्ञेय होंगे। 3. यह विधेयक केवल केंद्र सरकार की परीक्षाओं पर लागू होता है, राज्य सरकारों की परीक्षाओं पर नहीं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए कड़े दंड का प्रावधान करता है। कथन 2 सही है। इस विधेयक के तहत सभी अपराध गैर-जमानती और संज्ञेय होंगे, जिसका अर्थ है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है और जमानत आसानी से नहीं मिलेगी। कथन 3 गलत है। यह विधेयक केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा आयोजित सभी सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होता है, लेकिन राज्य सरकारों को भी इसे अपनाने की शक्ति देता है, जिससे यह व्यापक रूप से लागू हो सकता है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges) का सबसे अच्छा वर्णन करता/करते है/हैं? 1. यह संसद के सदस्यों को उनके संसदीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान गिरफ्तारी से पूर्ण छूट प्रदान करता है। 2. यह संसद के सदस्यों को सदन में कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी मत के लिए किसी भी अदालत में कार्यवाही से बचाता है। 3. यह संसद को अपने सदस्यों और बाहरी व्यक्तियों को अपने विशेषाधिकारों के उल्लंघन या अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति देता है।

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3

3. केवल 1 और 3

4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 2 और 3 — कथन 1 गलत है। संसदीय विशेषाधिकार गिरफ्तारी से पूर्ण छूट प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि कुछ मामलों में सीमित छूट देते हैं (जैसे सिविल मामलों में सत्र के दौरान और उससे 40 दिन पहले/बाद)। आपराधिक मामलों में कोई छूट नहीं है। कथन 2 सही है। अनुच्छेद 105(2) के तहत, संसद के किसी सदस्य को संसद में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के लिए किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के अधीन नहीं किया जाएगा। कथन 3 सही है। संसद को अपने विशेषाधिकारों के उल्लंघन या अवमानना के लिए सदस्यों और बाहरी व्यक्तियों को दंडित करने की शक्ति है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

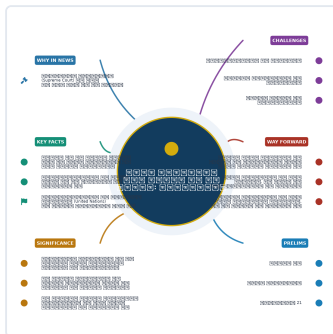
📌 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026 के प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण करें। क्या यह विधेयक छात्रों के हितों की रक्षा करने और परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने में प्रभावी होगा? समालोचनात्मक परीक्षण करें। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

1. परिचय: सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026 के संदर्भ और इसके उद्देश्य का संक्षिप्त परिचय दें (परीक्षाओं में धांधली रोकना)।

2. विधेयक के प्रमुख प्रावधान: अनुचित साधनों की परिभाषा (प्रश्नपत्र लीक, नकल, जाली दस्तावेज आदि)। दोषियों के लिए दंड का प्रावधान (कारावास, जुर्माना)। संगठित अपराधों के लिए ...

भीड़ नियंत्रण में पेलेट गन का उपयोग: संवैधानिक वैधता और सर्वोच्च न्यायालय का रुख



माइंड मैप: भीड़ नियंत्रण में पेलेट गन का उपयोग: संवैधानिक वैधता और

GS Paper II — भारतीय संविधान: महत्वपूर्ण प्रावधान, कार्यप्रणाली, सरकार की नीतियाँ और हस्तक्षेप • GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा: कानून और व्यवस्था, सुरक्षा चुनौतियाँ

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पेलेट गन का उपयोग तब तक कानूनी है जब तक इसके उपयोग की अनुमति देने वाले नियमों को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाता, हालांकि न्यायालय इसके दुरुपयोग के विशिष्ट मामलों की...

यह खबर चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने हाल ही में कहा है कि पेलेट गन (Pellet gun) के उपयोग को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित

किए जाने तक इसके उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। न्यायालय ने हालांकि, इसके दुरुपयोग के विशिष्ट मामलों की जांच करने की इच्छा व्यक्त की है। यह टिप्पणी पूर्व खुफिया ब्यूरो (Intelligence Bureau) के विशेष निदेशक और पेलेट गन से घायल हुए दो व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें नागरिक सभाओं से निपटने के दौरान भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पेलेट गन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।

प्रीलिम्स पॉइंटर

पेलेट गन का उपयोग मुख्य रूप से भीड़ नियंत्रण के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किया जाता है, खासकर उन स्थितियों में जहां अन्य कम घातक उपाय अप्रभावी साबित होते हैं।

मुख्य बिंदु

- पेलेट गन का उपयोग मुख्य रूप से भीड़ नियंत्रण के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किया जाता है, खासकर उन स्थितियों में जहां अन्य कम घातक उपाय अप्रभावी साबित होते हैं।
- याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि हालांकि इन बंदूकों को आग्नेयास्त्रों के 'कम घातक' या 'गैर-घातक' विकल्प के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन इन्हें करीब से भीड़ पर चलाने से घातक या गंभीर चोटें लग सकती हैं, खासकर महत्वपूर्ण अंगों पर।
- याचिकाकर्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के कानून प्रवर्तन में कम घातक हथियारों पर दिशानिर्देशों का हवाला दिया है, जो भीड़ पर ऐसे हथियारों का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं।
- इन दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि आंशिक या पूरी तरह से धात्विक पेलेट से भरी प्रोजेक्टाइल-एक्टिवेटेड गन या पेलेट गन का भीड़ नियंत्रण के लिए उपयोग 'आवश्यकता, आनुपातिकता और तर्कसंगतता' के संवैधानिक परीक्षणों में विफल रहता है।

पेलेट गन और इसका उपयोग

- पेलेट गन एक प्रकार का गैर-घातक हथियार है जिसका उपयोग कानून प्रवर्तन एजेंसियां भीड़ नियंत्रण के लिए करती हैं।
- यह छोटी, धात्विक या रबर की गोलियां (पेलेट) दागती है, जो भीड़ को तितर-बितर करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, लेकिन घातक चोटें पहुँचाने के लिए नहीं।
- भारत में, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में, भीड़ नियंत्रण के दौरान पेलेट गन का उपयोग विवादास्पद रहा है, जिससे कई लोगों को गंभीर चोटें, विशेषकर आंखों में, आई हैं।
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों का तर्क है कि यह आग्नेयास्त्रों की तुलना में एक कम घातक विकल्प है, जो गंभीर हिंसा को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
- मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि पेलेट गन का उपयोग अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह गंभीर चोटों और स्थायी विकलांगता का कारण बन सकता है।
- अदालत ने कहा कि पेलेट गन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए, इसके उपयोग की अनुमति देने वाले कानूनी प्रावधान को अनुच्छेद 21 के 'अल्ट्रा वायर्स' (Ultra vires) यानी अधिकार से परे के रूप में चुनौती देनी होगी।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
छर्रे वाली बंदूकों का उपयोग	भीड़ नियंत्रण के लिए 'कम घातक' विकल्प के रूप में प्रयोग की जाती हैं, लेकिन गंभीर चोटें या मृत्यु भी हो सकती है।
कानूनी वैधता	जब तक इनके उपयोग को नियंत्रित करने वाले नियम असंवैधानिक घोषित नहीं किए जाते, तब तक इनका उपयोग कानूनी है।
अनुच्छेद 21	जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है; छर्रे वाली बंदूकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग इस अनुच्छेद के उल्लंघन पर आधारित है।
असाधारण परिस्थितियाँ	पुलिस विनियम असाधारण परिस्थितियों में छर्रे वाली बंदूकों के उपयोग की अनुमति देते हैं।
संयुक्त राष्ट्र दिशानिर्देश	कानून प्रवर्तन में कम घातक हथियारों के उपयोग पर दिशानिर्देश भीड़ पर ऐसे हथियारों के उपयोग के खिलाफ चेतावनी देते हैं।

भारत के लिए महत्व

- सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय भीड़ नियंत्रण उपायों की संवैधानिक वैधता और मानवाधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- यह न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे को दर्शाता है, जहाँ न्यायालय कानून प्रवर्तन के तरीकों की जाँच कर सकता है।
- यह मामला नागरिकों के विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार और राज्य द्वारा बल प्रयोग के अधिकार के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन बिंदु पर प्रकाश डालता है।
- छर्रे वाली बंदूकों से होने वाली गंभीर चोटों के उदाहरण मानवाधिकारों के उल्लंघन की चिंताओं को बढ़ाते हैं, विशेषकर जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) के संदर्भ में।
- यह निर्णय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए भीड़ नियंत्रण के प्रभावी और मानवीय तरीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल देता है।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि छर्रे वाली बंदूकों का उपयोग तब तक कानूनी है जब तक उनके उपयोग को नियंत्रित करने वाले नियमों को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाता। 2. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि छर्रे वाली बंदूकें 'कम घातक' या 'गैर-घातक' मानी जाती हैं, लेकिन भीड़ पर करीब से चलाने पर गंभीर चोटें लग सकती हैं। 3. संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देश कानून प्रवर्तन में कम घातक हथियारों के उपयोग के संबंध में भीड़ पर ऐसे हथियारों के उपयोग के खिलाफ चेतावनी देते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जब तक छर्रे वाली बंदूकों के उपयोग को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधानों को असंवैधानिक नहीं ठहराया जाता, तब तक उनका उपयोग वैध है। कथन 2 सही है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये हथियार, जिन्हें 'कम घातक' कहा जाता है, करीब से चलाने पर घातक या गंभीर चोटें पहुंचा सकते हैं। कथन 3 सही है। संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देश कानून प्रवर्तन में कम घातक हथियारों के उपयोग के संबंध में भीड़ पर ऐसे हथियारों के उपयोग के खिलाफ चेतावनी देते हैं और आनुपातिकता के संवैधानिक परीक्षणों में विफल रहने की बात कहते हैं।

Q2. अभिकथन (A): सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शनों के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) कर्मियों के गोला-बारूद लॉग को संरक्षित करने का निर्देश दिया है। कारण (R): न्यायालय छर्रे वाली बंदूकों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय विशिष्ट दुरुपयोग के मामलों की जांच करने के लिए खुला है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है। — अभिकथन (A) सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने RAF कर्मियों के गोला-बारूद लॉग को संरक्षित करने का निर्देश दिया है। कारण (R) भी सही है। न्यायालय ने संकेत दिया है कि वह छर्रे वाली बंदूकों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के

बजाय विशिष्ट दुरुपयोग के मामलों की जांच करने के लिए खुला है, और गोला-बारूद लॉग का संरक्षण इसी दिशा में एक कदम है। इसलिए, R, A का सही स्पष्टीकरण है।

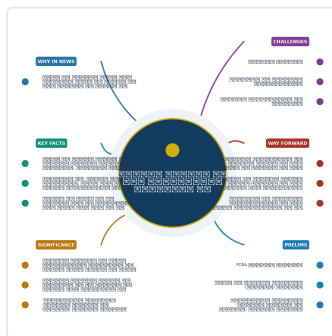
मुख्य अभ्यास प्रश्न

📌 भीड़ नियंत्रण के लिए छर्रे वाली बंदूकों के उपयोग को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधानों की संवैधानिक वैधता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार पर इसके निहितार्थों की भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

- परिचय: छर्रे वाली बंदूकों के उपयोग पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया रुख का संक्षिप्त उल्लेख, जिसमें कहा गया है कि यह तब तक कानूनी है जब तक नियमों को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाता।
- संवैधानिक वैधता का आलोचनात्मक परीक्षण: a. कानूनी आधार: पुलिस विनियमों और मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) में छर्रे ...

संसदीय गतिरोध के बीच महत्वपूर्ण विधेयकों पर सरकार का जोर: FCRA संशोधन विधेयक और अन्य



माइंड मैप: संसदीय गतिरोध के बीच महत्वपूर्ण विधेयकों पर सरकार का जोर

GS Paper II — भारतीय संविधान, संसद और राज्य विधायिका – संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय • GS Paper II — सरकार की नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय

यह खबर चर्चा में क्यों?

संसद के मौजूदा सत्र में विपक्षी दलों और सरकार के बीच गतिरोध की आशंका के बावजूद, सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने का लक्ष्य बना रही है। इनमें सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 लोकसभा में और राष्ट्रीय गौरव के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक राज्यसभा में पारित हुए हैं, जिससे विधायी प्रक्रिया की निरंतरता पर बहस छिड़ गई है।

याद रखें

FCRA भारत में विदेशी अंशदान को विनियमित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है, और इसमें प्रस्तावित संशोधन विदेशी धन के उपयोग पर नियंत्रण को और मजबूत कर सकते हैं।

मुख्य बिंदु

- संसद के दोनों सदनों में विपक्ष द्वारा विभिन्न मुद्दों, विशेषकर छात्रों पर बल प्रयोग के विरोध में लगातार व्यवधान देखा जा रहा है।
- विपक्षी दल, विशेष रूप से कांग्रेस, पेपर लीक के विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्रों पर बल प्रयोग के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री से माफी की मांग कर रहे हैं।
- सरकार का आरोप है कि विपक्ष सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है और महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित होने से रोक रहा है।
- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) भारत में विदेशी अंशदानों (Foreign Contributions) को विनियमित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है, और इसमें प्रस्तावित संशोधन महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
- सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 का लक्ष्य पेपर लीक और अन्य अनुचित साधनों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करना है।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) क्या है?

- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) भारत में व्यक्तियों, संघों या कंपनियों द्वारा विदेशी अंशदान की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने के लिए बनाया गया एक कानून है।

- इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन का उपयोग भारत की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य सुरक्षा, विज्ञान, आर्थिक या रणनीतिक हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए न किया जाए।
- यह अधिनियम पहली बार 1976 में अधिनियमित किया गया था और बाद में 2010 में एक नए अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें कई संशोधन किए गए।
- FCRA के तहत, विदेशी अंशदान प्राप्त करने के इच्छुक सभी संघों को गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- पंजीकृत संगठनों को विदेशी अंशदान के उपयोग और स्रोत के संबंध में सख्त लेखा-जोखा और रिपोर्टिंग मानकों का पालन करना होता है।
- यह अधिनियम सरकार को उन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है जो इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं या जिनके विदेशी अंशदान का उपयोग राष्ट्रीय हितों के खिलाफ किया जाता है।

मूल्य-संवर्धन

Feature	Significance
संसदीय गतिरोध	संसद के दोनों सदनों में विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध के कारण महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने में देरी।
विधेयकों का पारित होना	सरकार 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक' और 'विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक' जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने का लक्ष्य बना रही है।
सार्वजनिक परीक्षा विधेयक	लोकसभा में 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पारित किया गया, जिसका उद्देश्य पेपर लीक के लिए कठोर दंड का प्रावधान करना है।
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक	राज्यसभा में 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक' पारित किया गया।
विपक्ष की मांगें	विपक्ष द्वारा छात्रों पर बल प्रयोग के मुद्दे पर गृह मंत्री से बयान और माफी की मांग, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हुई।

भारत के लिए महत्व

- संसदीय गतिरोध के कारण महत्वपूर्ण विधेयकों का पारित होना बाधित हो सकता है, जिससे शासन प्रक्रिया धीमी हो सकती है।
- सरकार का लक्ष्य महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करना है, जो विभिन्न क्षेत्रों में नए नियामक ढाँचे स्थापित करेंगे।
- विपक्ष द्वारा सरकार से छात्रों पर बल प्रयोग के संबंध में जवाबदेही की मांग लोकतंत्र में सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को दर्शाती है।
- संसदीय बहस और चर्चाएं कानून निर्माण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग हैं, जो विभिन्न दृष्टिकोणों को शामिल करती हैं।
- 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक' का उद्देश्य पेपर लीक जैसी समस्याओं को संबोधित करना है, जिसका सीधा प्रभाव छात्रों और शिक्षा प्रणाली पर पड़ता है।

आगे की राह

- संसदीय कार्यवाही को सुचारु बनाने के लिए सरकार और विपक्ष के बीच रचनात्मक संवाद और आम सहमति बनाना आवश्यक है।
- विधेयकों पर व्यापक चर्चा और विचार-विमर्श के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि सभी हितधारकों के विचारों को शामिल किया जा सके।
- कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।
- नागरिक समाज संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया को मजबूत किया जाना चाहिए, विशेष रूप से 'विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक' जैसे संवेदनशील कानूनों के संबंध में।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) का उद्देश्य विदेशी दान को विनियमित करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे अंशदान भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें। 2. FCRA के तहत, व्यक्तियों, संघों और कंपनियों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय के साथ पंजीकरण करना

अनिवार्य है। 3. FCRA के तहत पंजीकृत संगठन विदेशी अंशदान का उपयोग केवल उन उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं जिनके लिए उन्हें पंजीकृत किया गया है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। FCRA का प्राथमिक उद्देश्य भारत की संप्रभुता और अखंडता पर विदेशी धन के संभावित प्रतिकूल प्रभावों को रोकना है। कथन 2 सही है। FCRA के तहत, विदेशी अंशदान प्राप्त करने के इच्छुक सभी संस्थाओं को गृह मंत्रालय के साथ पंजीकरण कराना होता है। कथन 3 सही है। पंजीकृत संगठनों को विदेशी अंशदान का उपयोग केवल उन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए करना होता है जिनके लिए उन्हें पंजीकरण प्रदान किया गया है, जैसे कि सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम।

Q2. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए कड़े प्रावधान करता है। 2. यह विधेयक केवल केंद्र सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर लागू होता है। 3. इस विधेयक के तहत, पेपर लीक या अन्य अनुचित साधनों में शामिल व्यक्तियों के लिए कारावास और जुर्माना का प्रावधान है। उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 1 और 3 — कथन 1 सही है। विधेयक का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। कथन 2 गलत है। यह विधेयक केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और उनके द्वारा अधिकृत निकायों द्वारा आयोजित सभी सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होता है। कथन 3 सही है। विधेयक में पेपर लीक और अन्य कदाचारों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें लंबी कैद और भारी जुर्माना शामिल है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

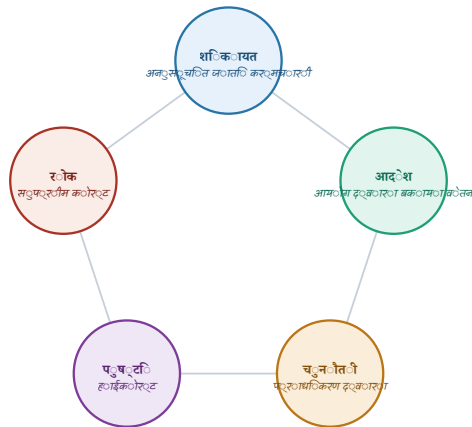
संसदीय कार्यवाही में बार-बार होने वाले गतिरोध भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। इस कथन के आलोक में, संसदीय गतिरोध के कारणों और इसके संभावित परिणामों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

- परिचय: संसदीय गतिरोध की वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त उल्लेख करें और बताएं कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए क्यों चिंताजनक है।
- संसदीय गतिरोध के कारण: क. सरकार और विपक्ष के बीच विश्वास की कमी और संवाद का अभाव। ख. महत्वपूर्ण मुद्दों पर राजनीतिक ध्रुवीकरण। ग. विपक्ष द्वारा विरोध प्रदर्शन को एक ...

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की शक्तियों का दायरा: सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय

SC/ST आयोग आदेश प्रक्रिया



SC/ST आयोग आदेश प्रक्रिया

GS Paper II — भारतीय संविधान: ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और मूल संरचना • GS Paper II — संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं

चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण तथा उसकी चुनौतियाँ • GS Paper II — विभिन्न संवैधानिक निकायों की भूमिका और कार्य

❧ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक सलाहकारी और सिफारिशी संवैधानिक निकाय है, जिसे बकाया वेतन के भुगतान जैसे बाध्यकारी न्यायिक आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

प्रीलिम्स पॉइंटर

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है।

(National Commission for Scheduled Castes) को कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान का आदेश देने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि आयोग की भूमिका केवल सलाहकारी और सिफारिशी है, तथा उसे बाध्यकारी न्यायिक आदेश जारी करने की शक्ति नहीं है। यह निर्णय मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण से जुड़े एक मामले में आया, जहाँ आयोग ने एक अनुसूचित जाति की महिला कर्मचारी के पक्ष में बकाया वेतन भुगतान का आदेश दिया था, जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भी सही ठहराया था।

मुख्य बिंदु

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है।
- इसका मुख्य कार्य अनुसूचित जातियों के संवैधानिक अधिकारों और सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जाँच और निगरानी करना है।
- आयोग को अनुसूचित जातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जाँच करने का भी अधिकार है।
- यह राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसमें अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए किए जाने वाले उपायों की सिफारिशें होती हैं।

- इस मामले में, मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण की एक अनुसूचित जाति की महिला कर्मचारी को पदोन्नति के बाद डिमोशन किया गया था, जिसके खिलाफ उसने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।
- आयोग ने आरक्षण रोस्टर में सुधार, नियमों के अनुसार पदोन्नति और 30 दिनों के भीतर बकाया राशि के भुगतान का निर्देश दिया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अमान्य घोषित कर दिया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या है?

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित किया गया है।
- इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करना, उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जाँच और निगरानी करना है।
- आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- इसे सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को समन जारी करना, साक्ष्य प्राप्त करना और शपथ पर गवाहों की जाँच करना।
- हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ये शक्तियाँ इसे बाध्यकारी न्यायिक निर्णय सुनाने या बकाया भुगतान जैसे आदेश जारी करने का अधिकार नहीं देती हैं।
- आयोग की भूमिका मुख्य रूप से सलाहकारी और सिफारशी प्रकृति की है, जिसका उद्देश्य सरकार को अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए नीतियाँ बनाने और लागू करने में सहायता करना है।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
सलाहकारी और सिफारशी भूमिका	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes) की प्राथमिक भूमिका अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा और उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए सलाह देना और सिफारिशें करना है।
न्यायिक शक्तियों का अभाव	आयोग को न्यायिक निर्णय सुनाने या बाध्यकारी आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है।

विशेषता	महत्व
जांच और साक्ष्य संग्रह	आयोग को अनुसूचित जातियों से संबंधित शिकायतों की जांच करने, साक्ष्य लेने और गवाहों से पूछताछ करने की शक्तियां प्राप्त हैं।
सामाजिक न्याय का उद्देश्य	आयोग का गठन सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया है, ताकि अनुसूचित जातियों के साथ होने वाले भेदभाव को रोका जा सके।
अनुच्छेद 338 के तहत गठन	यह आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है, जो इसकी स्वायत्तता और महत्व को दर्शाता है।

चुनौतियाँ

- **आयोगों की प्रभावशीलता** — बाध्यकारी शक्तियों के अभाव में, आयोगों की सिफारिशों को लागू करने में कठिनाई आ सकती है, जिससे उनकी प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है।
- **न्याय तक पहुंच** — यदि आयोग सीधे न्याय प्रदान नहीं कर सकता, तो पीड़ित व्यक्तियों को न्याय के लिए लंबी और जटिल न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ सकता है।
- **शक्तियों का पृथक्करण** — संवैधानिक निकायों की शक्तियों की स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि उनकी सलाहकारी भूमिका कमजोर न पड़े।
- **नीति निर्माण और कार्यान्वयन** — आयोग की सिफारिशों को नीति निर्माण में शामिल करना और उनका प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी रहेगी।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। 2. यह आयोग केवल सलाहकारी और सिफारिशी भूमिका निभाता है, बाध्यकारी आदेश जारी नहीं कर सकता। 3. संविधान के अनुच्छेद 338, 338ए और 338बी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोगों से संबंधित हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीनों

4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीनों — कथन 1 सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है, जो इसे एक संवैधानिक निकाय बनाता है। कथन 2 भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आयोग की भूमिका सलाहकारी और सिफारिशी है, और यह न्यायिक निर्णय या बाध्यकारी आदेश जारी नहीं कर सकता। कथन 3 भी सही है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, अनुच्छेद 338ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से और अनुच्छेद 338बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है।

Q2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का मुख्य निहितार्थ क्या है?

1. आयोग को कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान करने का अधिकार दिया गया है।
2. आयोग की शक्तियाँ केवल जांच, सिफारिश और सलाह देने तक सीमित हैं।
3. आयोग अब न्यायिक कार्य भी कर सकता है।
4. आयोग को उच्च न्यायालयों के फैसलों को पलटने का अधिकार है।

उत्तर: आयोग की शक्तियाँ केवल जांच, सिफारिश और सलाह देने तक सीमित हैं। — सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान का आदेश देने का अधिकार नहीं है। अदालत के अनुसार आयोग केवल जांच, सिफारिश और सलाह दे सकता है, जबकि बाध्यकारी आदेश जारी करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍️ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संवैधानिक स्थिति और उसके अधिकार क्षेत्र की हालिया सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या यह निर्णय संवैधानिक निकायों की शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को सुदृढ़ करता है? (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संवैधानिक स्थिति (अनुच्छेद 338) और उसके कार्यों का उल्लेख करें। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का विस्तार से वर्णन करें, जिसमें बकाया वेतन के आदेश पर रोक और आयोग की सलाहकारी व सिफारिशी भूमिका पर जोर दिया गया है। शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत को ...

Polity & Governance



इस खंड की झलक: Polity & Governance

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और मैला ढोने की प्रथा: एक गंभीर चुनौती



स्रोत: [Wikimedia Commons](#) — Ministry of Tourism (GODL-India)

GS Paper II — भारतीय संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय • GS Paper III — आपदा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा

यह खबर चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा अथॉरिटी द्वारा किए गए सीवर सफाई

याद रखें

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक सांविधिक निकाय है जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित किया गया है, जिसका मुख्य कार्य देश

अभियान के दौरान एक स्वच्छता कर्मी की विषैली गैस के संपर्क में आने से हुई मृत्यु की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है।

में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच करना और उनके संरक्षण तथा संवर्धन के लिए...

आयोग ने इस घटना को मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए नोएडा अथॉरिटी के अध्यक्ष और गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया है कि स्वच्छता कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए बिना सीवर में उतारा गया था।

मुख्य बिंदु

- भारत में मैला ढोने की प्रथा (Manual Scavenging) एक गंभीर सामाजिक और मानवाधिकारों का मुद्दा है, जिसे कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।
- मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013) इस प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है और इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करता है।
- इसके बावजूद, देश के विभिन्न हिस्सों में सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान स्वच्छता कर्मियों की मृत्यु की घटनाएँ लगातार सामने आती रहती हैं।
- इन घटनाओं में अक्सर सुरक्षा उपकरणों की कमी, उचित प्रशिक्षण का अभाव और अमानवीय कार्य परिस्थितियों को मुख्य कारण बताया जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई फैसलों में मैला ढोने की प्रथा को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है और सरकारों को इसके उन्मूलन तथा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया है।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में स्वतः संज्ञान लेने और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगने का अधिकार रखता है ताकि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) क्या है?

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission - NHRC) भारत में मानवाधिकारों का प्रहरी है, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर, 1993 को

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (Protection of Human Rights Act, 1993) के तहत की गई थी।

- यह एक सांविधिक (Statutory) निकाय है, जिसका उद्देश्य देश में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना है।
- आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जाँच करता है, जिसमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और गरिमा का अधिकार शामिल हैं।
- NHRC के पास सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं और यह मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी मामले की जाँच कर सकता है।
- यह केंद्र और राज्य सरकारों को मानवाधिकारों के प्रभावी संरक्षण के लिए सिफारिशें करता है।
- आयोग मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देता है और लोगों के बीच मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करता है।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
स्वतः संज्ञान (Suo Motu Cognizance)	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वतः कार्रवाई, जो मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में आयोग की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है।
मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन	सीवर सफाई के दौरान सुरक्षा उपकरणों की कमी से मृत्यु को मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना जाना, जो जीवन के अधिकार और गरिमापूर्ण कार्य के अधिकार से संबंधित है।
नोएडा अर्थॉरिटी और पुलिस कमिश्नर को नोटिस	संबंधित सरकारी निकायों से विस्तृत रिपोर्ट मांगना, जवाबदेही तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सुरक्षा उपकरणों का अभाव	मृतक के परिवार द्वारा लगाए गए आरोप कि स्वच्छता कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए थे, जो कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को उजागर करता है।
दो सप्ताह की समय-सीमा	रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय-सीमा मामले की गंभीरता और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता को दर्शाती है।

भारत के लिए महत्व

- यह घटना समाज के सबसे कमजोर वर्गों, विशेषकर स्वच्छता कर्मियों की दयनीय कार्य परिस्थितियों को उजागर करती है, जो अक्सर बिना पर्याप्त सुरक्षा के खतरनाक कार्यों में संलग्न होते हैं।
- यह स्वच्छता कर्मियों के जीवन के अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के उल्लंघन का एक गंभीर मामला है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्वतः संज्ञान लेना यह सुनिश्चित करता है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाए और दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाए।
- यह घटना कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों के महत्व को रेखांकित करती है, विशेषकर उन व्यवसायों में जहाँ जान का जोखिम अधिक होता है।
- नोएडा अथॉरिटी और गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी करना सरकारी निकायों की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक संवैधानिक निकाय है। 2. NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 3. NHRC को मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्राप्त है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक (Statutory) निकाय है, जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत किया गया है, न कि संवैधानिक निकाय। कथन 2 सही है। NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर की जाती है। कथन 3 सही है। NHRC को मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेने की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि वर्तमान मामले में देखा गया है।

Q2. अभिकथन (A): भारत में मैला ढोना (Manual Scavenging) एक प्रतिबंधित प्रथा है।
कारण (R): मैला ढोना मानवीय गरिमा का उल्लंघन करता है और स्वच्छता कर्मियों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सत्य है। भारत में मैला ढोने वालों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत मैला ढोना प्रतिबंधित है। कारण (R) भी सत्य है और यह अभिकथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि यह प्रथा न केवल मानवीय गरिमा का उल्लंघन करती है बल्कि इसमें लगे व्यक्तियों के जीवन और स्वास्थ्य को भी गंभीर जोखिम में डालती है।

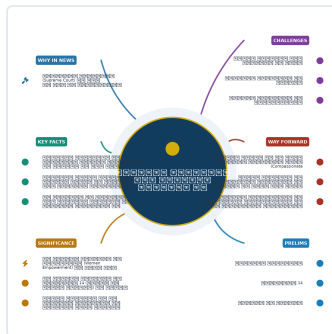
मुख्य अभ्यास प्रश्न

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की भूमिका और शक्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सीवर सफाई के दौरान स्वच्छता कर्मियों की मृत्यु जैसे मामलों में NHRC की हस्तक्षेप की क्षमता और सीमाओं पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

1. **परिचय:** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का संक्षिप्त परिचय, इसकी स्थापना और प्रकृति (सांविधिक निकाय)।
2. **NHRC की भूमिका और शक्तियाँ:** मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच (स्वतः संज्ञान सहित)। मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान और जागरूकता। अंतर्राष्ट्रीय संधियों और उपकरणों का अध्ययन। जेलों और निरोध गृहों का दौरा। ...

अनुकंपा नियुक्ति में विवाहित बेटियों के अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय



माइंड मैप: अनुकंपा नियुक्ति में विवाहित बेटियों के अधिकार: सर्वोच्च

GS Paper II — भारतीय संविधान, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय • GS Paper I — भारतीय समाज, महिलाओं की भूमिका

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि विवाहित बेटी को केवल उसकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और यह लैंगिक भेदभावपूर्ण है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में बिहार सरकार की उस नीति को असंवैधानिक घोषित किया है, जिसके तहत विवाहित

बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) के लिए अपात्र माना जाता था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल वैवाहिक स्थिति के आधार पर किसी बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 (Article 14) का उल्लंघन है। यह निर्णय पटना उच्च न्यायालय (Patna High Court) के उस आदेश को पलटता है, जिसमें पिता की मृत्यु के बाद बेटी के अनुकंपा नियुक्ति के दावे को खारिज कर दिया गया था।

प्रीलिम्स पॉइंटर

अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अचानक आई आर्थिक कठिनाई से उबर सकें।

मुख्य बिंदु

- अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अचानक आई आर्थिक कठिनाई से उबर सकें।

- विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की नीतियों में अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए जाते हैं, जिनमें मृतक कर्मचारी के आश्रितों की परिभाषा शामिल होती है।
- कई राज्यों की नीतियों में विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति के दायरे से बाहर रखा गया था, जबकि विवाहित बेटों को पात्र माना जाता था।
- इस तरह की नीतियों को अक्सर लैंगिक भेदभावपूर्ण और संविधान के समानता के अधिकार के विरुद्ध चुनौती दी जाती रही है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में भी कई निर्णयों में लैंगिक समानता के सिद्धांतों को मजबूत किया है, जिसमें महिलाओं को संपत्ति के अधिकार और अन्य सामाजिक-आर्थिक अधिकारों में समान दर्जा देना शामिल है।
- वर्तमान मामले में, बिहार सरकार की नीति केवल तलाकशुदा या पति द्वारा छोड़ी गई बेटियों को ही अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र मानती थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक ठहराया।

अनुकंपा नियुक्ति और संवैधानिक प्रावधान

- अनुकंपा नियुक्ति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर उसके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य परिवार को आर्थिक संकट से बचाना है।
- यह कोई अधिकार नहीं है, बल्कि एक रियायत है जो मानवीय आधार पर दी जाती है। इसलिए, इसके लिए पात्रता मानदंड संबंधित सरकार की नीतियों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
- संविधान का अनुच्छेद 14 'कानून के समक्ष समानता' और 'कानूनों का समान संरक्षण' सुनिश्चित करता है। इसका अर्थ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
- इस अनुच्छेद के तहत, राज्य द्वारा किया गया कोई भी वर्गीकरण तर्कसंगत होना चाहिए और उसका एक वैध उद्देश्य होना चाहिए। लैंगिक आधार पर मनमाना वर्गीकरण अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि विवाहित बेटों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित करना, जबकि विवाहित बेटों को पात्र मानना, लैंगिक भेदभाव है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

- न्यायालय ने इस धारणा को भी खारिज कर दिया कि शादी के बाद बेटी अपने मायके से रिश्ते तोड़ लेती है और ससुराल में अपने पति के साथ रहती है, यह कहते हुए कि कानून में ऐसी कोई धारणा नहीं हो सकती।

भारत के लिए महत्व

- यह निर्णय महिलाओं के सशक्तिकरण (Women Empowerment) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें केवल उनकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव से बचाता है।
- यह सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देता है जो मानती हैं कि शादी के बाद बेटी का अपने मायके से कोई संबंध नहीं रहता, जिससे पारिवारिक संबंधों की व्यापक समझ को बढ़ावा मिलता है।
- यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) के दायरे को विस्तृत करता है, यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की नीतियां मनमानी और भेदभावपूर्ण न हों।
- यह अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित विभिन्न राज्य नीतियों की समीक्षा के लिए एक मिसाल कायम करता है, जिससे अन्य राज्यों को अपनी नीतियों में संशोधन करने की आवश्यकता हो सकती है।
- राज्य सरकारों को अब अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित अपनी मौजूदा नीतियों की समीक्षा करनी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे इस निर्णय के अनुरूप हों।

चुनौतियाँ

- **राज्य नीतियों में एकरूपता का अभाव** — विभिन्न राज्यों में अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित अलग-अलग नीतियां हैं, जिससे देश भर में एकरूपता का अभाव है।
- **सामाजिक रूढ़ियों का प्रभाव** — समाज में अभी भी कई रूढ़ियां मौजूद हैं जो विवाहित बेटियों को उनके मायके के परिवार से अलग मानती हैं।
- **कानूनी जागरूकता और कार्यान्वयन** — समाज के सभी वर्गों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, इस निर्णय के बारे में जागरूकता फैलाना महत्वपूर्ण है।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। 2. अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार को तत्काल वित्तीय संकट से उबारना है। 3. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि

विवाहित बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 और 2 सही हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण को सुनिश्चित करता है। अनुकंपा नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कथन 3 गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विवाहित बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

Q2. अभिकथन (A): सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की उस नीति को असंवैधानिक घोषित किया है जो केवल तलाकशुदा या पति द्वारा छोड़ी गई बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र मानती थी।
कारण (R): कोर्ट ने कहा कि बेटों और बेटियों के बीच वैवाहिक स्थिति के आधार पर कोई भी भेदभाव संवैधानिक रूप से मान्य नहीं है और यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की भेदभावपूर्ण नीति को असंवैधानिक ठहराया है। कारण (R) भी सही है और यह अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से लैंगिक समानता और अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का हवाला दिया है।

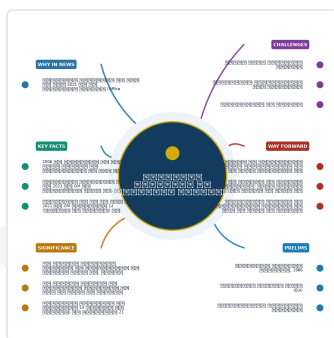
मुख्य अभ्यास प्रश्न

☞ सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में विवाहित बेटियों के अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इस निर्णय के आलोक में, अनुकंपा नियुक्ति के पीछे के संवैधानिक सिद्धांतों और लैंगिक समानता के निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण करें। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर कंकाल:

- परिचय:** सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय (सायरा खातून बनाम बिहार राज्य) का संक्षिप्त उल्लेख, जिसमें विवाहित बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित करने वाली नीति को असंवैधानिक बताया गया।
- अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य:** स्पष्ट करें कि अनुकंपा नियुक्ति का प्राथमिक उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार को तत्काल वित्तीय संकट से उबारना ...

सर्वोच्च न्यायालय का पर्यावरण मंजूरी पर निर्णय: 'पूर्वव्यापी' मंजूरी और 'एमनेस्टी योजनाओं' पर प्रभाव



माईंड मैप: सर्वोच्च न्यायालय का पर्यावरण मंजूरी पर निर्णय: 'पूर्व

GS Paper II — शासन, संविधान और राजव्यवस्था • GS Paper III — पर्यावरण और आपदा प्रबंधन

यह खबर चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में 2021 के एक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum - OM) को रद्द कर दिया है, जो अवसंरचना परियोजनाओं को 'पूर्वव्यापी' (ex post facto) पर्यावरण

मंजूरी प्रदान करता था। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार केवल प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से पर्यावरण सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधानों को नहीं बदल सकती। हालांकि, न्यायालय ने केंद्र सरकार

याद रखें

सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरी देने पर रोक लगा दी है, लेकिन 'अतिव्यापी सार्वजनिक हित' वाली परियोजनाओं के लिए उचित एमनेस्टी योजनाओं की केंद्र की शक्ति को बरकरार रखा है।

की 'एमनेस्टी योजना' (amnesty schemes) प्रदान करने की शक्ति को बरकरार रखा है, लेकिन भविष्य में ऐसे प्रशासनिक आदेशों पर रोक लगा दी है।

मुख्य बिंदु

- 2006 की अधिसूचना के तहत, बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी (prior environmental clearance) अनिवार्य है। यह अधिसूचना एक प्रत्यायोजित विधान (delegated legislation) है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 2021 का OM एक प्रशासनिक आदेश था, जो 2006 की अधिसूचना के तहत मंजूरी के मानदंड और प्रकृति को पर्याप्त रूप से बदल रहा था, जो कानूनन अनुमेय नहीं है।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि 2021 का OM अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह तर्कसंगतता और आनुपातिकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।
- न्यायालय ने 2021 के OM को भविष्य लक्षी (prospectively) रूप से रद्द किया है, ताकि चल रही परियोजनाओं पर तत्काल कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरी और एमनेस्टी योजनाएँ क्या हैं?

- पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरी का अर्थ है किसी परियोजना के शुरू होने या उसके एक महत्वपूर्ण चरण को पूरा करने के बाद उसे पर्यावरण मंजूरी प्रदान करना।
- सामान्यतः, पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment - EIA) प्रक्रिया के तहत किसी भी बड़ी परियोजना को शुरू करने से पहले 'पूर्व' पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य होता है।
- यह 'पूर्व' मंजूरी यह सुनिश्चित करती है कि परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन पहले ही कर लिया जाए और शमन के उपाय किए जाएं।
- एमनेस्टी योजनाएँ ऐसी विशेष योजनाएँ होती हैं जो उन परियोजनाओं को एक बार का अवसर प्रदान करती हैं जिन्होंने बिना आवश्यक मंजूरी के काम शुरू कर दिया था, ताकि वे कानूनी दायरे में आ सकें।
- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि एमनेस्टी योजनाएँ केवल 'अतिव्यापी सार्वजनिक हित' (supervening public interest) वाली चुनिंदा और योग्य परियोजनाओं के लिए ही

होनी चाहिए, और उन्हें एक तर्कसंगत अंतर (intelligible differentia) स्थापित करना चाहिए।

- न्यायालय के अनुसार, प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के उद्देश्यों को कमजोर नहीं किया जा सकता, जिसमें एहतियाती सिद्धांत (precautionary principle) और सतत विकास (sustainable development) शामिल हैं।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी (Ex Post Facto Environmental Clearances)	यह उन परियोजनाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया है जो बिना पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के शुरू की गई थीं। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से 'स्थायी व्यवस्था' के रूप में देने पर रोक लगाई है।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986	यह भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक व्यापक कानून है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 के कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) को इस अधिनियम के उद्देश्यों के 'अल्ट्रा वायर्स' (ultra vires) घोषित किया है।
2006 की अधिसूचना	यह एक प्रत्यायोजित विधान (delegated legislation) है जो बड़ी परियोजनाओं के लिए अनिवार्य और पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी का प्रावधान करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसे केवल उचित 'एमनेस्टी' (amnesty) अधिसूचना के माध्यम से ही संशोधित किया जा सकता है।
न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)	सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 के कार्यालय ज्ञापन की वैधता की जांच की और उसे रद्द कर दिया, जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति का एक उदाहरण है।
प्रशासनिक आदेश बनाम प्रत्यायोजित विधान	सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से प्रत्यायोजित विधान के प्रावधानों को पर्याप्त रूप से बदला नहीं जा सकता है।

चुनौतियाँ

- **विकास बनाम पर्यावरण संतुलन** — पूर्वव्यापी मंजूरी पर प्रतिबंध से उन परियोजनाओं के लिए चुनौतियाँ खड़ी हो सकती हैं जो पहले से ही बिना मंजूरी के चल रही हैं, जिससे आर्थिक विकास और निवेश प्रभावित हो सकता है।
- **प्रशासनिक प्रक्रियाओं में स्पष्टता** — यह निर्णय सरकार को पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रियाओं को और अधिक स्पष्ट और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रेरित करेगा, ताकि भविष्य में ऐसे कानूनी विवादों से बचा जा सके।
- **परियोजनाओं का भविष्य** — हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 के कार्यालय ज्ञापन को 'संभावित रूप से' (prospectively) रद्द किया है ताकि चल रही परियोजनाओं पर तत्काल प्रभाव न पड़े, फिर भी भविष्य में ऐसी परियोजनाओं को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 के उस कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) को रद्द कर दिया है जो आधारभूत संरचना परियोजनाओं को कार्य-पश्चात पर्यावरण मंजूरी प्रदान करता था। 2. न्यायालय ने केंद्र सरकार की 'एमनेस्टी योजनाओं' (Amnesty Schemes) के माध्यम से कार्य-पश्चात मंजूरी देने की शक्ति को बरकरार रखा है, बशर्ते वे विधायी प्रक्रिया का पालन करें। 3. 2006 की अधिसूचना, जिसके तहत परियोजनाओं के लिए अनिवार्य और पूर्व पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है, एक प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation) है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 के OM को रद्द कर दिया है। कथन 2 भी सही है क्योंकि न्यायालय ने 'एमनेस्टी योजनाओं' के माध्यम से मंजूरी देने की केंद्र की शक्ति को बरकरार रखा है, लेकिन यह स्पष्ट किया कि यह प्रशासनिक आदेशों के बजाय विधायी प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। कथन 3 भी सही है क्योंकि 2006 की अधिसूचना को न्यायालय ने एक प्रत्यायोजित विधान माना है।

Q2. अभिकथन (A): सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 के कार्यालय ज्ञापन को रद्द कर दिया क्योंकि यह 'सतत एमनेस्टी योजना' के रूप में था और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के उद्देश्यों के विरुद्ध था। **कारण (R):** यह कार्यालय ज्ञापन अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का उल्लंघन करता था क्योंकि यह तर्कसंगतता और आनुपातिकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता था।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि न्यायालय ने 2021 के OM को एक सतत एमनेस्टी योजना के रूप में देखा जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के उद्देश्यों के विरुद्ध था। कारण (R) भी सही है क्योंकि न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि OM तर्कसंगतता और आनुपातिकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता और अनुच्छेद 14 तथा 21 का उल्लंघन करता है। R, A की सही व्याख्या है क्योंकि ये उल्लंघन ही OM को रद्द करने के मुख्य कारण थे।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

☞ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्य-पश्चात पर्यावरण मंजूरी से संबंधित 2021 के कार्यालय ज्ञापन को रद्द करने के हालिया निर्णय की आलोचनात्मक जाँच कीजिए। पर्यावरण शासन में प्रत्यायोजित विधान और प्रशासनिक आदेशों के बीच अंतर का भी विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

1. **परिचय:** सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का संक्षिप्त संदर्भ, जिसमें 2021 के कार्यालय ज्ञापन (OM) को रद्द किया गया और कार्य-पश्चात पर्यावरण मंजूरी पर रोक लगाई गई।
2. **निर्णय का मुख्य आधार:** 2021 OM को प्रशासनिक आदेश के रूप में निरूपित करना, जो प्रत्यायोजित विधान (2006 की अधिसूचना) को प्रतिस्थापित नहीं ...

पश्चिम एशिया संकट 2026: भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी में राजनयिक मिशनों की भूमिका

Indian evacuation mission

Evacuees	1.4 lakh citizens trapped abroad
Indian missions	coordinated return parliament report
Transit visa	facilitated travel Qatar, Kuwait
Housing & transport	local arrangements government support
Digital hubs	real-time tracking control rooms

Indian evacuation mission

GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध • GS Paper II — भारतीय प्रवासी

भारत सरकार ने पश्चिम एशिया संकट 2026 के दौरान अपने राजनयिक मिशनों के माध्यम से 1.4 लाख से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित घर वापसी में सहायता प्रदान की, जो विदेशों में भारतीय प्रवासियों के कल्याण के...

यह खबर चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने हाल ही में लोकसभा में बताया कि अमेरिका-ईरान युद्ध (US-Iran War) के दौरान भारतीय राजनयिक मिशनों ने लगभग 1.4 लाख भारतीय

नागरिकों को सुरक्षित घर वापसी में सहायता प्रदान की। यह जानकारी संकटग्रस्त क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को निकालने में भारत के राजनयिक प्रयासों की प्रभावशीलता को रेखांकित करती है, जिसमें

प्रीलिम्स पॉइंटर

पश्चिम एशिया (West Asia) में अमेरिका और ईरान के बीच 2026 में हुए संघर्ष ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया था, जिससे वहां काम कर रहे लाखों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा था।

विभिन्न देशों के माध्यम से पारगमन वीज़ा (Transit Visa), आवास और परिवहन की व्यवस्था शामिल थी।

मुख्य बिंदु

- पश्चिम एशिया (West Asia) में अमेरिका और ईरान के बीच 2026 में हुए संघर्ष ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया था, जिससे वहां काम कर रहे लाखों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा था।
- भारत के लिए पश्चिम एशिया एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी (Indian Diaspora) कार्यरत हैं, जो देश को महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा प्रेषण (Foreign Remittances) भेजते हैं।
- ऐतिहासिक रूप से, भारत ने विभिन्न वैश्विक संकटों के दौरान अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कई बड़े अभियान चलाए हैं, जैसे यूक्रेन से 'ऑपरेशन गंगा' और अफगानिस्तान से 'ऑपरेशन देवी शक्ति'।
- विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक बहु-स्तरीय तंत्र का पालन करता है, जिसमें यात्रा सलाह जारी करना और राजनयिक मिशनों के माध्यम से संपर्क बनाए रखना शामिल है।
- संकट के दौरान, भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों ने पारगमन वीज़ा, स्थानीय आवास, परिवहन और सीमा पार आवाजाही की सुविधा प्रदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- इस निकासी अभियान में कतर और कुवैत जैसे देशों ने प्रमुख भूमिका निभाई, जहां से अधिकांश भारतीय नागरिकों को सहायता प्रदान की गई, जिसमें आंशिक हवाई क्षेत्र के फिर से खुलने और सऊदी पारगमन वीज़ा की सुविधा शामिल थी।

भारतीय राजनयिक मिशन और प्रवासी कल्याण

- भारतीय राजनयिक मिशन (Indian Diplomatic Missions) विदेशों में भारत के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारतीय नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनमें पासपोर्ट, वीज़ा और आपातकालीन सहायता शामिल है।
- ये मिशन विदेशों में भारतीय प्रवासियों के कल्याण को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से संकट या संघर्ष की स्थितियों में।

- सरकार एक संरचित, बहु-स्तरीय तंत्र का पालन करती है ताकि विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भलाई की बारीकी से निगरानी की जा सके।
- आपातकालीन स्थितियों में, दूतावास और वाणिज्य दूतावास भारतीय नागरिकों को सलाह जारी करते हैं, उनसे संपर्क में रहते हैं और निकासी अभियानों का समन्वय करते हैं।
- संचार के विभिन्न तंत्र, जैसे ईमेल, बहुभाषी आपातकालीन नंबर, सोशल मीडिया और टोल-फ्री हेल्पलाइन, भारतीय नागरिकों को मिशनों तक पहुंचने में मदद करते हैं।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
1.4 लाख नागरिकों की वापसी	अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान भारतीय मिशनों द्वारा बड़े पैमाने पर निकासी का सफल संचालन।
बहु-स्तरीय तंत्र	विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार का संरचित दृष्टिकोण।
पारगमन वीज़ा सुविधा	कुवैत और बहरीन के माध्यम से सऊदी पारगमन वीज़ा की व्यवस्था, जटिल परिस्थितियों में लचीलापन दर्शाता है।
गैर-निर्धारित उड़ान संचालन	कुवैत से भारतीयों की वापसी के लिए विशेष उड़ानों का उपयोग, आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को दर्शाता है।
डिजिटल आपातकालीन प्रतिक्रिया समाधान	निकासी अभियानों को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, भविष्य की तैयारी।
24x7 नियंत्रण कक्ष	संकट के समय फंसे हुए नागरिकों और उनके परिवारों को निरंतर सहायता और सूचना प्रदान करना।

भारत के लिए महत्व

- यह घटना भारत की सक्रिय कूटनीति और अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, भले ही भू-राजनीतिक तनाव अधिक हो।
- भारतीय मिशनों का समन्वय और विभिन्न देशों के साथ पारगमन व्यवस्था स्थापित करने की क्षमता भारत की वैश्विक पहुंच और कूटनीतिक प्रभाव को दर्शाती है।

- विदेशों में संकट में फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना सरकार की अपने लोगों के प्रति जवाबदेही को मजबूत करता है और उनमें विश्वास पैदा करता है।
- यह प्रवासी भारतीयों के कल्याण के प्रति भारत की चिंता को दर्शाता है, जो देश के लिए महत्वपूर्ण प्रेषण (Remittances) और सॉफ्ट पावर का स्रोत हैं।
- निकासी अभियान में विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय मिशनों के बीच प्रभावी समन्वय एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे और संकट प्रबंधन क्षमताओं को दर्शाता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

ऑपरेशन गंगा · ऑपरेशन देवी शक्ति · भारतीय प्रवासी · राजनयिक मिशन · विदेश मंत्रालय · पश्चिम एशिया संकट

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत का संविधान अनुच्छेद 360 के तहत विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान करता है। 2. 'ऑपरेशन गंगा' यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख निकासी अभियान था। 3. विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) विदेशों में भारतीय मिशनों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को कांसुलर सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, न कि विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से। कथन 2 सही है। 'ऑपरेशन गंगा' यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। कथन 3 सही है। विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों के माध्यम से कांसुलर सहायता प्रदान करता है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारत सरकार द्वारा विदेशों में संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए उठाए गए कदमों का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

1. भारत सरकार केवल युद्धग्रस्त क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए उत्तरदायी है।
2. भारतीय मिशन केवल हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करके निकासी अभियानों में सहायता करते हैं।
3. सरकार निकासी अभियानों के दौरान सहायता और सूचना प्रदान करने के लिए भारत और विदेशों दोनों में 24x7 नियंत्रण कक्ष स्थापित करती है।
4. भारतीय नागरिकों को केवल उनके गृह राज्य के माध्यम से ही सहायता प्रदान की जाती है।

उत्तर: सरकार निकासी अभियानों के दौरान सहायता और सूचना प्रदान करने के लिए भारत और विदेशों दोनों में 24x7 नियंत्रण कक्ष स्थापित करती है। — सरकार निकासी अभियानों के दौरान सहायता और सूचना प्रदान करने के लिए भारत और विदेशों दोनों में 24x7 नियंत्रण कक्ष स्थापित करती है, जैसा कि लेख में बताया गया है। अन्य विकल्प आंशिक या गलत जानकारी प्रस्तुत करते हैं।

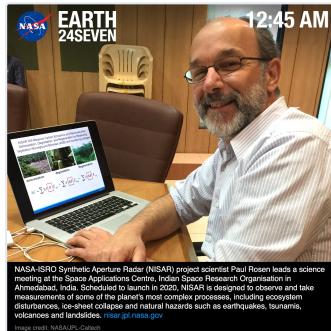
मुख्य अभ्यास प्रश्न

📌 पश्चिम एशिया संकट 2026 के दौरान भारतीय नागरिकों की सफल निकासी में भारतीय राजनयिक मिशनों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ऐसे निकासी अभियानों के प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए तंत्रों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

1. परिचय: पश्चिम एशिया संकट 2026 के संदर्भ में भारतीय नागरिकों की निकासी के महत्व को संक्षेप में बताएं।
2. भारतीय राजनयिक मिशनों की भूमिका:
 - 1.4 लाख से अधिक नागरिकों की वापसी में सुविधा (कतर, कुवैत, इराक, आर्मेनिया, बहरीन आदि के माध्यम से)।
 - पारगमन वीजा, स्थानीय आवास, परिवहन और सीमा पार ...

चंद्रयान-5 मिशन: भारत-जापान का संयुक्त चंद्र अन्वेषण



स्रोत: [Wikimedia Commons](#) — NASA Earth Right Now (Public domain)

GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) • GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) के वैज्ञानिकों ने संयुक्त चंद्रयान-5 मिशन की तैयारियों की समीक्षा की है। यह मिशन, जिसे लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन (LUPEX) के नाम से भी जाना जाता है, 2028 में लॉन्च होने वाला है और चंद्रमा पर जल तथा जल-बर्फ का अध्ययन करेगा।

याद रखें

चंद्रयान-5 (LUPEX) ISRO और JAXA का एक संयुक्त चंद्र रोवर मिशन है, जिसका लक्ष्य 2028 में चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों पर जल और जल-बर्फ का अध्ययन करना है।

मुख्य बिंदु

- चंद्रयान-5 मिशन को भारत सरकार ने मार्च 2025 में अनुमोदित किया था, जो अगस्त 2023 में चंद्रयान-3 मिशन की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद आया है।
- यह ISRO और JAXA के बीच एक संयुक्त रोवर मिशन है, जिसमें ISRO लैंडर मॉड्यूल का निर्माण कर रहा है और JAXA रोवर विकसित कर रहा है।
- मिशन को जापानी H3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और इसमें विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के लिए सात वैज्ञानिक उपकरण होंगे।

- अमेरिकी राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) भी इस मिशन में भाग ले रहे हैं, जो रोवर पर अपने पेलोड लगाएंगे।
- चंद्रयान-5 का लक्ष्य चंद्रमा की सतह और उपसतह दोनों पर जल और जल-बर्फ का अध्ययन करना है।
- यह मिशन चंद्रमा पर लगभग 100 दिनों तक सक्रिय रहने की योजना है।

चंद्रयान-5 (LUPEX) मिशन क्या है?

- चंद्रयान-5, जिसे लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन (LUPEX) मिशन भी कहा जाता है, भारत (ISRO) और जापान (JAXA) का एक संयुक्त चंद्र अन्वेषण मिशन है।
- इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में जल और जल-बर्फ की उपस्थिति और वितरण का विस्तृत अध्ययन करना है, जो भविष्य के चंद्र अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है।
- ISRO इस मिशन के लिए लैंडर मॉड्यूल का निर्माण कर रहा है, जो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरेगा।
- JAXA रोवर विकसित कर रहा है, जो लैंडर से बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह पर घूमेगा, स्थलाकृति का सर्वेक्षण करेगा और डेटा एकत्र करेगा।
- मिशन में सात वैज्ञानिक उपकरण शामिल होंगे, जिनमें NASA द्वारा विकसित न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर और ESA द्वारा विकसित मास स्पेक्ट्रोमीटर भी शामिल हैं।
- यह मिशन 2028 में जापानी H3 रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
मिशन का नाम	चंद्रयान-5 / लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन (LUPEX)
सहयोग	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) का संयुक्त मिशन
लॉन्च की योजना	2028 में जापानी रॉकेट H3 द्वारा
पेलोड	सात वैज्ञानिक उपकरण; NASA और ESA के पेलोड भी शामिल

विशेषता	महत्व
मिशन की अवधि	चंद्रमा पर 100 दिन (लगभग 3.5 महीने)
मुख्य उद्देश्य	चंद्रमा की सतह और उपसतह पर जल तथा जल-बर्फ का अध्ययन

भारत के लिए महत्व

- यह मिशन भारत और जापान के बीच अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करता है, जो भविष्य के संयुक्त अंतरिक्ष अन्वेषणों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।
- चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में जल-बर्फ की उपस्थिति का अध्ययन भविष्य के चंद्र मिशनों और संभावित मानव बस्तियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा।
- चंद्रमा की सतह और उपसतह पर जल तथा जल-बर्फ का अध्ययन चंद्रमा के भूवैज्ञानिक इतिहास और सौर मंडल में जल के वितरण को समझने में मदद करेगा।
- यह मिशन चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों की स्थलाकृति और डेटा संग्रह के माध्यम से नई वैज्ञानिक खोजों को बढ़ावा देगा, जो चंद्र विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
- ISRO द्वारा लैंडर मॉड्यूल और JAXA द्वारा रोवर का विकास दोनों देशों की उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षमताओं को दर्शाता है।

चुनौतियाँ

- **अंतरिक्षयान का निर्माण और एकीकरण** — लैंडर और रोवर मॉड्यूल के जटिल घटकों का निर्माण और उनका एकीकरण उच्च परिशुद्धता और कठोर परीक्षण की मांग करता है।
- **अंतर-अंतरिक्षयान संचार** — मिशन के दौरान लैंडर, रोवर और पृथ्वी के बीच निर्बाध संचार स्थापित करना और बनाए रखना महत्वपूर्ण है, खासकर ध्रुवीय क्षेत्रों में।
- **लॉन्च विंडो और समय-सीमा** — 2028 की लक्षित लॉन्च विंडो के भीतर सभी घटकों को समय पर तैयार करना और उनका परीक्षण करना एक चुनौती है।
- **चंद्रमा की कठोर परिस्थितियाँ** — चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में अत्यधिक तापमान भिन्नता और विकिरण का सामना करने के लिए उपकरणों और रोवर को डिजाइन करना।

आगे की राह

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करना, विशेष रूप से गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए संयुक्त मिशनों में।
- चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में जल-बर्फ के संसाधनों का पता लगाने और उनके संभावित उपयोग के लिए अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।
- अंतरिक्षयान डिजाइन और निर्माण में स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाना, ताकि भविष्य के मिशनों में आत्मनिर्भरता बढ़ाई जा सके।
- अंतरिक्ष डेटा विश्लेषण और व्याख्या के लिए उन्नत तकनीकों का विकास करना, जिससे वैज्ञानिक निष्कर्षों को अधिकतम किया जा सके।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

चंद्रयान-5 · लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन (LUPEX) · ISRO · JAXA · H3 रॉकेट · चंद्रमा पर जल-बर्फ · अंतरिक्ष सहयोग

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. चंद्रयान-5 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह ISRO और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) का एक संयुक्त मिशन है। 2. इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह और उपसतह पर जल तथा जल-बर्फ का अध्ययन करना है। 3. चंद्रयान-5 मिशन में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA भी भाग ले रही हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि चंद्रयान-5 (LUPEX) ISRO और JAXA का एक संयुक्त मिशन है। कथन 2 भी सही है क्योंकि इसका उद्देश्य चंद्रमा पर जल और जल-बर्फ का अध्ययन करना है। कथन 3 भी सही है क्योंकि NASA और ESA भी इस मिशन में अपने पेलोड के साथ भाग ले रही हैं।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

1. A. चंद्रयान-3: चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग
2. B. चंद्रयान-5: ISRO और JAXA का संयुक्त रोवर मिशन
3. C. गगनयान-1: मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन
4. D. H3 रॉकेट: चंद्रयान-5 के प्रक्षेपण के लिए जापानी रॉकेट

उत्तर: C. गगनयान-1: मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन — गगनयान-1 एक मानव रहित मिशन है, जबकि गगनयान मिशन का अंतिम लक्ष्य मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान है। इसलिए, 'मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन' के रूप में इसका सीधा वर्णन सही सुमेलित नहीं है। अन्य सभी युग्म सही सुमेलित हैं।

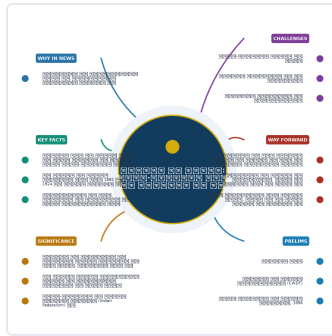
मुख्य अभ्यास प्रश्न

▮ अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व का परीक्षण कीजिए। चंद्रयान-5 मिशन के संदर्भ में भारत के अंतरिक्ष कूटनीति प्रयासों पर भी प्रकाश डालिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

- 1. परिचय:** अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बढ़ती आवश्यकता और इसके बहुआयामी लाभों का संक्षिप्त परिचय।
- 2. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का महत्व: संसाधनों का साझाकरण:** वित्तीय, तकनीकी और मानव संसाधनों का कुशल उपयोग। **जोखिम न्यूनीकरण:** बड़े और जटिल मिशनों में जोखिमों का वितरण। **तकनीकी विशेषज्ञता का आदान-प्रदान:** विभिन्न देशों की ...

कावेरी जल विवाद: अंतर-राज्यीय नदी जल बँटवारे का एक जटिल मुद्दा



माइंड मैप: कावेरी जल विवाद: अंतर-राज्यीय नदी जल बँटवारे का एक जटिल

GS Paper II — भारतीय संविधान, संघवाद, अंतर-राज्यीय संबंध, विवाद निवारण तंत्र • GS Paper III — जल संसाधन, कृषि, पर्यावरण

कावेरी जल विवाद भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल बँटवारे की जटिलताओं और इसके समाधान के लिए संवैधानिक तंत्रों के महत्व को दर्शाता है, जहाँ राजनीतिक संवाद और न्यायिक हस्तक्षेप दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की प्रस्तावित बेंगलुरु यात्रा ने कावेरी जल बँटवारे पर बातचीत को फिर से सुर्खियों में ला दिया है।

यह यात्रा 1980 के दशक के मध्य में हुई

ऐसी ही वार्ताओं की याद दिलाती है, जब तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन ने धान की फसल बचाने के लिए कर्नाटक से पानी छोड़ने का आग्रह करने हेतु अपने मंत्रियों को बेंगलुरु भेजा था। यह घटना भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों की निरंतरता और उनके समाधान के लिए राजनीतिक संवाद के महत्व को रेखांकित करती है।

प्रीलिम्स पॉइंटर

कावेरी नदी जल विवाद भारत के सबसे पुराने और सबसे जटिल अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों में से एक है, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी शामिल हैं।

मुख्य बिंदु

- कावेरी नदी जल विवाद भारत के सबसे पुराने और सबसे जटिल अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों में से एक है, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी शामिल हैं।
- इस विवाद की जड़ें ब्रिटिश काल में 1892 और 1924 के मैसूर रियासत और मद्रास प्रेसीडेंसी के बीच हुए समझौतों में निहित हैं।
- स्वतंत्रता के बाद, राज्यों के पुनर्गठन और कृषि आवश्यकताओं में वृद्धि के साथ यह विवाद और गहरा गया।
- भारत सरकार ने 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (Cauvery Water Disputes Tribunal - CWDT) का गठन अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 (Inter-State Water Disputes Act, 1956) के तहत किया था।
- न्यायाधिकरण ने 2007 में अपना अंतिम निर्णय दिया, जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जल बँटवारे का निर्धारण किया गया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में न्यायाधिकरण के निर्णय को संशोधित किया, जिसमें कर्नाटक के हिस्से में वृद्धि की गई और तमिलनाडु के हिस्से में कमी की गई, जबकि केरल और पुडुचेरी के हिस्से अपरिवर्तित रहे।

भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 (Article 262) संसद को अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल से संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन का प्रावधान करने का अधिकार देता है।
- संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए दो अधिनियम बनाए हैं: नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 (River Boards Act, 1956) और अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956।
- नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 का उद्देश्य अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन और विकास के लिए नदी बोर्डों की स्थापना करना है, हालांकि इसका क्रियान्वयन सीमित रहा है।
- अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 केंद्र सरकार को अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए एक न्यायाधिकरण (Tribunal) स्थापित करने का अधिकार देता है।

- इन न्यायाधिकरणों के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के पास ऐसे विवादों पर अधिकार क्षेत्र नहीं होता, जब तक कि संसद अन्यथा प्रावधान न करे।
- जल एक राज्य सूची का विषय है, लेकिन अंतर-राज्यीय नदियों का विनियमन संघ सूची के तहत आता है, जिससे केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
कावेरी जल विवाद	भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों का एक प्रमुख उदाहरण, जो संघवाद और राज्यों के बीच सहयोग की चुनौतियों को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री स्तर की वार्ता	अंतर-राज्यीय विवादों को सुलझाने के लिए राजनीतिक नेतृत्व के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप और संवाद के महत्व को रेखांकित करता है।
ऐतिहासिक संदर्भ (1980 के दशक)	दर्शाता है कि जल विवादों का समाधान अक्सर दीर्घकालिक और जटिल होता है, जिसमें अतीत के अनुभव वर्तमान रणनीतियों को प्रभावित करते हैं।
कृषि पर निर्भरता	कावेरी डेल्टा क्षेत्र में धान की खेती के लिए जल की उपलब्धता का सीधा संबंध लाखों किसानों की आजीविका और क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा से है।
केंद्र सरकार की भूमिका	राज्यों के बीच विवादों में मध्यस्थता करने और समाधान की सुविधा प्रदान करने में केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।

भारत के लिए महत्व

- कावेरी जल तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों राज्यों के लिए कृषि, विशेषकर धान की खेती की रीढ़ है। जल की कमी से फसलें बर्बाद होती हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।
- जल विवादों का समाधान औद्योगिक और कृषि निवेश के लिए स्थिरता प्रदान करता है, जिससे आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को बढ़ावा मिलता है।
- जल विवाद अक्सर क्षेत्रीय पहचान और भावनात्मक मुद्दों से जुड़े जाते हैं, जिससे सामाजिक तनाव और कभी-कभी कानून-व्यवस्था की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

- किसानों की आजीविका पर सीधा प्रभाव पड़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और पलायन जैसी सामाजिक समस्याएँ बढ़ सकती हैं।
- अंतर-राज्यीय जल विवाद भारतीय संघवाद (Indian Federalism) की कार्यप्रणाली और राज्यों के बीच सहयोग की भावना का परीक्षण करते हैं।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर-राज्यीय जल विवादों के न्यायनिर्णयन से संबंधित है। 2. संसद कानून द्वारा किसी भी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी से संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन के लिए प्रावधान कर सकती है। 3. कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT) का गठन अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत किया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। अनुच्छेद 262 अंतर-राज्यीय जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है। कथन 2 भी सही है। यह अनुच्छेद 262 का ही एक हिस्सा है जो संसद को इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। कथन 3 भी सही है। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत ही किया गया था।

Q2. अभिकथन (A): अंतर-राज्यीय जल विवादों का समाधान अक्सर राज्यों के बीच राजनीतिक वार्ता और न्यायिक हस्तक्षेप दोनों के माध्यम से होता है। कारण (R): भारत में जल एक राज्य का विषय है, लेकिन प्रमुख नदियों का प्रवाह कई राज्यों से होकर गुजरता है, जिससे विवाद उत्पन्न होते हैं।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि अंतर-राज्यीय जल विवादों में अक्सर राजनीतिक और न्यायिक दोनों स्तरों पर समाधान की आवश्यकता होती है। कारण (R) भी सही है क्योंकि भारत में जल राज्य सूची का विषय है, लेकिन नदियों का अंतर-राज्यीय स्वरूप विवादों को जन्म देता है। R, A का सही स्पष्टीकरण भी है क्योंकि जल के राज्य विषय होने और नदियों के अंतर-राज्यीय स्वरूप के कारण ही राजनीतिक वार्ता और न्यायिक हस्तक्षेप दोनों की आवश्यकता पड़ती है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

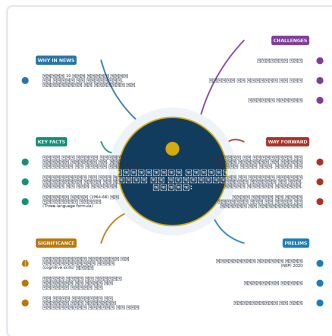
✍ अंतर-राज्यीय जल विवाद भारतीय संघवाद के समक्ष एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करते हैं। कावेरी जल विवाद के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इन विवादों के स्थायी समाधान के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर कंकाल:

- परिचय:** अंतर-राज्यीय जल विवादों की प्रकृति और भारतीय संघवाद पर उनके प्रभाव का संक्षिप्त परिचय। कावेरी जल विवाद का उल्लेख।
- चुनौती के रूप में अंतर-राज्यीय जल विवाद:** राज्यों के बीच तनाव और अविश्वास का बढ़ना। सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) की भावना को कमजोर करना। विकास परियोजनाओं में बाधा।

...

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र: बहुभाषावाद की चुनौतियाँ और संभावनाएँ



माइंड मैप: राष्ट्रीय शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र: बहुभाषावाद की च

GS Paper II — शिक्षा, मानव संसाधन और सामाजिक न्याय • GS Paper I — भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ, विविधता

यह खबर चर्चा में क्यों?

कक्षा 10 में तीसरी भाषा के परिचय ने शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के बीच बहस छेड़ दी है। जहाँ एक वर्ग इसे शैक्षणिक बोझ मानता है, वहीं दूसरा वर्ग इसे बहुभाषी छात्रों के विकास के अवसर के रूप में देखता

है। इस नीति के क्रियान्वयन से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियों, जैसे प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और उपयुक्त शिक्षण सामग्री का अभाव, पर भी चर्चा हो रही है।

याद रखें

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का त्रिभाषा सूत्र बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और भाषाई विविधता का सम्मान करने का एक प्रयास है, जिसके सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण और अनुभवात्मक शिक्षण विधियों पर ध्यान केंद्रित...

मुख्य बिंदु

- भारत में भाषाई विविधता अत्यंत समृद्ध है, जहाँ संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है।
- स्वतंत्रता के बाद से ही राष्ट्रीय एकता और भाषाई पहचान के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए विभिन्न शिक्षा आयोगों और नीतियों ने भाषाओं के शिक्षण पर जोर दिया है।
- कोठारी आयोग (1964-66) ने त्रिभाषा सूत्र (Three-language formula) का प्रस्ताव दिया था, जिसका उद्देश्य भाषाई सद्भाव और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना था।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy 2020) ने त्रिभाषा सूत्र को लचीलेपन के साथ लागू करने की बात कही है, जिसमें छात्रों को अपनी पसंद की तीन भाषाएँ चुनने की स्वतंत्रता होगी, जिनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएँ होनी चाहिए।
- बहुभाषावाद (Multilingualism) को संज्ञानात्मक कौशल (cognitive skills) में सुधार, समस्या-समाधान क्षमताओं में वृद्धि और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने वाला माना जाता है।
- हालांकि, इस नीति के क्रियान्वयन में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री और परीक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर व्यावहारिक शिक्षण विधियों को अपनाने जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं।

त्रिभाषा सूत्र क्या है?

- त्रिभाषा सूत्र भारत में भाषा शिक्षा से संबंधित एक नीति है, जिसे राष्ट्रीय एकता और भाषाई सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- मूल रूप से, यह सूत्र छात्रों को तीन भाषाओं का अध्ययन करने का सुझाव देता है: पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी।
- दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में एक आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी, और गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी होगी।
- तीसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में एक आधुनिक भारतीय भाषा (जो दूसरी भाषा नहीं है) या अंग्रेजी होगी, और गैर-हिंदी भाषी राज्यों में एक आधुनिक भारतीय भाषा (जो पहली या दूसरी भाषा नहीं है) या अंग्रेजी होगी।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सूत्र को लचीला बनाया है, जिसमें छात्रों को तीन भाषाओं का अध्ययन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना है कि कम से कम दो भारतीय भाषाएँ हों।
- इस नीति का उद्देश्य छात्रों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, विभिन्न भारतीय संस्कृतियों की समझ विकसित करना और संज्ञानात्मक लाभ प्राप्त करना है।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
बहुभाषावाद का विकास	

विशेषता	महत्व
	छात्रों में बेहतर संज्ञानात्मक कौशल और समस्या-समाधान क्षमता का निर्माण।
सांस्कृतिक समझ में वृद्धि	देश की विविध संस्कृतियों के प्रति जागरूकता और संचार कौशल का विकास।
रचनात्मक शिक्षण पद्धतियाँ	कहानी सुनाना, रंगमंच, संगीत और डिजिटल संसाधनों के माध्यम से भाषा सीखने को आकर्षक बनाना।
व्यावहारिक दृष्टिकोण	भाषा को अनुभव करने पर जोर, न कि केवल उसे याद करने पर, जिससे आत्मविश्वास और वास्तविक रुचि विकसित हो।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का दृष्टिकोण	त्रि-भाषा सूत्र के माध्यम से भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना और भाषाई विविधता का सम्मान करना।

भारत के लिए महत्व

- बहुभाषावाद छात्रों के संज्ञानात्मक कौशल (cognitive skills) जैसे बेहतर स्मृति, समस्या-समाधान और विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचने की क्षमता को बढ़ाता है।
- यह छात्रों को विविध संस्कृतियों को समझने और प्रभावी संचार कौशल (communication skills) विकसित करने में मदद करता है।
- तीसरी भाषा का शिक्षण छात्रों को भारत की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विविधता से जोड़ता है।
- यह भाषाई सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है।
- यह नीति छात्रों को भविष्य में विभिन्न व्यावसायिक अवसरों के लिए तैयार कर सकती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ बहुभाषी क्षमताएँ मूल्यवान हैं।

चुनौतियाँ

- **शैक्षिक बोझ** — कक्षा 10 के छात्रों पर पहले से ही बोर्ड परीक्षा, परियोजना कार्य और सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों का दबाव होता है।
- **शिक्षक और सामग्री की कमी** — तीसरी भाषा पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी एक बड़ी चुनौती है।

- **शिक्षण पद्धति** — वर्तमान शिक्षण पद्धति अक्सर पाठ्यपुस्तकों और परीक्षाओं तक सीमित रहती है, जो भाषा सीखने को नीरस बना सकती है।
- **छात्रों का संक्रमण** — जो छात्र कई वर्षों से फ्रेंच या जर्मन जैसी विदेशी भाषाएँ सीख रहे हैं, उनके लिए अचानक भारतीय क्षेत्रीय भाषा में स्विच करना मुश्किल हो सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 · त्रिभाषा सूत्र · बहुभाषावाद के लाभ · भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची · राजभाषा अधिनियम · शास्त्रीय भाषाएँ

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. NEP 2020 प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के उपयोग पर जोर देती है। 2. त्रिभाषा सूत्र के तहत, एक भारतीय भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाना अनिवार्य है, खासकर गैर-हिंदी भाषी राज्यों में। 3. यह नीति व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ एकीकृत करने का भी प्रस्ताव करती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। NEP 2020 प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में बढ़ावा देती है। कथन 2 सही नहीं है। त्रिभाषा सूत्र में एक भारतीय भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने की बात है, लेकिन यह गैर-हिंदी भाषी राज्यों के लिए विशिष्ट रूप से अनिवार्य नहीं है, बल्कि यह लचीलेपन पर आधारित है। कथन 3 सही है। NEP 2020 व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ एकीकृत करने पर जोर देती है ताकि छात्रों को विभिन्न कौशल सीखने का अवसर मिल सके।

Q2. अभिकथन (A): बहुभाषी होने से व्यक्ति के संज्ञानात्मक कौशल में सुधार होता है और समस्या-समाधान क्षमता बढ़ती है। कारण (R): बहुभाषावाद विभिन्न संस्कृतियों की बेहतर समझ को

बढ़ावा देता है और संचार कौशल को विकसित करता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि बहुभाषी होने से बेहतर स्मृति, समस्या-समाधान और विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचने की क्षमता जैसे संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। कारण (R) भी सही है क्योंकि बहुभाषी व्यक्ति विभिन्न संस्कृतियों को बेहतर ढंग से समझते हैं और उनके संचार कौशल विकसित होते हैं। कारण (R) सीधे तौर पर संज्ञानात्मक कौशल में सुधार की व्याख्या नहीं करता है, बल्कि यह बहुभाषावाद के अन्य लाभों को बताता है। हालांकि, व्यापक अर्थ में, सांस्कृतिक समझ और संचार कौशल का विकास संज्ञानात्मक लचीलेपन से जुड़ा हो सकता है।

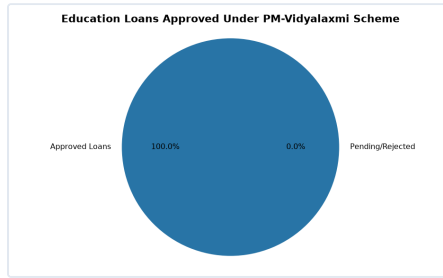
मुख्य अभ्यास प्रश्न

📌 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत प्रस्तावित त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, प्रभावी भाषा शिक्षण के लिए अभिनव दृष्टिकोणों का भी सुझाव दीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

1. परिचय: NEP 2020 और त्रिभाषा सूत्र का संक्षिप्त परिचय, इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालना (बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान)।
2. त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ (समालोचनात्मक परीक्षण): क. शिक्षक प्रशिक्षण और उपलब्धता: प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, विशेषकर क्षेत्रीय भाषाओं के लिए। ख. शिक्षण सामग्री: गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण ...

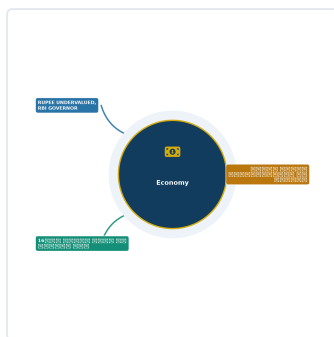
PM-Vidyalaxmi Scheme: 1.12 Lakh Education Loans Approved Since Launch



Education Loans Approved Under PM-Vidyalaxmi Scheme

PM-Vidyalaxmi Scheme: 1.12 Lakh Education Loans Approved Since Launch

Economy



इस खंड की झलक: Economy

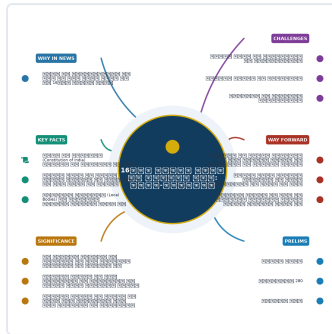
Rupee is undervalued, says RBI Governor: What it means and why it matters



स्रोत: [Wikimedia Commons](#) — Ministry of Finance of India (GODL-India)

Rupee is undervalued, says RBI Governor: What it means and why it matters

16वें वित्त आयोग और जनगणना शहर: शहरी-ग्रामीण वर्गीकरण के मुद्दे



माइंस्ट मैप: 16वें वित्त आयोग और जनगणना शहर: शहरी-ग्रामीण वर्गीकरण के

GS Paper II — भारतीय संविधान, संघवाद, केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध • GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था, शहरीकरण

जनगणना शहर वे स्थान हैं जो जनगणना के उद्देश्यों के लिए शहरी माने जाते हैं, लेकिन वैधानिक रूप से नगर पालिका नहीं होते, और इनका गलत वर्गीकरण केंद्र-राज्य वित्तीय हस्तांतरण को प्रभावित कर सकता है, जैसा...

यह खबर चर्चा में क्यों?

केरल के मुख्यमंत्री ने हाल ही में दावा किया है कि 16वें वित्त आयोग (16th Finance Commission) ने कई 'जनगणना शहरों' (Census Towns) को शहरी क्षेत्रों के रूप में 'गलत तरीके से'

मूल्यांकित किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपलब्ध केंद्रीय निधियों में कमी आई है। उनके अनुसार, इस मूल्यांकन ने स्थानीय निकायों को योजनाबद्ध व्यय के लिए धन वितरित करने में भी समस्याएँ पैदा की हैं, क्योंकि अधिकांश जनगणना शहर पंचायतों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उन्हें शहरी मान लिया गया है।

प्रीलिम्स पॉइंटर

भारत का संविधान (Constitution of India) केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को नियंत्रित करता है। अनुच्छेद 280 (Article 280) के तहत, राष्ट्रपति हर पाँच साल या उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन करते हैं।

मुख्य बिंदु

- भारत का संविधान (Constitution of India) केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को नियंत्रित करता है। अनुच्छेद 280 (Article 280) के तहत, राष्ट्रपति हर पाँच साल या उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन करते हैं।
- वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के संबंध में सिफारिशें करना है। यह भारत की संघित निधि (Consolidated Fund of India) से राज्यों को सहायता अनुदान (Grants-in-aid) के सिद्धांतों पर भी सिफारिशें करता है।
- स्थानीय निकायों (Local Bodies) को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी वित्त आयोग सिफारिशें करता है, जो ग्रामीण (पंचायतों) और शहरी (नगर पालिकाओं) दोनों स्तरों पर होती हैं।
- भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया में 'जनगणना शहर' एक महत्वपूर्ण श्रेणी है। ये ऐसे स्थान हैं जो जनगणना के उद्देश्यों के लिए शहरी माने जाते हैं, लेकिन इन्हें आधिकारिक तौर पर नगर पालिका (Municipality) या नगर निगम (Municipal Corporation) के रूप में शासित नहीं किया जाता है।
- जनगणना शहरों का वर्गीकरण अक्सर राज्य सरकारों के लिए वित्तीय आवंटन और स्थानीय शासन की संरचना को प्रभावित करता है, क्योंकि केंद्र से आने वाले फंड अक्सर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग शर्तों और प्रावधानों के साथ आते हैं।

जनगणना शहर क्या हैं?

- जनगणना शहर (Census Town) एक ऐसा स्थान है जो जनगणना के उद्देश्यों के लिए शहरी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन इसे राज्य के कानून के तहत एक वैधानिक शहरी स्थानीय निकाय (Statutory Urban Local Body) जैसे नगर पालिका या नगर निगम के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।
- भारत की जनगणना के अनुसार, एक स्थान को जनगणना शहर के रूप में वर्गीकृत करने के लिए तीन मानदंडों को पूरा करना होता है:
- न्यूनतम 5,000 की जनसंख्या।
- कम से कम 75 प्रतिशत पुरुष मुख्य कामकाजी आबादी गैर-कृषि गतिविधियों में लगी हो।
- जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो।

- ये शहर अक्सर ग्रामीण-शहरी संक्रमणकालीन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है लेकिन औपचारिक शहरी प्रशासन अभी तक स्थापित नहीं हुआ होता है।

मूल्य-संवर्धन

Feature	Significance
जनगणना शहर (Census Towns)	ये ऐसे स्थान हैं जिन्हें जनगणना के उद्देश्यों के लिए शहरी माना जाता है, लेकिन उनका प्रशासन नगरपालिका या नगर निगम के रूप में नहीं होता है।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का वर्गीकरण	वित्त आयोग द्वारा राज्यों को केंद्रीय निधियों के वितरण का आधार। गलत वर्गीकरण से निधियों के आवंटन में विसंगति आ सकती है।
स्थानीय निकायों को निधियों का वितरण	राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगरपालिकाओं) को योजनागत व्यय (Planned Expenditure) के लिए धन का आवंटन।
केंद्रीय निधियों का सशर्त आवंटन	केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले धन अक्सर विशिष्ट शर्तों और दिशानिर्देशों के साथ आते हैं।
योजनागत व्यय में कमी	केंद्रीय निधियों में कमी के कारण राज्यों को अपने योजनागत व्यय में कटौती करनी पड़ सकती है।

चुनौतियाँ

- **वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन** — वित्त आयोग की सिफारिशें केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का आधार बनती हैं, और इन सिफारिशों के क्रियान्वयन में किसी भी विसंगति का राज्यों की वित्तीय स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
- **जनगणना शहरों का वर्गीकरण** — जनगणना शहरों को शहरी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करने से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटित निधियों में कमी आ सकती है, जबकि ये क्षेत्र अभी भी पंचायतों के अधीन होते हैं।
- **राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता** — केंद्रीय निधियों में कमी और उनके सशर्त आवंटन से राज्यों की अपनी विकास प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च करने की क्षमता सीमित हो जाती है।

- **स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण** — पर्याप्त केंद्रीय निधियों के अभाव में स्थानीय निकाय (पंचायतें और नगरपालिकाएँ) अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। 2. वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगम के वितरण की सिफारिश करता है। 3. जनगणना शहर (Census Town) वे स्थान होते हैं जिन्हें जनगणना के उद्देश्यों के लिए शहरी माना जाता है, लेकिन वे आधिकारिक तौर पर नगर पालिका या नगर निगम के रूप में शासित नहीं होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। कथन 2 सही है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगम के वितरण की सिफारिश करता है। कथन 3 सही है। जनगणना शहर की परिभाषा यही है कि वे जनगणना के लिए शहरी माने जाते हैं लेकिन कानूनी रूप से नगर पालिका नहीं होते।

Q2. अभिकथन (A): केरल के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि 16वें वित्त आयोग ने कई जनगणना शहरों का गलत आकलन शहरी क्षेत्रों के रूप में किया है। कारण (R): जनगणना शहरों को शहरी क्षेत्रों में शामिल करने से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपलब्ध केंद्रीय निधियों में कमी आई है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

1. A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, किंतु R गलत है।
4. A गलत है, किंतु R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि केरल के मुख्यमंत्री ने यही दावा किया है। कारण (R) भी सही है क्योंकि जनगणना शहरों को शहरी क्षेत्रों में शामिल करने से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए केंद्रीय निधियों का आवंटन कम हो गया है, जैसा कि समाचार में बताया गया है। R, A की सही व्याख्या भी है क्योंकि गलत आकलन के कारण ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निधियों में कमी आई है।

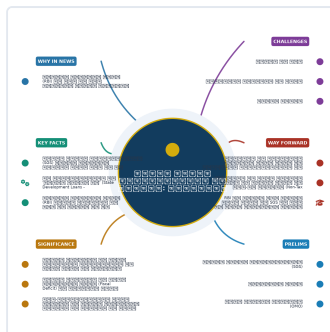
मुख्य अभ्यास प्रश्न

📌 वित्त आयोग की सिफारिशें केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? जनगणना शहरों के वर्गीकरण से संबंधित हालिया विवाद के संदर्भ में, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को निधियों के वितरण में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

- परिचय:** वित्त आयोग (Finance Commission) का संक्षिप्त परिचय (संवैधानिक निकाय, अनुच्छेद 280) और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में इसकी भूमिका।
- वित्त आयोग की सिफारिशों का प्रभाव: कर हस्तांतरण:** केंद्र के शुद्ध कर आगम का राज्यों के बीच वितरण। **अनुदान:** राज्यों को सहायता अनुदान (Grants-in-aid) और स्थानीय निकायों को अनुदान। ...

राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी: राजकोषीय प्रबंधन और वित्तीय समावेशन



माइंड मैप: राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी: राजकोषीय प्रबंधन और

GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय • GS Paper III — सरकारी बजटिंग

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कुल ₹26,850 करोड़ की राज्य सरकार प्रतिभूतियों (State Government Securities - SGS) की नीलामी की घोषणा की है। यह

नीलामी राज्य सरकारों को अपने विकासात्मक और बजटीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाज़ार से धन जुटाने में मदद करेगी। इस प्रक्रिया में RBI की केंद्रीय भूमिका और खुदरा निवेशकों के लिए 'खुदरा प्रत्यक्ष योजना' (Retail Direct Scheme) के माध्यम से भागीदारी के प्रावधान इसे वित्तीय बाज़ारों और राजकोषीय प्रबंधन के संदर्भ में महत्वपूर्ण बनाते हैं।

याद रखें

राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ (SGS) राज्य सरकारों द्वारा विकासात्मक व्यय और राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए जारी किए गए ऋण साधन हैं, जिनकी नीलामी RBI द्वारा की जाती है और अब खुदरा निवेशक भी 'खुदरा प्रत्यक्ष योजना' के...

मुख्य बिंदु

- राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ (SGS) राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए ऋण साधन हैं, जिनके माध्यम से वे बाज़ार से धन उधार लेती हैं।
- इन प्रतिभूतियों को 'राज्य विकास ऋण' (State Development Loans - SDLs) के रूप में भी जाना जाता है और इनका उपयोग राज्यों द्वारा अपने राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को वित्तपोषित करने और विकासात्मक परियोजनाओं के लिए किया जाता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) राज्य सरकारों के लिए एक बैंकर और ऋण प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, उनकी ओर से इन प्रतिभूतियों की नीलामी का संचालन करता है।
- RBI द्वारा आयोजित नीलामी में वाणिज्यिक बैंक, बीमा कंपनियाँ, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय संस्थान भाग लेते हैं।
- हाल ही में, खुदरा निवेशकों को भी सरकारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश करने की अनुमति देने के लिए 'खुदरा प्रत्यक्ष योजना' शुरू की गई है, जिससे वित्तीय बाज़ारों में उनकी भागीदारी बढ़ रही है।
- इन प्रतिभूतियों की ब्याज दरें (कूपन दरें) बाज़ार की स्थितियों और राज्य की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करती हैं, जो निवेशकों को एक निश्चित आय प्रदान करती हैं।

राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ (SGS) क्या हैं?

- राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ (SGS) भारत में राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए दिनांकित प्रतिभूतियाँ (Dated Securities) हैं, जो उनके उधार कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग हैं।
- ये प्रतिभूतियाँ राज्य सरकारों द्वारा अपने राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने, बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए धन जुटाने और अन्य विकासात्मक व्ययों को पूरा करने के लिए जारी की जाती हैं।
- इन्हें 'राज्य विकास ऋण' (State Development Loans - SDLs) भी कहा जाता है और ये केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की तरह ही संप्रभु गारंटी (Sovereign Guarantee) द्वारा समर्थित होती हैं, हालांकि इनकी जोखिम रेटिंग केंद्र सरकार की तुलना में थोड़ी अधिक हो सकती है।
- इन प्रतिभूतियों की नीलामी भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा 'ई-कुबेर प्रणाली' (E-Kuber System) नामक अपने कोर बैंकिंग समाधान प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाती है।
- नीलामी में दो प्रकार की बोलियाँ स्वीकार की जाती हैं: प्रतिस्पर्धी बोली (Competitive Bidding), जहाँ निवेशक ब्याज दर या मूल्य के लिए बोली लगाते हैं; और गैर-प्रतिस्पर्धी बोली (Non-competitive Bidding), जहाँ छोटे निवेशक अधिसूचित राशि के एक छोटे हिस्से के लिए बिना किसी विशिष्ट दर के बोली लगा सकते हैं।
- खुदरा निवेशक 'खुदरा प्रत्यक्ष योजना' (Retail Direct Scheme) के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश कर सकते हैं, जिससे उन्हें सरकारी ऋण बाज़ार तक सीधी पहुँच मिलती है।

मूल्य-संवर्धन

Feature	Significance
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ (State Government Securities - SGS)	राज्य सरकारों द्वारा धन जुटाने का एक साधन, जो उन्हें विकासात्मक परियोजनाओं और राजकोषीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है।
नीलामी प्रक्रिया	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा 'ई-कुबेर' प्रणाली के माध्यम से आयोजित, यह प्रक्रिया पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करती है।

Feature	Significance
गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना (Scheme for Non-competitive Bidding Facility)	छोटे निवेशकों, व्यक्तियों और संस्थाओं को SGS में निवेश करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे वित्तीय समावेशन बढ़ता है।
रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (Retail Direct Portal)	व्यक्तिगत निवेशकों को सीधे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने में सक्षम बनाता है, पूंजी बाजार तक पहुंच को आसान बनाता है।
पुनः-जारी (Re-issue)	पहले से जारी प्रतिभूतियों को फिर से जारी करना, जिससे सरकार को अतिरिक्त धन जुटाने और बाजार में तरलता बनाए रखने में मदद मिलती है।

आगे की राह

- राज्यों को राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने और राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम के लक्ष्यों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- राज्यों को अपने राजस्व आधार को मजबूत करने और गैर-कर राजस्व (Non-Tax Revenue) के स्रोतों का पता लगाने के लिए उपाय करने चाहिए।
- RBI को बाजार में तरलता बनाए रखने और SGS के लिए एक कुशल द्वितीयक बाजार (Secondary Market) सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए।
- छोटे निवेशकों और आम जनता के बीच सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ (State Government Securities - SGS) राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए ऋण साधन हैं। 2. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) राज्य सरकारों के लिए SGS की नीलामी का संचालन करता है। 3. SGS पर ब्याज दरें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की तुलना में आमतौर पर कम होती हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- केवल एक
- केवल दो

3. सभी तीन

4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 और 2 सही हैं। SGS राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए ऋण साधन हैं और RBI उनके लिए नीलामी का संचालन करता है। कथन 3 गलत है क्योंकि SGS पर ब्याज दरें आमतौर पर केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की तुलना में अधिक होती हैं, क्योंकि राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की तुलना में अधिक जोखिम वाला माना जाता है।

Q2. राज्य सरकार प्रतिभूतियों (SGS) के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

1. SGS को 'राज्य विकास ऋण' (State Development Loans - SDLs) के रूप में भी जाना जाता है।
2. राज्य सरकारें इन प्रतिभूतियों को अपने राजकोषीय घाटे (fiscal deficit) को वित्तपोषित करने के लिए जारी करती हैं।
3. SGS की नीलामी केवल संस्थागत निवेशकों के लिए खुली होती है, खुदरा निवेशकों के लिए नहीं।
4. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) राज्य सरकारों के लिए ऋण प्रबंधक के रूप में कार्य करता है।

उत्तर: SGS की नीलामी केवल संस्थागत निवेशकों के लिए खुली होती है, खुदरा निवेशकों के लिए नहीं। — विकल्प C सही नहीं है। SGS की नीलामी संस्थागत निवेशकों के साथ-साथ खुदरा निवेशकों के लिए भी खुली होती है, विशेष रूप से RBI की 'रिटेल डायरेक्ट' (Retail Direct) योजना के माध्यम से। अन्य सभी कथन सही हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

📌 राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ (State Government Securities - SGS) राज्यों के राजकोषीय प्रबंधन में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? भारत में राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism) के संदर्भ में SGS के महत्व का विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

1. **परिचय:** राज्य सरकार प्रतिभूतियों (SGS) को परिभाषित करें और बताएं कि वे क्या हैं (राज्य विकास ऋण)।
2. **राजकोषीय प्रबंधन में भूमिका: राजकोषीय घाटा वित्तपोषण:** बताएं कि कैसे SGS राज्य सरकारों को

अपने राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने में मदद करते हैं। **पूंजीगत व्यय:** बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और विकास कार्यों ...

Plutus IAS

Economy/Governance

अमेरिका-ईरान तनाव: क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक भू-राजनीति पर प्रभाव

Patriot missile defense

Patriot interceptor

Lockheed Martin
anti-missile

Iranian missile

5 launched
intercepted

Jordan air defenses

successful
no casualties

US airstrikes

response
Iran targets

Patriot missile defense

GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध • GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा

✍ अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव मध्य पूर्व की क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियाँ पेश करता है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक केंद्र बिंदु है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, जॉर्डन की वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से दागी गई पाँच मिसाइलों को मार गिराया, जबकि ईरान के इस्लामिक

रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने कुवैत में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमले का दावा किया है। यह घटनाक्रम अमेरिका द्वारा ईरान में किए गए हवाई हमलों के जवाब में आया है, जिससे क्षेत्र में तनाव और

प्रिलिम्स पॉइंटर

अमेरिका ने जॉर्डन में अपने एक अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले के जवाब में ईरान के भीतर कई हवाई हमले किए हैं।

बढ़ गया है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को धमकाने के आरोप में IRGC से जुड़ी संस्थाओं पर नए प्रतिबंध भी लगाए हैं।

मुख्य बिंदु

- अमेरिका ने जॉर्डन में अपने एक अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले के जवाब में ईरान के भीतर कई हवाई हमले किए हैं।
- ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने 'ऑपरेशन नस्र-2' के तहत कुवैत में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमले की जिम्मेदारी ली है।
- जॉर्डन की वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से दागी गई पाँच मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक दिया, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ।
- अमेरिका ने पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों के उत्पादन के लिए लॉकहीड मार्टिन के साथ \$58.6 बिलियन का एक बड़ा सौदा किया है, क्योंकि ईरान और यूक्रेन में संघर्षों के कारण अमेरिकी हथियारों के भंडार पर दबाव बढ़ रहा है।
- अमेरिका ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वाणिज्यिक जहाजों को धमकाने का आरोप लगाया है और इससे जुड़ी संस्थाओं पर नए प्रतिबंध लगाए हैं।
- स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैश्विक समुद्री यातायात के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है और दोनों पक्षों के बीच बातचीत में एक विवादास्पद बिंदु बना हुआ है।

स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भू-राजनीतिक महत्व

- स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज (Strait of Hormuz) फारस की खाड़ी (Persian Gulf) और ओमान की खाड़ी (Gulf of Oman) को जोड़ने वाला एक संकरा जलमार्ग है।
- यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल पारगमन बिंदुओं में से एक है, जहाँ से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग पाँचवाँ हिस्सा गुजरता है।
- यह जलमार्ग ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों के लिए समुद्री पहुँच प्रदान करता है।
- स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण या इसमें व्यवधान वैश्विक ऊर्जा बाजारों और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।
- ईरान ने अतीत में इस जलमार्ग को बंद करने की धमकी दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंताएँ बढ़ गई हैं।

- अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
भू-राजनीतिक तनाव में वृद्धि	अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव से मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ रही है।
होरमुज जलडमरूमध्य का सामरिक महत्व	यह वैश्विक समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण चोकपॉइंट है, जिस पर ईरान का दावा और अमेरिकी प्रतिबंध तनाव बढ़ा रहे हैं।
रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन	जॉर्डन द्वारा ईरानी मिसाइलों को मार गिराना और अमेरिका द्वारा पैट्रियट मिसाइल सौदे से क्षेत्र में सैन्य संतुलन और रक्षा तैयारियों को दर्शाता है।
आर्थिक प्रतिबंधों का प्रभाव	अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए नए प्रतिबंधों का उद्देश्य उसके पेट्रोलियम व्यापार और वित्तीय गतिविधियों को बाधित करना है, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
सैन्य ठिकानों पर हमले	क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले और जवाबी कार्रवाई से संघर्ष के बढ़ने का खतरा है।

भारत के लिए महत्व

- मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित होती है।
- होरमुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है।
- कच्चे तेल की कीमतों पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि मध्य पूर्व वैश्विक तेल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है।
- वैश्विक व्यापार मार्गों, विशेषकर समुद्री शिपिंग पर व्यवधान का खतरा रहता है, जिससे आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हो सकती हैं।
- अमेरिकी सैन्य उपस्थिति और उसके सहयोगियों की रक्षा क्षमताएं क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन का संकेत देती हैं।

चुनौतियाँ

- **क्षेत्रीय अस्थिरता** — मध्य पूर्व में संघर्षों का इतिहास रहा है, और यह नया तनाव पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है।
- **वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा** — होरमुज जलडमरूमध्य में किसी भी व्यवधान से वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हो सकती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन** — व्यापारिक जहाजों को धमकी देना और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों को बाधित करना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन है।
- **मानवीय संकट** — सैन्य संघर्षों से विस्थापन, हताहतों और मानवीय सहायता की आवश्यकता बढ़ सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज (Strait of Hormuz), इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC), पैट्रियट मिसाइल, CENTCOM, ऑपरेशन नस्र-2

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। 2. यह विश्व के सबसे महत्वपूर्ण तेल पारगमन बिंदुओं में से एक है। 3. ईरान ने इस जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों को धमकी देने का प्रयास किया है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज (Strait of Hormuz) फारस की खाड़ी (Persian Gulf) को ओमान की खाड़ी (Gulf of Oman) से जोड़ता है, जो बिल्कुल सही है। कथन 2: यह जलडमरूमध्य विश्व के सबसे महत्वपूर्ण तेल पारगमन बिंदुओं में से एक है, जिससे वैश्विक तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। यह कथन भी सही है। कथन 3: हालिया खबरों के अनुसार, अमेरिकी सेंट्रल

कमांड (CENTCOM) ने ईरान के इस्लामिक रिवालयनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों को धमकी देने का आरोप लगाया है। यह कथन भी सही है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तट पर स्थित नहीं है?

1. ईरान
2. ओमान
3. संयुक्त अरब अमीरात
4. सऊदी अरब

उत्तर: सऊदी अरब — स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तट पर ईरान और ओमान स्थित हैं। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भी इसके करीब है और इसकी सीमा फारस की खाड़ी से लगती है। सऊदी अरब की सीमा फारस की खाड़ी से लगती है, लेकिन यह सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर स्थित नहीं है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

📌 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सामरिक महत्व पर चर्चा कीजिए और खाड़ी क्षेत्र में इसकी सुरक्षा से संबंधित हालिया चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: परिचय: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संक्षिप्त परिचय और इसकी भौगोलिक स्थिति। सामरिक महत्व: वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तेल पारगमन मार्ग के रूप में इसकी भूमिका, और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का वर्णन करें। हालिया चुनौतियाँ: अमेरिका-ईरान तनाव, ईरान द्वारा जहाजों को धमकी, अमेरिकी प्रतिबंध, सैन्य उपस्थिति, और क्षेत्रीय अस्थिरता जैसे मुद्दों पर प्रकाश ...

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जाली भारतीय करेंसी नोटों की पहचान, रिपोर्टिंग और निगरानी हेतु बैंकों को निर्देश

FICN Detection System

RBI	Issues directives Enforces penalties
Banks	Review processes Train staff
Border Areas	Focus training Provide tools
FICN	Counterfeit notes Report & seize
Economy	Inflation risk Trust erosion
Security	Terror funding Illegal activities

FICN Detection System

GS Paper III — अर्थव्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा**यह खबर चर्चा में क्यों?**

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने जाली भारतीय करेंसी नोटों (FICNs) का पता लगाने, उनकी रिपोर्टिंग करने और निगरानी करने के संबंध में बैंकों को नए निर्देश जारी किए हैं। यह कदम इसलिए उठाया गया है

क्योंकि RBI के विश्लेषण से पता चला है कि कुछ बैंकों के प्रयास इस दिशा में पर्याप्त नहीं थे। RBI ने बैंकों को अपनी प्रक्रियाओं की समीक्षा करने और FICN की पहचान, ज़ब्ती और रिपोर्टिंग की क्षमता को मजबूत करने की सलाह दी है, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशिक्षण और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता पर जोर दिया गया है।

याद रखें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जाली भारतीय करेंसी नोटों (FICNs) की पहचान, ज़ब्ती और रिपोर्टिंग को मजबूत करने के लिए बैंकों को नए निर्देश दिए हैं, जिसमें प्रशिक्षण और सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष ध्यान शामिल है, क्योंकि यह देश...

मुख्य बिंदु

- जाली भारतीय करेंसी नोट (FICN) भारत की वित्तीय प्रणाली और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा हैं।
- RBI ने जाली नोटों का पता लगाने, उनकी रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए बैंकों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं, जिन्हें 'मास्टर डायरेक्शन ऑन काउंटरफीट नोट्स – डिटेक्शन, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग' कहा जाता है।
- इन निर्देशों में बैंकों को अपने नकदी संभालने वाले कर्मचारियों को जाली नोटों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित करना, सभी प्राप्त नोटों की प्रामाणिकता की जांच करना और जाली नोटों को ज़ब्त कर उनकी रिपोर्टिंग करना शामिल है।
- निर्देशों का उल्लंघन करने पर बैंकों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है, जैसे RBI को भेजी गई मुद्रा प्रेषणों, करेंसी चेस्ट शेष, ATM से वितरित या काउंटर पर भुगतान किए गए नोटों में जाली नोटों का पाया जाना।
- FICN का प्रचलन आतंकवाद के वित्तपोषण, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, जिससे यह आंतरिक सुरक्षा का भी एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है।

जाली भारतीय करेंसी नोट (FICN) क्या हैं?

- जाली भारतीय करेंसी नोट (FICN) ऐसे नोट होते हैं जो असली भारतीय मुद्रा नोटों की नकल करके बनाए जाते हैं और उन्हें वैध नोटों के रूप में प्रचलन में लाने का प्रयास किया जाता है।
- ये नोट अक्सर निम्न गुणवत्ता के होते हैं, लेकिन कुछ उच्च गुणवत्ता वाले जाली नोटों को पहचानना मुश्किल हो सकता है।
- FICN का पता लगाने के लिए, RBI ने भारतीय बैंक नोटों में कई सुरक्षा विशेषताएँ (security features) शामिल की हैं, जैसे वॉटरमार्क, सुरक्षा धागा, गुप्त छवि, पहचान चिह्न, रंग बदलने वाली स्याही आदि।
- बैंकों को इन सुरक्षा विशेषताओं के बारे में अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना अनिवार्य है ताकि वे जाली नोटों की पहचान कर सकें।
- जाली नोट पाए जाने पर, बैंकों को उन्हें तुरंत ज़ब्त करना होता है और किसी भी परिस्थिति में उन्हें ग्राहक को वापस नहीं करना या नष्ट नहीं करना होता है।

- ज़ब्त किए गए सभी FICN की निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है, जिसमें पुलिस और RBI को सूचित करना शामिल है।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
जाली नोटों का पता लगाना	आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण।
जाली नोटों की रिपोर्टिंग	कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जाली नोटों के प्रसार के स्रोतों और नेटवर्क का पता लगाने में मदद करता है।
कर्मचारियों का प्रशिक्षण	बैंक कर्मचारियों को असली बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं को पहचानने और जाली नोटों का पता लगाने में सक्षम बनाता है।
नोट प्रमाणीकरण/ छँटाई मशीनें	सीमावर्ती जिलों में जाली नोटों का पता लगाने की क्षमता को बढ़ाता है, जो सीमा पार से होने वाली गतिविधियों के लिए संवेदनशील हैं।
FICN डेटा का विश्लेषण	बैंकों को हॉटस्पॉट की पहचान करने, रुझानों की निगरानी करने और क्षमता-निर्माण प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है।

भारत के लिए महत्व

- जाली भारतीय मुद्रा नोट (FICN) अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति (Inflation) को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि वे बिना किसी वास्तविक आर्थिक गतिविधि के धन की आपूर्ति बढ़ाते हैं।
- यह प्रणाली में जनता के विश्वास को कम करता है, जिससे वैध वित्तीय लेनदेन में बाधा आती है और निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- जाली नोटों का उपयोग अक्सर आतंकवाद के वित्तपोषण, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए किया जाता है, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा होता है।
- सीमा पार से जाली नोटों का आना देश की संप्रभुता और आर्थिक स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी दिशा-निर्देश बैंकों को जाली नोटों का पता लगाने, रिपोर्ट करने और निगरानी करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करने में मदद करते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

जाली भारतीय करेंसी नोट (FICN) · भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) · मुद्रा प्रबंधन · बैंकों की भूमिका · नकली नोटों का पता लगाना · सीमावर्ती क्षेत्र · नोट प्रमाणीकरण/छँटाई मशीनें · जाली नोट सतर्कता प्रकोष्ठ (FNV Cell)

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. नकली भारतीय करेंसी नोटों (FICNs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) बैंकों को नकली नोटों का पता लगाने, उन्हें जब्त करने और रिपोर्ट करने के लिए व्यापक निर्देश जारी करता है। 2. बैंकों को नकली नोटों को नष्ट करने की अनुमति है यदि वे उन्हें RBI को भेजने में असमर्थ हों। 3. सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित बैंक शाखाओं को नकली नोटों का पता लगाने वाले उपकरणों से लैस करना अनिवार्य है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। RBI बैंकों को नकली नोटों का पता लगाने, उन्हें जब्त करने और रिपोर्ट करने के लिए मास्टर दिशा-निर्देश (Master Direction) जारी करता है। कथन 2 गलत है। बैंकों को किसी भी स्थिति में नकली नोटों को नष्ट करने या जमाकर्ता को वापस करने की अनुमति नहीं है; उन्हें जब्त किया जाना चाहिए। कथन 3 सही है। RBI के निर्देशानुसार, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं वाले जिलों में बैंक शाखाओं को नोट प्रमाणीकरण/छँटाई मशीनों से लैस करना अनिवार्य है।

Q2. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी 'नकली भारतीय करेंसी नोट (FICNs)-पता लगाना, रिपोर्ट करना और निगरानी' से संबंधित हालिया निर्देशों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

1. बैंकों के लिए नकदी प्रबंधन प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
2. नकली नोटों के संचलन को रोकना और वित्तीय प्रणाली की अखंडता बनाए रखना।
3. बैंक कर्मचारियों के लिए नए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना।
4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय रुपये के उपयोग को बढ़ावा देना।

उत्तर: नकली नोटों के संचलन को रोकना और वित्तीय प्रणाली की अखंडता बनाए रखना। — RBI के निर्देशों का प्राथमिक उद्देश्य नकली भारतीय करेंसी नोटों (FICNs) के संचलन को प्रभावी ढंग से रोकना है ताकि वित्तीय प्रणाली की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखा जा सके।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ नकली भारतीय करेंसी नोटों (FICNs) का संचलन भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। इस संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी हालिया निर्देशों की समीक्षा करें और नकली नोटों के खतरे से निपटने में बैंकों की भूमिका का विश्लेषण करें। (15 Marks)

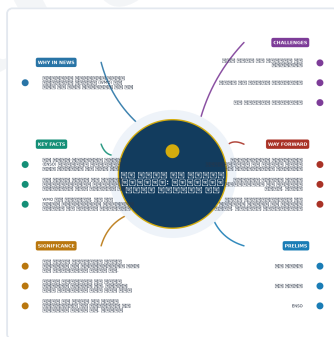
सुझावित उत्तर-रूपरेखा: परिचय: नकली भारतीय करेंसी नोटों (FICNs) के खतरे और इसके आर्थिक व सुरक्षा निहितार्थों का संक्षिप्त परिचय। RBI के हालिया निर्देश: RBI द्वारा जारी मास्टर दिशा-निर्देशों (Master Directions) और हालिया परिपत्र में उल्लिखित प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करें। इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम (विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए), नोट प्रमाणीकरण/छँटाई मशीनों का प्रावधान, जाली नोट सतर्कता प्रकोष्ठ ...

International Relations



इस खंड की झलक: International Relations

अल नीनो का बढ़ता प्रभाव: वैश्विक मौसम पैटर्न और भारत पर इसके निहितार्थ



माइंड मैप: अल नीनो का बढ़ता प्रभाव: वैश्विक मौसम पैटर्न और भारत पर

GS Paper I — भूगोल (भारतीय और विश्व भूगोल, जलवायु विज्ञान) • GS Paper III — पर्यावरण और आपदा प्रबंधन (जलवायु परिवर्तन, आपदाएँ एवं उनका प्रबंधन), भारतीय अर्थव्यवस्था (कृषि पर प्रभाव)

❖ अल नीनो प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान का असामान्य रूप से गर्म होना है, जो वैश्विक मौसम पैटर्न को प्रभावित करता है और भारत में कमजोर मानसून से जुड़ा है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने हाल ही में चेतावनी दी है कि अल नीनो (El Niño) की घटना, जो वैश्विक मौसम पैटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, अगस्त से अक्टूबर के दौरान और अधिक तीव्र होगी। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब दुनिया के कई हिस्से सामान्य से अधिक तापमान और वर्षा पैटर्न में बड़े बदलावों का सामना कर रहे हैं, जिससे दुनिया भर में शक्तिशाली मौसमी घटनाओं की आशंका बढ़ गई है।

प्रिलिम्स पॉइंटर

अल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO) प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में होने वाले प्राकृतिक उतार-चढ़ाव को संदर्भित करता है, जिसका वैश्विक मौसम पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

मुख्य बिंदु

- अल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO) प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में होने वाले प्राकृतिक उतार-चढ़ाव को संदर्भित करता है, जिसका वैश्विक मौसम पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।
- अल नीनो घटना के दौरान, भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है, जबकि ला नीना (La Niña) के दौरान यह सामान्य से ठंडा रहता है।
- WMO के अनुसार, यह अल नीनो अभूतपूर्व समुद्री गर्मी और बढ़ते वैश्विक तापमान की पृष्ठभूमि में विकसित हो रहा है, जिससे इसके प्रभाव और अधिक गंभीर हो सकते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जीवाश्म ईंधन के उपयोग को इस संकट को बढ़ाने वाला बताया है, जो 'पहले से ही जलते हुए ग्रह' में और आग लगा रहा है।
- अल नीनो का भारत के मानसून पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे सामान्यतः कम वर्षा और सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसका कृषि और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- यह घटना दुनिया भर में अत्यधिक गर्मी, सूखे, बाढ़ और जंगल की आग जैसी चरम मौसमी घटनाओं को जन्म दे सकती है, जिससे खाद्य सुरक्षा, जल उपलब्धता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

अल नीनो क्या है?

- अल नीनो एक जटिल जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान के सामान्य से अधिक गर्म होने की विशेषता है।
- यह घटना आमतौर पर हर 2 से 7 साल में होती है और 9 से 12 महीने तक चल सकती है, हालांकि कुछ घटनाएँ इससे भी अधिक समय तक बनी रह सकती हैं।
- अल नीनो 'अल नीनो-दक्षिणी दोलन' (ENSO) चक्र का गर्म चरण है, जबकि इसका ठंडा चरण ला नीना कहलाता है।
- यह घटना व्यापारिक पवनों (Trade Winds) को कमजोर करती है, जिससे गर्म सतही जल पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में चला जाता है।
- अल नीनो के कारण वैश्विक स्तर पर मौसम पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं, जिसमें कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा और बाढ़, जबकि अन्य में सूखा और जंगल की आग शामिल है।
- भारत में, अल नीनो का संबंध अक्सर कमजोर मानसूनी वर्षा और सूखे की स्थिति से होता है, जिससे कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
अल नीनो का तीव्र होना	अगस्त से अक्टूबर तक वैश्विक मौसम पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद।
विश्वव्यापी उच्च तापमान	कई क्षेत्रों में सामान्य से अधिक तापमान, जिससे हीट डोम और जंगल की आग का खतरा बढ़ रहा है।
वर्षा पैटर्न में बदलाव	कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा जबकि अन्य में सूखे का जोखिम बढ़ रहा है, कृषि और जल सुरक्षा को प्रभावित करेगा।
उष्णकटिबंधीय अटलांटिक समुद्री सतह का तापमान	औसत से अधिक गर्म रहने का अनुमान, जो तूफान की गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है।

विशेषता	महत्व
अभूतपूर्व समुद्री गर्मी	अल नीनो अभूतपूर्व समुद्री गर्मी और बढ़ते वैश्विक तापमान की पृष्ठभूमि में विकसित हो रहा है, जिससे इसके प्रभाव और गंभीर हो सकते हैं।

भारत के लिए महत्व

- अल नीनो वैश्विक मौसम पैटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, जिससे कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ आती है, जबकि अन्य में गंभीर सूखा पड़ता है।
- यह समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों को प्रभावित करता है, समुद्री जीवन और मत्स्य पालन को प्रभावित करता है, क्योंकि गर्म पानी समुद्री प्रजातियों के वितरण और प्रचुरता को बदल देता है।
- कृषि क्षेत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे फसल उत्पादन में कमी आती है, खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है और कृषि वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं।
- चरम मौसमी घटनाओं के कारण बुनियादी ढांचे (जैसे सड़कें, पुल, बिजली ग्रिड) को नुकसान होता है, जिसके पुनर्निर्माण और मरम्मत पर भारी लागत आती है।
- सूखे और बाढ़ के कारण विस्थापन और आजीविका का नुकसान होता है, जिससे मानवीय संकट पैदा होते हैं।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. अल नीनो एक आवधिक जलवायु पैटर्न है जो प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में असामान्य वृद्धि से जुड़ा है। 2. अल नीनो की घटना आमतौर पर भारत में मानसूनी वर्षा को मजबूत करती है। 3. विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और जल विज्ञान के लिए समर्पित है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। अल नीनो मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान के असामान्य रूप से गर्म होने की विशेषता वाला एक जलवायु पैटर्न है। कथन 2 गलत है। अल नीनो की घटना आमतौर पर भारत में मानसूनी वर्षा को कमजोर करती है, जिससे सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है। कथन 3 सही है। WMO मौसम, जलवायु और जल विज्ञान के क्षेत्र में अंतराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।

Q2. अभिकथन (A): अल नीनो की घटना वैश्विक स्तर पर चरम मौसमी घटनाओं को बढ़ा सकती है। कारण (R): जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग ग्रह के समग्र तापमान को बढ़ा रहा है, जिससे अल नीनो के प्रभाव और अधिक तीव्र हो रहे हैं।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है, क्योंकि अल नीनो दुनिया भर में शक्तिशाली मौसमी घटनाओं को जन्म देता है। कारण (R) भी सही है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन से होने वाला उत्सर्जन वैश्विक तापमान को बढ़ा रहा है, जिससे अल नीनो जैसे प्राकृतिक जलवायु पैटर्न के प्रभाव और अधिक गंभीर हो जाते हैं। R, A की सही व्याख्या है क्योंकि जीवाश्म ईंधन द्वारा प्रेरित वैश्विक तापन अल नीनो के प्रभावों को तीव्र करके चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि में योगदान देता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

📖 अल नीनो घटना क्या है और यह भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करती है? भारत में अल नीनो के संभावित प्रभावों को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? (15 Marks)

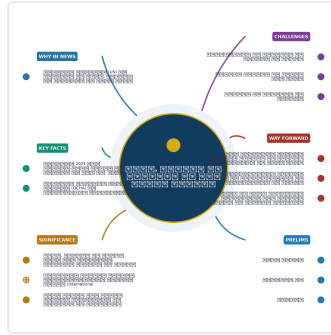
सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

1. परिचय: अल नीनो की संक्षिप्त परिभाषा दें

• प्रशांत महासागर में समुद्र सतह के तापमान में असामान्य वृद्धि से जुड़ा एक आवधिक जलवायु पैटर्न।

2. अल नीनो की कार्यप्रणाली: मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान (SST) का सामान्य से अधिक गर्म होना। प्रशांत महासागर ...

गाजा, लेबनान और पश्चिमी तट में बढ़ती नागरिक मृत्यु दर: संयुक्त राष्ट्र की चिंताएँ और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून



माइंड मैप: गाजा, लेबनान और पश्चिमी तट में बढ़ती नागरिक मृत्यु दर: स

GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध: मध्य पूर्व संघर्ष, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून • GS Paper II — शासन: मानवाधिकार, शरणार्थी मुद्दे

यह खबर चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र (UN) के महासचिव ने गाजा, लेबनान और पश्चिमी तट सहित पूरे मध्य पूर्व में बढ़ती नागरिक मृत्यु दर और हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने तत्काल

याद रखें

मध्य पूर्व में बढ़ती नागरिक मृत्यु दर पर संयुक्त राष्ट्र की चिंताएँ अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के पालन और तत्काल युद्धविराम की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।

युद्धविराम का आह्वान किया है, क्योंकि इजरायली हवाई हमलों, निरंतर शत्रुता और मानवीय सहायता पर प्रतिबंधों के कारण हजारों नागरिक मारे गए और घायल हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने स्थिति को गंभीर बताया है, विशेष रूप से बच्चों के लिए, जो संघर्षों का सबसे भारी खामियाजा भुगत रहे हैं।

मुख्य बिंदु

- अक्टूबर 2023 में इजरायल-हमास युद्ध की शुरुआत के बाद से, गाजा पट्टी और पश्चिमी तट में हिंसा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

- संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी (OCHA) और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) जैसी एजेंसियों ने इन क्षेत्रों में नागरिकों, विशेषकर बच्चों की बढ़ती मृत्यु दर और चोटों की सूचना दी है।

अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (International Humanitarian Law - IHL) क्या है?

- अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) नियमों का एक समूह है जो सशस्त्र संघर्ष के दौरान मानवीय कारणों से लागू होता है। इसका उद्देश्य संघर्ष के प्रभावों को सीमित करना है।
- इसे 'युद्ध का कानून' या 'सशस्त्र संघर्ष का कानून' भी कहा जाता है।
- IHL का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की रक्षा करना है जो शत्रुता में भाग नहीं ले रहे हैं (जैसे नागरिक, चिकित्सा कर्मी, सहायता कर्मी) और उन लोगों को सीमित करना है जो अब शत्रुता में भाग नहीं ले रहे हैं (जैसे घायल सैनिक, युद्धबंदी)।
- यह युद्ध के साधनों और तरीकों को भी प्रतिबंधित करता है, जैसे कि कुछ हथियारों का उपयोग या कुछ सैन्य रणनीतियाँ।
- IHL के प्रमुख स्रोत 1949 के चार जिनेवा कन्वेंशन (Geneva Conventions) और उनके अतिरिक्त प्रोटोकॉल (Additional Protocols) हैं।
- यह कानून राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि संघर्ष के दौरान नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढाँचे को निशाना न बनाया जाए।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
नागरिक हताहतों में वृद्धि	गाजा, लेबनान और वेस्ट बैंक में बच्चों सहित नागरिकों की मौतों में चिंताजनक वृद्धि, मानवीय संकट को गहरा रही है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव की अपील	संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तत्काल युद्धविराम और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के पालन का आह्वान किया है।
मानवीय सहायता पर प्रतिबंध	गाजा में मानवीय सहायता और आवश्यक वस्तुओं (ईंधन, इंजन तेल) पर इजरायली प्रतिबंधों से स्थिति और खराब हुई है।
बच्चों पर गहरा प्रभाव	संघर्षों में बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं, उनके घरों, स्कूलों और समुदायों में भी वे सुरक्षित नहीं हैं।

विशेषता	महत्व
क्षेत्रीय संघर्ष का विस्तार	मध्य पूर्व में क्षेत्रीय संघर्ष का विस्तार हो रहा है, जिससे व्यापक अस्थिरता का खतरा बढ़ रहा है।

भारत के लिए महत्व

- गाजा, लेबनान और वेस्ट बैंक में नागरिकों, विशेषकर बच्चों की बढ़ती मौतें और चोटें एक गंभीर मानवीय संकट का संकेत देती हैं।
- खाद्य असुरक्षा, विस्थापन और चिकित्सा सुविधाओं की कमी से लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है।
- संघर्षरत पक्षों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (International Humanitarian Law) और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर चिंताएं बढ़ रही हैं।
- बच्चों के अधिकारों का हनन विशेष रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि वे संघर्षों के सबसे कमजोर शिकार होते हैं।
- मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष क्षेत्रीय और वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ा रहे हैं।

चुनौतियाँ

- **युद्धविराम का उल्लंघन और संघर्ष का बढ़ना** — अक्टूबर 2025 के युद्धविराम के बावजूद गाजा में इजरायली हवाई हमले और वेस्ट बैंक में हिंसा जारी है।
- **मानवीय सहायता तक पहुंच में बाधा** — गाजा में मानवीय सहायता और आवश्यक वस्तुओं (जैसे ईंधन) पर इजरायली प्रतिबंधों के कारण सहायता वितरण बाधित हो रहा है।
- **बच्चों की सुरक्षा और कल्याण** — संघर्ष क्षेत्रों में बच्चों की मौत और चोटों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे उनके भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन** — संघर्षरत सभी पक्षों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे नागरिकों की सुरक्षा खतरे में है।

आगे की राह

- सभी संघर्षरत पक्षों द्वारा तत्काल और स्थायी युद्धविराम का पालन किया जाए।

- अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और मानवाधिकारों के सिद्धांतों का पूर्ण सम्मान सुनिश्चित किया जाए, विशेषकर नागरिकों और बच्चों की सुरक्षा के संबंध में।
- गाजा और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की जाए।
- संघर्षों के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए राजनयिक प्रयासों को तेज किया जाए।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

गाजा पट्टी · पश्चिमी तट · लेबनान · संयुक्त राष्ट्र (UN) · अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) · UNICEF · OCHA · UNRWA

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (International Humanitarian Law - IHL) सशस्त्र संघर्ष के दौरान मानवीय कारणों से प्रतिबंध लगाता है। 2. IHL केवल अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों पर लागू होता है, आंतरिक संघर्षों पर नहीं। 3. जिनेवा कन्वेंशन IHL का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। IHL का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के प्रभावों को कम करना और मानवीयता सुनिश्चित करना है। कथन 2 गलत है। IHL अंतर्राष्ट्रीय और गैर-अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के सशस्त्र संघर्षों पर लागू होता है। कथन 3 सही है। जिनेवा कन्वेंशन और उसके अतिरिक्त प्रोटोकॉल IHL के मूल आधार हैं। अतः, केवल दो कथन सही हैं।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी मध्य पूर्व में मानवीय सहायता प्रदान करने में सक्रिय रूप से शामिल है? 1. UNICEF 2. WFP 3. UNRWA 4. OCHA सही विकल्प चुनें:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2, 3 और 4
3. केवल 1, 3 और 4

4. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: 1, 2, 3 और 4 — समाचार में UNICEF (बच्चों के लिए), WFP (खाद्य कार्यक्रम), UNRWA (फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए) और OCHA (मानवीय मामलों के समन्वय के लिए) सभी का उल्लेख मध्य पूर्व में मानवीय सहायता प्रदान करने वाली एजेंसियों के रूप में किया गया है।

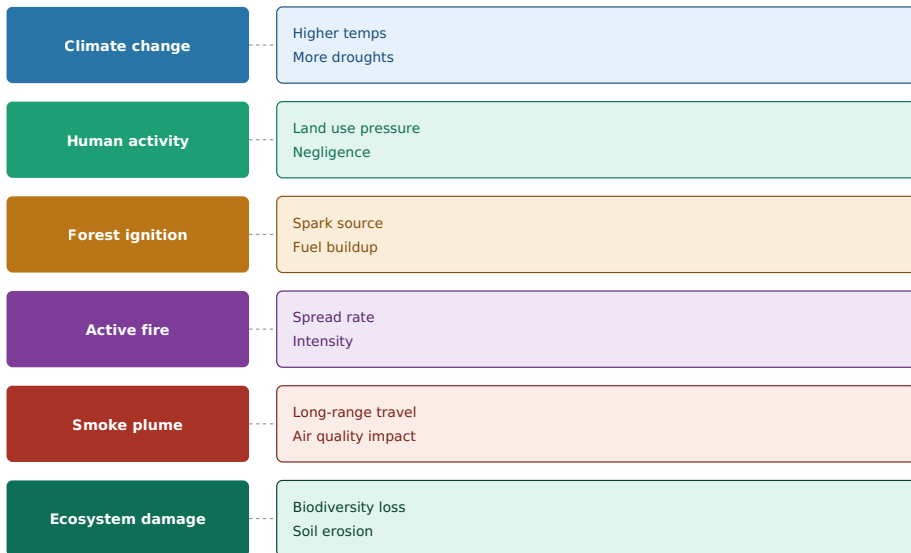
मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ मध्य पूर्व में बढ़ते नागरिक हताहतों और मानवीय संकट के आलोक में, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) के सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का भी मूल्यांकन कीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

- परिचय:** मध्य पूर्व में वर्तमान मानवीय संकट और नागरिक हताहतों की बढ़ती संख्या का संक्षिप्त उल्लेख।
- अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) के सिद्धांत: मानवीयता का सिद्धांत:** नागरिकों और असैन्य वस्तुओं की सुरक्षा। **भेदभाव का सिद्धांत:** लड़ाकों और गैर-लड़ाकों के बीच अंतर करना। **आनुपातिकता का सिद्धांत:** सैन्य लाभ और नागरिक ...

वनाग्नि (Wildfires): चुनौतियाँ, प्रभाव और निवारण

Wildfire impact chain

Wildfire impact chain

GS Paper I — भूगोल (Geography), पर्यावरण (Environment) और आपदा प्रबंधन (Disaster Management) • GS Paper III — पर्यावरण और आपदा प्रबंधन

📌 वनाग्नि एक वैश्विक चुनौती है, जिसके लिए जलवायु परिवर्तन शमन, सतत वन प्रबंधन और मानवीय गतिविधियों पर नियंत्रण के माध्यम से रोकथाम पर केंद्रित एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग (UNECE) ने हाल ही में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बढ़ती वनाग्नि (Wildfires) की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। आयोग ने चेतावनी

दी है कि जलवायु परिवर्तन, भूमि उपयोग के दबाव और मानवीय गतिविधियों के कारण भविष्य में गंभीर आग लगने की संभावना बढ़ रही है। UNECE ने इस बात पर जोर दिया है कि आपातकालीन प्रतिक्रिया

प्रीलिम्स पॉइंटर

यूरोप में इस वर्ष 4.34 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र जल चुका है, जिसमें फ्रांस के गिरोंडे क्षेत्र में 42,000 हेक्टेयर चीड़ के जंगल और स्पेन में 2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र शामिल है।

महत्वपूर्ण है, लेकिन वनाग्नि से निपटने का सबसे अच्छा तरीका रोकथाम, सतत वन प्रबंधन (Sustainable Forest Management) और अधिक लचीले परिदृश्य एवं समुदायों का निर्माण करना है।

मुख्य बिंदु

- यूरोप में इस वर्ष 4.34 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र जल चुका है, जिसमें फ्रांस के गिरोन्डे क्षेत्र में 42,000 हेक्टेयर चीड़ के जंगल और स्पेन में 2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र शामिल है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 18.49 लाख हेक्टेयर और कनाडा में 37.70 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र वनाग्नि से प्रभावित हुआ है।
- वनाग्नि केवल वनों को ही नहीं, बल्कि घरों, बुनियादी ढाँचे और आजीविका को भी नष्ट करती है, जिससे समुदायों को विस्थापित होना पड़ता है।
- वनाग्नि से निकलने वाला धुआँ सैकड़ों-हजारों किलोमीटर तक यात्रा कर सकता है, जिससे वायु गुणवत्ता (Air Quality) प्रभावित होती है और दूर-दराज के लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।
- यूरोपीय संघ (EU) में वनाग्नि से हर साल लगभग 2.5 अरब यूरो का आर्थिक नुकसान होता है, जिसमें बुनियादी ढाँचे को क्षति, पर्यटन राजस्व का नुकसान और व्यापक अर्थव्यवस्था में व्यवधान शामिल है।
- वनाग्नि के बाद भी, समुदायों को पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण (Ecosystem Degradation), जैव विविधता हानि (Biodiversity Loss), कृषि उत्पादकता में कमी, स्वास्थ्य प्रभावों और महँगे पुनर्स्थापन से जूझना पड़ता है।

वनाग्नि क्या है और इसके प्रमुख कारण क्या हैं?

- वनाग्नि एक अनियंत्रित आग है जो प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से वनस्पति, जंगल या अन्य प्राकृतिक क्षेत्रों में फैलती है।
- मानवीय गतिविधियाँ वनाग्नि का मुख्य कारण हैं। लगभग 90% आग लोगों द्वारा लापरवाही या जानबूझकर की गई हरकतों के कारण लगती है।
- जलवायु परिवर्तन (Climate Change) वनाग्नि को और अधिक बढ़ा तथा विनाशकारी बना रहा है। बढ़ते तापमान, लंबे समय तक सूखा, अधिक लगातार लू और बदलती वर्षा के पैटर्न आग के मौसम को बढ़ा रहे हैं।

- वनाग्नि जलवायु आपातकाल (Climate Emergency) को भी तेज करती है।
- यह एक खतरनाक प्रतिक्रिया लूप (Feedback Loop) बनाता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन वनाग्नि के जोखिम को बढ़ाता है और बड़ी वनाग्नि अधिक ग्रीनहाउस गैसों (Greenhouse Gases) छोड़ती है, जिससे वैश्विक तापन (Global Warming) और तेज होता है।
- वनाग्नि की रोकथाम के लिए जन जागरूकता, मजबूत नियम, अत्यधिक आग के खतरे की अवधि के दौरान अस्थायी प्रतिबंध और वनों एवं प्राकृतिक क्षेत्रों में जिम्मेदार व्यवहार आवश्यक हैं।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता	जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के कारण जंगल की आग अब एक सामान्य घटना है, जो पहले की तुलना में अधिक विनाशकारी होती जा रही है।
मानवीय कारण	लगभग 90% जंगल की आग मानवीय लापरवाही या जानबूझकर की गई गतिविधियों के कारण होती है, जो रोकथाम के महत्व को रेखांकित करती है।
दूरगामी प्रभाव	जंगल की आग से न केवल वन क्षेत्र प्रभावित होता है, बल्कि यह घरों, बुनियादी ढांचे, आजीविका, वायु गुणवत्ता और जैव विविधता को भी गंभीर रूप से प्रभावित करती है।
कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि	जंगल की आग बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या और गंभीर होती है और एक खतरनाक 'फीडबैक लूप' बनता है।
आर्थिक क्षति	जंगल की आग से हर साल अरबों यूरो का आर्थिक नुकसान होता है, जिसमें बुनियादी ढांचे की क्षति, पर्यटन राजस्व का नुकसान और व्यापक आर्थिक व्यवधान शामिल हैं।

भारत के लिए महत्व

- जंगल की आग से वनों का विनाश होता है, जिससे जैव विविधता (Biodiversity) का नुकसान होता है और पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) का क्षरण होता है।
- यह मृदा अपरदन (Soil Erosion) को बढ़ाती है, जल स्रोतों को प्रदूषित करती है और वन्यजीवों के आवास को नष्ट करती है।

- जंगल की आग से समुदायों को विस्थापित होना पड़ता है, जिससे आजीविका का नुकसान होता है और सामाजिक-आर्थिक अस्थिरता आती है।
- धुएँ के कारण वायु गुणवत्ता खराब होती है, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियाँ और अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- बुनियादी ढांचे (Infrastructure) जैसे सड़कों, पुलों और बिजली लाइनों को नुकसान होता है, जिससे मरम्मत और पुनर्निर्माण पर भारी लागत आती है।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वनाग्नि (Wildfires) मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण होती हैं, और जलवायु परिवर्तन उनकी तीव्रता तथा आवृत्ति को बढ़ाता है। 2. वनाग्नि से निकलने वाला धुआँ सैकड़ों किलोमीटर तक यात्रा कर सकता है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में भी वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है। 3. वनाग्नि से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को और तेज़ करता है, जिससे एक खतरनाक प्रतिपुष्टि चक्र (feedback loop) बनता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीनों
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीनों — कथन 1 सही है क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार लगभग 90% वनाग्नि मानवीय गतिविधियों के कारण होती हैं, और जलवायु परिवर्तन उनकी तीव्रता व आवृत्ति को बढ़ाता है। कथन 2 सही है क्योंकि वनाग्नि का धुआँ सैकड़ों या हजारों किलोमीटर तक यात्रा कर सकता है, जिससे वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है। कथन 3 भी सही है क्योंकि वनाग्नि से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती है और एक प्रतिपुष्टि चक्र बनाती है।

Q2. वनाग्नि के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन 'रोकथाम' के महत्व को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है?

1. आपातकालीन प्रतिक्रिया दल हमेशा आग बुझाने के लिए तैयार रहने चाहिए।
2. वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत राहत सामग्री पहुंचाई जानी चाहिए।
3. सतत वन प्रबंधन और लचीले परिदृश्य का निर्माण वनाग्नि को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है।

4. वनाग्नि के बाद क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण प्राथमिकता होनी चाहिए।

उत्तर: सतत वन प्रबंधन और लचीले परिदृश्य का निर्माण वनाग्नि को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। — संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग (UNECE) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 'आपातकालीन प्रतिक्रिया आवश्यक बनी हुई है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा अवसर रोकथाम, सतत वन प्रबंधन और अधिक लचीले परिदृश्य तथा समुदायों के निर्माण में निहित है।' यह कथन रोकथाम के महत्व को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

📌 वनाग्नि (Wildfires) की बढ़ती घटनाओं के पीछे के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए। साथ ही, जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के संदर्भ में वनाग्नि के सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर चर्चा कीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

- परिचय: वनाग्नि की बढ़ती वैश्विक घटनाओं और उनके गंभीर परिणामों का संक्षिप्त परिचय।
- वनाग्नि के प्रमुख कारण: क. मानवीय गतिविधियाँ: लापरवाही (जैसे सिगरेट फेंकना, कैम्प फायर), जानबूझकर आग लगाना, कृषि अपशिष्ट जलाना, बुनियादी ढांचे का निर्माण। ख. जलवायु परिवर्तन: बढ़ते तापमान, लंबे समय तक सूखा, अधिक लगातार लू (heatwaves), वर्षा पैटर्न ...

पश्चिमी तट में बढ़ती हिंसा और इज़रायली बस्तियाँ: एक विस्तृत विश्लेषण



West Bank settler violence and occupation crisis

GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध • GS Paper II — भारत और उसके पड़ोसी-संबंध

यह खबर चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र (UN) ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी तट (West Bank) में इज़रायली बस्तियों के निवासियों द्वारा की जाने वाली हिंसा अपने 'उच्चतम स्तर' पर पहुँच गई है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) के अनुसार, 2026 के पहले चार महीनों में इन हमलों के कारण पश्चिमी तट के नौ समुदायों में लगभग 700 फिलिस्तीनी विस्थापित हुए हैं। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब इज़रायली कब्ज़े को समाप्त करने की मांगें लगातार बढ़ रही हैं।

याद रखें

पश्चिमी तट में इज़रायली बस्तियों से संबंधित हिंसा में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन और दो-राज्य समाधान की संभावनाओं के लिए एक गंभीर चुनौती है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र ने गहरी चिंता व्यक्त की है।

मुख्य बिंदु

- पश्चिमी तट एक भू-भाग है जो इज़रायल और जॉर्डन के बीच स्थित है, और यह इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष का एक प्रमुख केंद्र है।
- 1967 के छह-दिवसीय युद्ध के बाद से इज़रायल ने पश्चिमी तट पर कब्ज़ा कर रखा है, और तब से यहाँ इज़रायली बस्तियों का निर्माण जारी है।
- अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, इन बस्तियों को अवैध माना जाता है, हालांकि इज़रायल इस बात से इनकार करता है।
- दो-राज्य समाधान (Two-State Solution) इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष को हल करने का एक प्रस्तावित तरीका है, जिसमें इज़रायल के साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का सह-अस्तित्व होगा।
- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने एक सलाहकार राय में कहा था कि 1967 से गाजा, पूर्वी यरुशलम और पश्चिमी तट पर इज़रायल का कब्ज़ा अवैध है।

पश्चिमी तट और इज़रायली बस्तियाँ

- पश्चिमी तट, जॉर्डन नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित एक भू-भाग है, जो फिलिस्तीनियों द्वारा अपने भविष्य के राज्य के लिए दावा किया गया है।
- यह क्षेत्र इज़रायल, जॉर्डन और मृत सागर से घिरा हुआ है, और इसमें पूर्वी यरुशलम भी शामिल है।

- इज़रायली बस्तियाँ वे समुदाय हैं जिन्हें इज़रायल ने 1967 के युद्ध के बाद पश्चिमी तट, पूर्वी यरुशलम और गाजा पट्टी (जिसे 2005 में खाली कर दिया गया था) में स्थापित किया है।
- इन बस्तियों में रहने वाले इज़रायली नागरिकों को 'बस्तीवासी' (settlers) कहा जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक बड़ा हिस्सा इन बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से चौथे जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन मानता है, जो कब्जे वाले क्षेत्र में कब्ज़ा करने वाली शक्ति द्वारा नागरिकों के स्थानांतरण को प्रतिबंधित करता है।
- इज़रायल का तर्क है कि ये बस्तियाँ अवैध नहीं हैं और ये विवादित क्षेत्र में स्थित हैं, कब्जे वाले क्षेत्र में नहीं।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
बढ़ती हिंसा	वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इज़राइली बस्तियों के निवासियों द्वारा हिंसा में अभूतपूर्व वृद्धि, जिससे मानवीय संकट गहरा रहा है।
बस्ती विस्तार	इज़राइली सरकार द्वारा नई बस्तियों और चौकियों को मंजूरी देना, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध हैं और शांति प्रयासों को कमजोर करती हैं।
अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन	अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) द्वारा 1967 से इज़राइल के कब्जे को अवैध घोषित करना और संयुक्त राष्ट्र सुविधाओं पर इज़राइली सैनिकों का जबरन प्रवेश।
दो-राज्य समाधान	संयुक्त राष्ट्र द्वारा संघर्ष के स्थायी समाधान के रूप में दो-राज्य समाधान (Two-State Solution) के लिए लगातार आह्वान, जिसे इज़राइल और अमेरिका ने अस्वीकार कर दिया है।
मानवीय विस्थापन	बस्ती निवासियों के हमलों के परिणामस्वरूप वेस्ट बैंक में सैकड़ों फिलिस्तीनियों का विस्थापन, जिससे उनकी आजीविका और सुरक्षा प्रभावित हो रही है।

भारत के लिए महत्व

- यह संघर्ष मध्य पूर्व की स्थिरता को सीधे प्रभावित करता है और वैश्विक शांति व सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है।
- इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों के सिद्धांतों का उल्लंघन वैश्विक कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करता है।

- वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा, विस्थापन और आंदोलन पर प्रतिबंध मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।
- संयुक्त राष्ट्र सुविधाओं पर हमले मानवीय सहायता और राहत कार्यों में बाधा डालते हैं, जिससे प्रभावित आबादी की स्थिति और बिगड़ जाती है।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की अवहेलना अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रभावशीलता और संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है।

चुनौतियाँ

- **बढ़ती हिंसा और अस्थिरता** — वेस्ट बैंक में बस्ती निवासियों और इज़राइली सुरक्षा बलों द्वारा फिलिस्तीनियों पर हमलों में वृद्धि, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है।
- **अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन** — इज़राइल द्वारा बस्ती विस्तार और कब्जे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किए जाने के बावजूद जारी रखना।
- **दो-राज्य समाधान में बाधाएँ** — बस्ती विस्तार और बढ़ती हिंसा दो-राज्य समाधान की संभावनाओं को कमजोर करती है, जो संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए महत्वपूर्ण है।
- **मानवीय संकट और विस्थापन** — बस्ती निवासियों के हमलों के कारण सैकड़ों फिलिस्तीनियों का विस्थापन और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच पर प्रतिबंध।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

पश्चिमी तट · इज़रायली बस्तियाँ · दो-राज्य समाधान · संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) · अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) · फिलिस्तीन · इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष · संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने एक सलाहकार राय में कहा है कि 1967 से गाजा, पूर्वी यरुशलम और वेस्ट बैंक पर इज़रायल का कब्जा अवैध है। 2. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 'न्यूयॉर्क घोषणा' का समर्थन किया है, जिसमें दो-राज्य समाधान का आह्वान किया गया है, लेकिन इज़रायल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसके खिलाफ मतदान किया था। 3. वेस्ट बैंक में इज़रायली बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैध माना जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक

2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने वास्तव में 1967 से इजरायल के कब्जे को अवैध बताया है। कथन 2 भी सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने न्यूयॉर्क घोषणा का समर्थन किया है, जिसमें दो-राज्य समाधान का आह्वान किया गया है, और इजरायल व अमेरिका ने इसके खिलाफ मतदान किया था। कथन 3 गलत है। इजरायली बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध माना जाता है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी कहा है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों के संबंध में सही है?

1. इजरायल सरकार इन बस्तियों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।
2. ये बस्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरह से वैध हैं।
3. इन बस्तियों का निर्माण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा समर्थित है।
4. फिलिस्तीनियों को इन बस्तियों में बसने की अनुमति है।

उत्तर: इजरायल सरकार इन बस्तियों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। — इजरायल सरकार इन बस्तियों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, जैसा कि समाचार में बताया गया है। ये बस्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध मानी जाती हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इनका समर्थन नहीं करती, और फिलिस्तीनियों को इनमें बसने की अनुमति नहीं है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

वेस्ट बैंक में बढ़ती इजरायली बस्ती हिंसा के कारणों और परिणामों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, मध्य पूर्व में स्थायी शांति के लिए 'दो-राज्य समाधान' की प्रासंगिकता का भी मूल्यांकन कीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

1. परिचय: वेस्ट बैंक में इजरायली-फिलिस्तीनी संघर्ष और हालिया हिंसा के आंकड़ों का संक्षिप्त उल्लेख।
2. बढ़ती हिंसा के कारण: क. इजरायली सरकार द्वारा नई बस्तियों को मंजूरी और वित्तीय प्रोत्साहन। ख. इजरायली सुरक्षा बलों और बसने वालों के बीच कथित मिलीभगत। ग. फिलिस्तीनी समुदायों के खिलाफ प्रतिशोध और सामूहिक दंड के आह्वान। ...

Environment

Plutus IAS

मासिक परीक्षा — करंट अफेयर्स

Objective

- निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मार्वेल टेक्नोलॉजी द्वारा भारत में किया गया 250 मिलियन डॉलर का निवेश मुख्यतः अनुसंधान एवं विकास (R&D) क्षमताओं के विकास के लिए है। 2. यह निवेश अगले तीन वर्षों में किया जाएगा। 3. निवेश का उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना करना है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?
 (A) केवल 1 और 2
 (B) केवल 2 और 3
 (C) केवल 1 और 3
 (D) सभी 1, 2 और 3
- निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अमेरिका द्वारा ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़े सैन्य ठिकानों पर किए गए हमले मध्य-पूर्व में तनाव को और बढ़ाने वाले हैं। 2. यह संघर्ष पांच महीने से चल रहा है। 3. अमेरिका ने जॉर्डन में अपने बलों पर हुए मिसाइल हमले के प्रत्युत्तर में यह हमले किए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?
 (A) केवल 1 और 2
 (B) केवल 1 और 3
 (C) केवल 2 और 3
 (D) सभी 1, 2 और 3
- निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा निर्मित 'मछलीपट्टनम' भारत के लिए निर्मित आठ एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW SWC) जहाजों की श्रृंखला में सातवाँ पोत है। 2. यह जहाज भारत की नौसैनिक शक्ति में वृद्धि करेगा। 3. जहाज का निर्माण पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?
 (A) केवल 1 और 2
 (B) केवल 1 और 3

- (C) केवल 2 और 3
(D) सभी 1, 2 और 3

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 के अनुसार, जन्म और मृत्यु के देर से पंजीकरण से संबंधित नियमों को सख्त किया गया है। 2. यह विधेयक लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच बिना चर्चा के पारित किया गया। 3. विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण में पारदर्शिता लाना है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) सभी 1, 2 और 3

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कोयला खान (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2014 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए गए 204 कोयला ब्लॉकों की नए सिरे से नीलामी का प्रावधान करता है। 2. सरकार ने इस विधेयक को 'त्वरित' आवश्यकता बताया है। 3. विधेयक का उद्देश्य कोयला खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) सभी 1, 2 और 3

Descriptive

1. भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश के अवसरों और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। सेमीकंडक्टर तकनीक के राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। (150 शब्द)

अपेक्षित बिंदु:

- सेमीकंडक्टर तकनीक का वैश्विक महत्व: AI, 5G, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में इसकी भूमिका
- भारत में सेमीकंडक्टर निवेश के प्रमुख क्षेत्र: R&D, विनिर्माण, कौशल विकास
- मार्वेल टेक्नोलॉजी द्वारा 250 मिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा का संदर्भ
- चुनौतियाँ: तकनीकी कौशल की कमी, अवसंरचना की कमी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा

- राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव: आत्मनिर्भरता, रक्षा उत्पादन में स्वदेशी क्षमता
- आर्थिक विकास पर प्रभाव: रोजगार सृजन, निर्यात संवर्धन, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र

2. मध्य-पूर्व में बढ़ते अमेरिका-ईरान संघर्ष के भू-राजनीतिक प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। भारत के लिए इसके निहितार्थ क्या हैं? (250 शब्द)

अपेक्षित बिंदु:

- अमेरिका-ईरान संघर्ष का ऐतिहासिक संदर्भ: परमाणु समझौता, प्रतिबंध, सैन्य टकराव
- वर्तमान घटनाक्रम: जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले, ईरान के IRGC पर अमेरिकी जवाबी कार्रवाई
- क्षेत्रीय भू-राजनीति पर प्रभाव: अरब देशों की प्रतिक्रिया, इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा
- भारत के लिए चुनौतियाँ: ऊर्जा आयात पर निर्भरता, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, व्यापार मार्गों पर प्रभाव
- भारत की कूटनीतिक स्थिति: गुटनिरपेक्ष नीति, मध्यस्थता की भूमिका, वैश्विक शांति प्रयासों में योगदान

3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रशिक्षण के लिए पुस्तकों के विनाश के मुद्दे पर चर्चा कीजिए। तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक विरासत के बीच संतुलन स्थापित करने के उपाय सुझाइए। (250 शब्द)

अपेक्षित बिंदु:

- AI प्रशिक्षण के लिए पुस्तकों के विनाश की घटनाओं का संदर्भ: AI कंपनियों द्वारा दुर्लभ पुस्तकों का उपयोग
- तकनीकी प्रगति बनाम सांस्कृतिक विरासत: ज्ञान संरक्षण, साहित्यिक धरोहर का महत्व
- AI विकास के लिए वैकल्पिक संसाधनों की आवश्यकता: सार्वजनिक डोमेन सामग्री, ओपन-सोर्स डेटा
- नियमन एवं नीति निर्माण: AI प्रशिक्षण के लिए नैतिक दिशानिर्देश, कॉपीराइट कानूनों में संशोधन
- सार्वजनिक जागरूकता एवं शिक्षा: साहित्यिक विरासत के संरक्षण के महत्व पर बल
- भारत में AI पारिस्थितिकी तंत्र: अनुसंधान संस्थानों, स्टार्टअप्स, सरकारी पहलों की भूमिका

AanyaAi द्वारा Plutus IAS के लिए संकलित · plutusias.com

Plutus IAS

आपकी सफलता, हमारा संकल्प

पढ़ें। दोहराएँ। अभ्यास करें। हर दिन।

अभी जुड़ें



डेली करंट अफेयर्स के लिए स्कैन करें

रोज़ाना करंट अफेयर्स ऑनलाइन पढ़ें →

plutusias.com

उत्तर कुंजी

Objective

1. **(A)** कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि कथन 3 का उल्लेख नहीं किया गया है।
2. **(D)** सभी तीनों कथन सही हैं।
3. **(A)** कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि कथन 3 का उल्लेख नहीं किया गया है।
4. **(D)** सभी तीनों कथन सही हैं।
5. **(A)** कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि कथन 3 का उल्लेख नहीं किया गया है।